हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 मार्च, 1984

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

सोमवार, 26 मार्च, 1984

विशय सूची

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(11)33
ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाना –	
श्री रोशन लाल आर्य एम.एल.ए. की अभिकथित गिरफ्तारी संबंधी	(11)38
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(11)40
वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	
चौ. रोशन लाल आर्य द्वारा	(11)42
वक्तव्य –	
मुख्यमंत्री द्वारा जगाधरी के वकीलों द्वारा हड़ताल संबंधी	(11)44
वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	

डा. ओम प्रकाश शर्मा द्वारा	(11)46
विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(11)49
राज्यपाल का संदेश	(11)58
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट	(11)58
वर्श 1984–85 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)62
बैठक का समय बढ़ाना	(11)98
वर्श 1984–85 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)99
बैठक का समय बढ़ाना	(11)101
वर्श 1984–85 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)101

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 26 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होगें।

Outstanding amout against Constrators

***526. Smt. Chandravati**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that an amount of Rs. 0.39 lakhs stands outstanding against a kiln contractor of J.L.N. Canal and an amoutn fo rS. 1.04 lakhs against a contractor of the Naggal Lift Irrigation Scheme; and

(b) if so, the names and full addresses of the said constractors together with the dates since when the said amounts are outstanding?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) There is no amount outstanding against any kiln contractor of JLN Canal. However, Rs, 55410/- excluding interest is outstanding against the contractor of Naggal Lift Irrigation scheme.

(b) The name and address of the firm is M/s Guru Nanak Gram Udyog. Nehru House, Ambala City. The amount is outstanding since 3/1979.

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, औडिट रिपोर्ट के 66 पन्ने पर जे.एल.एन. के कांट्रेक्टर के खिलाफ 0.39 लाख रूपया खड़ा है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का रूपया अब तक वापिस क्यों नहीं लिया गया?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इनके सवाल का पहला भाग यह था कि जवाहर लाल नेहरू कैनाल के एक कांट्रेक्टर के खिलाफ 39 हजार रूपया बकाया है, क्या यह बात सही है। मैंने उसका जवाब दिया है कि इस वक्त नहीं है। जिस औडिट रिपोर्ट का यह हवाला दे रही हैं वह 1981–82 की औडिट रिपोर्ट हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक कांट्रेक्टर लक्खी राम एंड संज, बी.के.सी. रोहतक के अगेन्सट उनतालीस हजार रूपया बकाया था। वह केस आर्बिट्रेटर को गया और उसने 16.2.1983 को अवार्ड दिया और 5294.00 रूपया डिपार्टमैंट का डयू बताया। वह रूपया उस कांट्रेक्टर से वसूल हो चुका है। अब इन्होंने यह

पूछा है कि रिकवरी क्यों नहीं की। अध्यक्ष महोदय, दूसरे केस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह केस पले आर्बिट्रेटर को गया था। आर्बिट्रेटर ने 7–12–1983 को गवर्नमैंट के फेवर में एक लाख बाईस हजार तीन सौ छप्पन रूपए निकाल दिए और आर्बिट्रेटर ने जो फैसला दिया है, उसकी एप्लीकेशन सिविल कोर्ट मैं है। उसने 17.1.1984 को रूल आफर दि कोर्ट डिक्लेयर करना था। अब अगली पेशी 9.5.1984 को है। जब रूल आफ दि कोर्ट डिक्लेयर हो जायेगा तो रूपया वसूल हो जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावती: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इतना टाईम कहीं इस वजह से तो नहीं लग जाता और रूपया कहीं इस वजह से तो नहीं मारा जाता कि सरकार की तरफ से ठीक तरह से केस की पैरवी नहीं होती?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, दोनों केसिज में कोई रूपया नहीं मारा गया है। एक केस में रूपया वसूल हो गया है और दूसरे केस में सिविल कोर्ट से डिग्री में कन्वर्ट होगा। आर्बिट्रेशन का फैसला आ चुका है। अब रिकवरी हो जाएगी।

Grain Market at Rohtak

***639. Sh. Hari Chand Hooda**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether a new grain market has been constructed at Rohtak; and

(b) if so, the total expenditure incurred thereon?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) रोहतक में नई अनाज मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और पूरा होने के समीप है।

(ख) 234.00 लाख रूपये फरवरी, 1984 तक।

श्री हरि चन्द हुड्डा: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस 2.34 करोड़ रूपए में प्लाटों की नीलामी से जो रूपया आया है वह भी शामिल है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो खर्चे की बात पूछी है वह मैंने बता दी है। प्लाटों की नीलामी से जो रूपया आता है वह तो आमदनी में गिना जाता है, खर्चे में नहीं।

श्री मंगल सैन: मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि रोहतक में अनाज मण्डी बना रहे हैं और वह जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि क्या आपने अनाज मण्डी के व्यापारियों को कोई आश्वासन दिया था कि प्लाटों की नीलामी की बजाये अलौट किए जाएंगे? अगर इस तरह का आश्वासन दिया था तो ये प्लाट कब तक अलौट कर दिए जाएंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमने कहा भी था और हमने फैसला कर लिया है कि साठा परसैन्ट प्लाट पुराने लाईसैन्सीज को रिजर्व प्राईस पर देंगे मतलब यह है कि नो लौस तो प्रोफिट पर देंगे।

चौ. ओम प्रकाश: मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक की जो पुरानी अनाज मण्डी है उसके व्यापारियों का कया कोई डैपुटेशन मिला था और मांग की थी कि नई अनाज मण्डी न बनाई जाए? दूसरा सवाल यह है कि वह अनाज मण्डी कब तक मुकम्मल होने की आशा है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय इस मण्डी पर दो करोड़ नब्बे लाख रूपया खर्च किया जाना है और अब तक दो करोड़ पैंतीस लाख रूपया खर्च हो चुका है। जहां तक डैपुटेशन मिने का सवाल है कुछ लोग लि थे। कुछ लोगों का पुरानी मण्डी में इंट्रैस्ट है ओर वह नहीं चाहते कि नई मण्डी बनाई जाए। लेकिन स्पीकर साहब जो पुरानी मण्डी है वह छोटी जगह में है और प्रदेश का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि वह मण्डी काफी नहीं है इसलिये नई मण्डी का बनाया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिये मण्डी रोहतक में बनाई है और वह जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी।

श्री भले राम: मुख्यमंत्री महेादय ने बताया है कि साठ सरपैन्ट जो पुराने आढ़ती हैं उनको प्लाट दिए जाएंगे। क्या

मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बाकी के चालीस परसैन्ट में कौन से लोग हैं और क्या इस चालीस परसैन्ट में रिजर्व कैटेगरीज भी आती है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बाकी चालीस परसैन्ट में हरिजन, बैकवर्ड क्लासिज के लोग, ऐक्स सर्विसमैन और वे लोग भी हैं जिनकी जमीन ऐक्सायर की गई है और इन लोगों को भी उसी रेट पर प्लाट देंगे।

चौ. हुक्म सिंह फोगट: मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि साठ तो पुराने लाइसैन्सीज को दैंगे और चालीस परसैन्ट प्लाटस हरिजन बैकवर्ड क्लास के लोग ओर ऐक्स सर्विसमैन को देंगे। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसानों के लिये भी कोई कोटा रखा है?

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जिनकी जमीन ऐक्वायर की है उनको भी दिए जाएंगे।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो साठ परसैन्ट प्लाटस पुराने दुकानदारों को अलौट करेंगे वे औक्शन करके देंगे या अलौट किए जाएंगे?

चौ. भजन लाल: साठ परसैन्ट प्लाटस पुराने लाइसैंसीज को रिजर्व प्राईज पर देंगे, औक्शन नहीं होंगे।

चौ. कुलवीर सिंह मलिक: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस मण्डी का कोई एस्टीमेट बनाया गया था और क्या कोई टैन्डर काल किए गए थे।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह जमीन 1976 में ऐक्वायर हुई थी। जब इसका ऐस्टीमेट बनाया गया था, उस वक्त इसकी कौस्ट कम थी लेकिन बाद में वह रिवाईज हो गयी क्योंकि कीमतें बढ़ गई इसलिए ऐस्टीमेंट भी बढ़ गया।

श्री हरि चन्द हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, अगर मण्डी के प्लाट दस करोड़ में बिकते हैं और सरकार वहां पर केवल दो करोड़ रूपया लगाकर चली आए, यह कहां तक ठीक है? मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बाकी की जो रकम होती है उसको गवर्नमैंट कहां लगाती है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो जमीन बेचने से सरकार को आमदनी होगी वह सरकार के अकाउन्अ (खजाना) में जमा होगी। सरकार को जो आमदनी होती है वह प्रदेश के डिवैल्पमैंट के कामों पर खर्च की जाती है। सरकार जो कुछ बेचती है, उस सारी चीज को रिकार्ड होता है।

Dadupur Canal Project

***563. Ch. Phool Chand**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether Dadupur Canal Project for providing irrigation facilities in Mullana Constituency stands approved: and

(b) If so, the time by which the work ont he said canal is likely to be started?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) & (b) Shahbad Nalvi Irrigation Scheme which envisages the construction of Shahbad Feeder Channel to off take from Dadupur Head Works has not yet been approved.

Ch. Phool Chand: Mr. Speaker, Sir, I had asked whether Dadupur Canal Project for providing irrigation facilities in mullana Constituency has been approved but the Hon'ble Minister has replied, may be just to please the Hon'ble Speaker, that Shahbad Nalvi Irrigation Scheme envisaging the construciton of Shahbad Feeder Channel to off take from Dadupur Head Works is pending approval.

Mr. Speaker: Mr. Phool Chand you will agree that both you an I are affected.

Ch. Phool Chand: I agree, sir. But I want to know, Sir, whether the area of Mullana constituency also falls int he said scheme and what are the hurdles on account of which the scheme has not yet been approved?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार कोई काम किसी को प्लीज करने के लिए नहीं करती ओर आनरेबल स्पीकर

मोहताज भी नहीं है कि कोई उनको प्लीज करे। वे कोई भी काम करने और करवाने में स्वयं सक्षम हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो स्कीम है इसमें उनकी कांस्टोटुऐंसी भी शामिल है। स्कीम यह है कि दादूपर से छः सो क्यूसिक या 590 क्यूसिक की एक नहर निकाली जाएगी। यह नहर 381 किलोमीटर लम्बी होगी। 15.38 करोड़ रूपया इस पर खर्च होगा और 75350 हैक्टेयर जमीन की इरीगेशन होगी। रादौर, नग्गल, मुलाना ओर शाहबाद का दरिया इस नहर से कवर होगा। जहां नहर का पानी नहीं लगता जो कमाण्ड एरिया है उसके लिए यह स्कीम बनाई गई है।

चौ. फूल चन्दः अध्यक्ष महेादय, मैं मिनिस्टर साहब को इस बात की मुबारिकबाद देता हूं कि यह स्कीमें इनके ध्यान में है। क्या वे बताएंगे कि कब तक यह स्कीम एप्रूव हो जाएगी और कब तक इस पर काम चालू हो जाएगा?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम विभाग ने तैयार करके सरकार के पास भेज दी थी। सरकार ने उसमें कुछ क्लैरिफिकेशनज मांगी थीं जिनका जवाब दिया जा रहा है। सरकार स्कीम को एप्रूव करने के बाद फिर सैन्ट्रल वाटर कमिशन के पास भेजेगी क्योंकि इसमें साढ़े 15 करोड़ रूपया इनवाल्वड है। जब वहां से एप्रूवल आ जाएगी उसके बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। यह सारा फण्डज पर डिपैन्ड करता है।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि दादूपुर से शाहबाद फीडर चैनल निकालने के लिए एक स्कीम सरकार के विचारधीन है। वह यह बताएंगे कि जितनी लम्बाई में यह नहर बनाने का विचार रखते हैं क्या उतनी क्वांटिटी में इनको पानी भी अवेलेबल होगा? क्या उतना पानी मुहैया कर पाएंगे?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, नहर जो चलेगी, वह पानी के साथ ही चलेगी। पानी का पहले पता लगा करके ही यह नहर बनाने की योजनाग बनायी गयी है। मैं डाक्टर सहाब को बताना चाहता हूं कि इनके हल्के के बहुत गांव इस नहर से सैराब होंगे।

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो शहर निकाली जा रही है, यह नगल हल्के के कितने गांवों को कवर करेगी?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह जो नहर है, इसके बारे में कई बार मैम्बर साहेबान के साथ डिस्कशन हो चुकी है। जो साहेबान क्वैश्चन पूछ रहे हैं, उनको भी मैंने इस बारे में बता दिया था। कितने रकबे को यह नहर सैराब करेगी और इनके कौन कौन से गांव इसके तहत सैराब होंगे, वह लिस्ट अभी मेरे पास अवेलबल नहीं है। वैसे टोटल 75 हजार हैक्टेयर ऐरिया में जितने गांव हैं, उनको यह नहर सैराब करेगी।

श्री हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर सहाब, शाहबाद नलवी सिंचाई योजना के अन्तर्गत यह जो चैनल बनाई जा रही है, उस पर इन्होंने बताया है कि साढ़े 15 करोड़ के करीब रूपया खर्च आएगा। लेकिन मेरे हल्के में जो ब्राह्मण वास और चमारिया माईनर है, उस पर केवल कुछेक लाख ही खर्च आएगा, क्या सरकार उसको बनाने का भी विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह तो शाहबाद नलवी सिंचाई योजना से सम्बन्धित सवाल है।

सेठ राम दास धमीजा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस नहर से हमारे अम्बाला को भी कुछ फायदा होगा या हम यूंही बगैर पानी के ही बैठे रहेंगे?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, अगर इनकी कांस्टीचुऐंसी मैं कोई और गांव भी साथ लगते हैं, तो उनको अवश्य फायदा होगा।

Post of Lecturers and Teachers lying vacant in the State

***599. Sh. Ram Bilas Sharma**: Will the Minister of State for Education be pleased to state –

(a) whether any post of Lecturers and Teachers in any of the colleges and schools in the State are lying vacants; if so, the district-wise and subject-wise number of all such vacant posts as on 31-1-1984; and

(b) the time by which the aforesaid posts are likely to be filled up?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) The statement is placed on the Table of the House.

(b) These vacancies are likely to be filled by the next academic session.

Statement

(a) Yes. The distirctwise and subjectwise number of vacant posts of lecturers and teachers in Govt. Colleges and Schools as on 31-1-84 was as under:-

Name of the Distirct	Name of the Subject	No. of Vacancies
Mohindergarh	English	2
	Chemistry	1
Gurgaon	Hindi	1
	English	1
Karnal	Hindi	1
	Music Vocal	1

School Lecturers and Teachers as on 31-1-84

District	Lecturer	Master/ Mistress	JBT	JBT Urdu	Hindi	Punjabi	Arts & Crf.	Sanskrit	PTI	Tailoring
Ambala		1	46		26				7	
Bhiwani		1	4		1		2			
Faridabad	5	2	11	44	3		2		1	
Gurgaon		16	58	14	8	1				
Hissar	1	78	35		6		7	3	1	1
Jind		20	16		3	6	3			
Karnal	2		42		2					
Kurukshetra		4	45		1	4			3	
Mohindergarh	1		54							
Rohtak						5				

Sirsa			4				3	2	9	
Sonepat			3			1	2			
Total	9	122	318	58	50	17	19	5	21	1

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 31.1.84 तक 318 जे.बी.टी. टीचर्ज के स्थान खाली थे और 122 मास्टर्ज और मिस्ट्रेसिज के स्थान खाली थे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये स्थान कब से खाली पड़े हैं?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, यह स्थान अलग अलग समय से खाली पड़े हुए हैं क्योंकि कुछ अध्यापक रिटायर हो जाते हैं और कुछ बीच में छोड़ जाते हैं, इसलिये अलग अलग समय से ये पद खाली पड़े हैं।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदययय जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब, ने मेरे लायक दोस्त राम बिलास जी को यह बताया कि लैक्चररज 9, मास्टर्ज/मिस्ट्रेसिज 122, जे.बी.टी. 318, जे.बी.टी. उर्दू 58, हिन्दी 50 व पंजाबी 17 वगैरह वगैरह के पद खाली पड़े हैं। आपके माध्यम से मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने यह सवाल पूछा कि यह पद कब–कब से खाली पड़े हैं। यह कोई लम्बा चौड़ा मामला नहीं है। यह बता दें कि ये पद पांच सात आठ सालों से या कितने कितने सालों से खाली पड़े हैं और आज तक इन्होंने इनको भरने के क्या क्या प्रयत्न किये हैं? स्पीकर सहाब, हमें स्पैसिफिक और डैमिनिट सूचना चाहिए।

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, ये वेकैन्सीज कालेज साईड की इसी साल से खाली हैं और स्कूल साईड की भी, शायद

इसी साल से खाली पड़ी हैं। पिछले साल से विशेश तौर पर कोई नहीं है। वैसे ये जितनी भी वेकेन्सीज हैं ये 1982–83 से पहले की नहीं हैं।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने अगल अलग डिस्ट्रिक्टस की वेकैन्सीज के बारे में बताया है, फरदर डिटेल्ज तो शायद ये नहीं बता सकेंगे। मैंने पहले भी एक बात पूछा था कि मोरनी हिल्ज के अन्दर वहां पर टीचर्ज नहीं पहुंचते हैं। अगर पहुंचते हैं तो अपनी हाजरी लगा करके चले जाते हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात की हाउस के अन्दर गारन्टी देंगे कि वहां पर ऐसे टीचर्ज को लगाया जाएगा जो वहां पर ही रहें और उनको छुट्टी वगैरह भी न दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब न हो?

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, यह प्वायंट सरदार लछमन सिंह जी ने तीन बार पहले भी इस हाउस में उठाया था और मैंने उतनी ही बार इनको यह आश्वासन भी दिया था कि हम अगले सैशन से इस बात का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे कि ऐसे टीचर्ज उस एरिया में अप्वायंट किये जाएं जोकि वहां पर ही रहें और बच्चों की पढ़ाई वगैरह का पूरा–पूरा ध्यान रखें।

श्री नेकी राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वेकैन्सीज का यहां पर जिक्र किया है, उसमें कितनी वेकैन्सीज महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाती हैं?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जितनी भी वेकेन्सीज ऐजुकेशन विभाग में है, उनमें 40 परसैन्ट औरतों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं।

श्रीमती शारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह पता होगा कि पलवल में खादर के क्षेत्र के 12 गांव ऐसे हैं जहां पर भी टीचर्ज रूकते हैं। क्या वहां के लिए भी सरकार इस तरह का कोई प्रबन्ध करने का विचार रखती है ताकि वहां पर टीचर्ज का रूकने का प्रबन्ध हो सके और बच्चों की पढ़ाई भी खराब न हो?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, अमूमन वहां पर टीचर रूकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रूकते। इस बारे में कोई विशेश शिकायत नहीं हैं। अगर मैडम, कोई ऐसी शिकातय नोटिस में लाएंगी तो सरकार उस बारे में विचार करेगी।

डा. भीम सिंह दहिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 122 मास्टर्ज ओर मिस्ट्रेसिज ओर 318 जे.बी.टी. की जगह 1982–83 से खाली पड़ी हुई हैं। इस साल मेरे विचार में कई सौ जे.बी.टी. टीचर्ज की सिलैक्शन हुई है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सिलक्शन लिस्ट छोटी रह गयी है या फिर काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं जो ये वेकैन्सीज खाली पड़ी हुई हैं?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, 1679 जे.बी.टी. टीचर्ज की सिलैक्शन हुई थी लेकिन इसके बाद, जैसाकि डाक्टर मंगल सैन जी ने भी पूछा था, और मैंने जवाब दिया था, ये जितनो वेकैन्सीज हैं, ये 1982–83 से पहले की नहीं हैं। समय समय पर वेकैन्सीज खाली होती रहती हैं। वह इस वजह से कि कुछ सर्विस छोड़ जाते हैं और कुछ रिटायर हो जाते हैं, इस कारण से भी खाली होती रहती हैं और वे इनबिटवीन भरी नहीं जाती। अब डेढ़ दो हजार के करीब जे.बी.टी. टीचर्ज की वेकेन्सीज हमने एडवरटाइज की हैं जोकि नीयर फयूचर में हम भरने जा रहे हैं।

चौ. बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, हमारी स्टेट में लिट्रेसी की परसैन्टेज नेशनल एवरेज से कम है और उसके बावजूद भी लगभग 600 पोस्टें स्कूलों में खाली पड़ी हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये पोस्टें कब तक भर ली जाएंगी? दूसरे स्टूडैंट और टीचर की रेशो का गांवों और शहरों में कितना फर्क है?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में 59617 टीचर्ज हैं। इनमें से केवल 620 पोस्टें खाली हैं। ये इसलिये खाली है जैसे कोई बीमार हो जाता है या बीच में छोड़ जाता है और कोई ज्वायन नहीं करता। जहां तक शहरों और गांवों में टीचर्ज और स्टुडैन्टस की रेशो में अन्तर का सवाल हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं है।

श्री भागी राम: मंत्री जी को पता है कि डी.ई.ओ. आफिसिज की तरफ से हैड आफिस को जे.बी.टी. टीचर्ज की मंजूरी के लिए लिखा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने केसिज हैं जिनमें मंजूरी मांगी गयी हो और अभी तक दी न गई हो?

श्री जगदीश नेहरा: जो मंजूरी मांगी जाती है, यह अकैडमिक सैशन शुरू होने से पहले ही मांगी जाती है। जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और नार्म 45 का है तो उसी हिसाब से मास्टर्ज की जरूरत पड़ती है। सैशन के शुरू में हम टीचर दे देते हैं। यह बात मैं इस टाईम नहीं बता सकात कि कहां कहां से टीचर मांगे गये थे। वैसे जहां जहां से भी टीचर मांगे जाते हैं, वहां हम पूरे कर देते हैं।

श्री सागर राम गुप्ता: मंत्री महोदय ने जो यह स्टेटमैंट दी है इसको देखने से मालूम होता है कि भिवानी जिले में सब से कम वेकैन्सीज हैं। क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि भिवानी जिले में एजुकेशन इंस्टीच्यूशन कम है?

श्री जगदीश नेहरा: यह कारण नहीं है कोई और कारण हो सकता है।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री जी बताएंगे कि टीचर्ज की सैंक्शन्ड पोस्टें कितनी हैं और रिक्वायरमैंट कितनी पोस्टों की हैं?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, यहां पर सैक्शन्ड पोस्टों की ही बात चल रही है। रिक्वायरमैंट जिस साल जितनी पोस्टों की होती है उसे हम उसी साल पूरा करने की कोशिश करते हैं।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो स्थान खाली बताएं हैं इससे लड़कों की पढ़ाई का नुक्सान हो रहा है। दूसरी तरफ आप एम्पलाएमैंट एक्सचेंजिज में देंखे। हर कैटेगरी के टीचर तीन तीन साल से वेटिंग लिस्ट में हैं। उनको टैम्पोरेरी तौर पर लगा कर काम क्यों नहीं चलाया जाता?

श्री जगदीश नेहरा: इसमें पढ़ाई का नुक्सान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हरियाणा में कुल 60000 के करीब टीचर हैं और वेकैन्सीज सिर्फ 600 हैं जोकि एक परसैन्ट बनती हैं। किसी स्कूल में मान लो एक जे.बी.टी. टीचर की कमी है। वहां पर 15–15 टीचर दूसरे लगे हुए हैं। इसलिये इसमें नुक्सान वाली कोई बात नहीं है। एडजस्टमेंट हो जाती है।

श्री भले राम: जैसे मंत्री जी ने बताया कि 31.1.84 तक 122 मास्टर/सिस्ट्रेसिज की पोस्टें खाली पड़ी हैं। क्या ये इस वजह से तो खाली नहीं पड़ी कि एस.एस. मास्टर्ज की पोस्टे भरने पर बैन है?

श्री जगदीश नेहरा: ऐसी बात नहीं है। रिक्वायरमैंट के मुताबिक कोई बैन नहीं।

मास्टर शिव प्रशाद: मंत्री जी ने बताया कि मास्टर और मिस्ट्रेसिज के 122 स्थान खाली है। क्या ऐसे स्थान भी हैं जहां साईस और मैथ मास्टर्ज की जगह एस.एस. मास्टर्ज लगे हुए हैं?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मैरे नोटिस में ऐसी बात कोई नहीं है। हो सकता है कि कहीं लगे हों लेकिन लगाया उन्हीं को जाता है जो साईस और मैथ पढ़ा सकते हों।

श्री देवी दास: मंत्री जी बताएंगे कि पीछे जो जे.बी.टी. टीचर्ज सिलैक्ट हुए थे, उसके बाद से सोनीपत में जे.बी.टी. टीचर्ज की कितनी पोस्टें खली पड़ी हैं?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय., जैसे मैंने पहले बताया कि 1982–83 से पहले की कोई पोस्ट खाली नहीं है। जहां तक सोनीपत का सवाल है, सोनीपत में 127 जे.बी.टी. टीचर सरप्लस थे जिसको दूसरे जिलों में भेजा गया। ये पोस्टें तो इसलिये खाली हैं कि कोई बीच में छोड़ गया होगा या किसी की डैथ हो गई होगी या कोई रिटायर हो गया होगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था इन्होंने जो रिक्त स्थान बताएं हैं ये तो सैक्शन्ड पोस्टें हैं। डिमांड कितनी पोस्टों की थी जिसको ये पूरी नहीं कर पाए? एक सैंक्शन्ड पोस्ट होती है और दूसरी रिकवायरमैंट होती है। दूसरी इन्होनें अभी तक बताया कि देहात और शहरों में टीचर और स्टुडैन्टस की रेशों 1:45 की है। कहीं ऐसा तो नहीं हे कि

शहरों में फर्जी लड़के भर्ती करके दिखाए गए हों, जैसे सोनीपत जिले में दस हजार फर्जी स्टूडैन्अस को भर्ती किया गया था?

श्री जगदीश नेहरा: जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी रिक्वायरमैंट आती है तो उसे पूरा कर दिया जाता है। पिछले साल जितनी रिकवायरमैंट थी, उसे उसी साल पूरा कर दिया गया। ये सभी सैंक्शन्ड पोस्टें हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सोनीपत में फर्जी भर्ती हुई थी। यह बात दुरूस्त है। अब हमने पालिसी रैशनलाईज करवा दी है और अब कोई बोगस रजिस्ट्रेशन नहीं होगी।

श्री राम बिलास शर्मा: मंत्री जी ने मेरे सवाल के भाग 'ख' का जवाब दिया है कि अगले ऐकेडैमिक सैशन तक सारी पोस्टें भर ली जाएंगी। मंत्री जी बताएंगे कि क्या तब तक एडहौक बेसिज पर ये पोस्टें भरी जाएंगी? दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि जो टीचर गांवों में लगाए जाते हैं, क्या उनको कोई ग्रामीण भत्ता भी देंगे?

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, कुछ तो हमने एडहौक बेसिज पर लाग रखे हैं। इसके अलावा हम और भी इन्टरव्यू ले रहे हैं ताकि ये भी रैगुलर हो जाएं तथा और भी लगा सकें। हम जे.बी.टी. और आर्ट एं क्राफ्ट टीचर्ज की इन्टरव्यू करने जा रहे हैं। जहां तक ग्रामीण भत्ता देने का सवाल है, ऐसी कोई बात विचाराधीन नहीं है।

सेठ राम दास धमीजा: अम्बाला जिला में कुल 79 पोस्टें खाली हैं। भिवानी में 8, सोनीपत में 6 तथा सिरसा जिलार में 18 पोस्टें खाली हैं। इतनी ज्यादा पोस्टें खाली होने का क्या कारण है?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में अलग अलग जिलों के बारे में बताया गया है। अम्बाला जिला बहुत बड़ा जिला है इसलिये वहां पर टीचर्ज भी काफी हैं। अम्बाला जिले के मुकाबले में सिरसा जिले में बहुत कम पोस्टें खाली हैं क्योंकि सिरसा जिला अम्बाल जिले से बहुत छोटा हैं इसलिये वहां पर कम पोस्टें खाली हैं। अम्बाला जिले में जितने भी टीचर्ज लगाए हुए हैं, उसके साईज के परपोरशनेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगाए हुए हैं।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर साहब, शिक्षा राज्य मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि आर्टस एंड क्राफ्टस टीचर्ज की सभी जिलों के कुल 19 पोस्टें खाली हैं जिसके लिये वे इन्टरव्यू लेने जो रहे हैं। मैं आपके द्वारा शिक्षा राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आर्टस एंड क्राफ्टस टीचर्ज की 19 पोस्टों के लिए ही इन्टरव्यू लिए जाएंगे या इससे अधिक पोस्टों के लिए इन्टरव्यू किया जायेगा क्योंकि इनकी पोस्टें खाली होती रहती हैं। जो आर्टस एंड क्राफ्टस की पोस्टो पर टीचर्ज लगाए जाएंगे, क्या उन्हें रैगुलर तौर पर लगाया जाएगा?

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, आर्टस एंड क्राफ्टस की 677 पोस्टें हैं, इनमें जो एडहौक बेसिज पर लगे हुए टीचर्ज हैं, वे भी शामिल हैं जो इन्टरव्यू करने जा रहे हैं वे रैगुलर पोस्टों की भर्ती के लिये ही करने जा रहे हैं।

Raid on Depot of Fertilizer

***605. Sh. Kitab Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether any raids were conducted on any fertilizer depots in the State during the period from 1-6-83 to 1-1-84 to detect the sale of spurious fertilizers; and

(b) if so, the names and addresses of such depot holders, if any, whose fertilizers were found spurious together-with the actions, if any, taken against them?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1 जून 1983 से 1 जनवरी 1984 तक की अवधि के दौरान जिन डिपो होल्डरों के खाद के नमूने नकली पाये गये तथा उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण:

क्रमांक	जिले का नाम		डिपो होल्डर का नाम	खाद के नमूनों की संख्या जो नकली पाई गई	प्रत्येक के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	सिरसा	1	ओम प्रकाश रमेश कुमार डबवाली	1	रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है और केस पुलिस के पास दर्ज करवा दिया गया है।
2	फरीदाबाद	1	बन्सल ट्रेडिंग कम्पनी, होडल	1	–यथोपरि–
		2	लक्ष्मी चन्द नानक चन्द, होडल	1	–यथोपरि–
3	हिसार	1	किसान सेवा केन्द्र, हांसी	1	पुलिस के पास एफ. आई.आर. दर्ज करवा दी गई है।
		2	हनुमान प्रशाद दीपक कुमार	1	–यथोपरि–

			हांसी		
4	सोनीपत	1	रघुनाथ महाबीर प्रसाद एवं मेघ राज के गोदाम, सोनीपत	4	–यथोपरि–
		2	मेघराज सपुत्र श्री राम धन अनाज मंडी, सोनीपत	2	–यथोपरि–
		3	महाबीर प्रशाद, सपुत्र श्री खजान सिंह, अनाज मंडी, सोनीपत	2	रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है और केस पुलिस के पास दर्ज करवा दिया गया है।
		4	कुछल ट्रेजरज, प्याऊ मनियारी, सोनीपत	1	रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
		5	रघुनाथ सपुत्र श्री गंगा बिशन,	2	एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी गई है।

			अनाज मण्डी, सोनीपत		
		6	अनाज मण्डी सोनीपत के बाहर खाली जगह में पड़ी हुई खाद	3	एफ.आई.आर दर्ज करादी गई है। पुलिस द्वारा इसकी मलकीयत के बारे जांच पड़ताल की जा रही है।

नोटः– सोनीपत जिला में क्रमांक 2 और 4 पर अंकित नमूने डिपो होल्डरों के घरों से जो उनके अधिकृत बिक्री केन्द्र नहीं थे लिये गये थे।

श्री किताब सिंहः स्पीकर साब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है उनमें से कितने आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कितने आदमी बकाया हैं और ऐसे कितने अधिकारी हैं जेा खाद की मिलावट करने में संलिप्त हैं।

चौ. भजन लालः अध्यक्ष महोदय, नकली खाद के कुल 19 मामले पकड़े गए। इनमें से 14 केस अकेले सोनीपत जिले के हैं। इसी तरह से फरीदाबाद का एक केस है। उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है और केस पुलिस के पास दर्ज करवा दिया गया है। इसी तरह से सिरसा और हिसार के दो

केसिज हैं। उनके भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटस रद्द कर दिए गए हैं और केस पुलिस के पास दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस उनकी जांच कर रही है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके नाम और पते भी बता देता हूं।

श्री किताब सिंह: स्पीकर साहब, नाम और पते तो जवाब के अन्दर दिए हुए हैं। मैंने तो यह पूछा है कि इन्होंने जो नकली खाद के 19 केस दर्ज किए बताएं हैं, इनमें से कितने आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कितने बाकी रहते हैं? यदि कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया हैं, तो उसका कारण क्या है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट फर्मज खाद बेचती है, उनके सैम्पल सरकार भरती है। इनके सैम्पल भर कर लैबोरेटरी में भेजे जाते हैं। जि आदमियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं इनके द्वारा बेची जाने वाली खाद के सैम्पल लैबोरेटरी में टैस्ट करवाए गए थे। वहां से इनके खाद के सैम्पल फेल हो कर आ गए। जब सैम्पल फेल होकर आ जाता है, उसके बाद ही कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके अलावा इन्होंने यह भी पूछा कि इस मामले में क्या कोई कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके अलावा इन्होंने यह भी पूछा कि इस मामले में क्या कोई सरकारी अधिकारी भी संलिप्त है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह खाद सारी प्राईवेट फर्मो ने बेची थी, सरकारी डिपों से नहीं बेची गई है और न ही किसी सरकारी अधिकारी ने

यह खाद बेची है इसलिये किसी सरकारी अधिकारी की संलिप्त होने का सवाल ही पैदा रही होता।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने दो बार अपना सवाल रिपीट किया और मुख्यमंत्री जी ने दोनों बड़ी सफाई से इनके सवाल का ठीक और सीधा जवाब नहीं दिया है। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नकली खाद बेचने के 19 मामले दर्ज किए गए, ये कब दर्ज किए गए और केस दर्ज होने के फौरन बाद मुलजिम गिरफतार किए गए या नहीं? किस केस में किनते आदमी पकड़े गए, उनमें से कितने आदमी बेल पर हैं और कितने जेल में पड़े हैं?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया था कि नकली खाद बेचने के 19 मामले पकड़े गए। जो केस रजिस्टर हो चुके हैं उनमें पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने पूछा है कि फर्मो के पार्टनर कितने कितने हैं। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। जिसके खिलाफ केस दर्ज है पुलिस उसकी पूरी तह में जा करके उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही करेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा है कि जो केस दर्ज किए गए हैं, उनमें कोई आदमी पुलिस ने गिरफ्तार किया है या नहीं?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह 1.6.83 से 1.1.84 तक का पूछा है। इन्होंने 1981 और 1982 के बारे में नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, नकली खाद की बिक्री का पता लगाने के लिए छापे मारे जाते हैं और प्राइवेट फर्मों के सैम्पल भरे जाते हैं उसके बाद सैम्पल लेबोरेटरी में टैस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। वहां पर खाद का पास फेल का पता लगता है। इन केसिज में इन फर्मों की खाद फेल हो गई इसलिये इनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और पुलिस इनकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद कार्यवाही की जाएगी। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हम आपकी प्रोटैक्शन चाहते है। यदि आप हमारी हैल्प नहीं करेंगे तो हमारे सवाल का जवाब नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी यह कह सकते हैं कि कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह कहने में इनको क्या दिक्कत है? हमने ये पूछा है कि इनमें से कितने आदमी गिरफ्तार किए गए हैं इस बारे में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। Not even a single person has been arrested. He can say that I am not prepared. He can demand more time. He can also say that I will reply this question tomorrow. But we should be given a clear answer.

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे फार्म के पास रजवाहें में किसी आदमी ने 15 डिब्बे टोलकन के फैंक दिए और मुझे मेरे आदमियों ने बताया कि यह

किसी आदमी की हमारे जानवरों को मारने की साजिश है। मैंने इस बारे में एस.पी. से बात की। एस.पी. साहब ने मुझे यह बताया कि हमने कई सेठ पकड़ रखे हैं, जिनके खिलाफ तफतीश हो रही है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास यह आंकड़े नहीं है कि कितने आदमी पकड़े गए हैं और कितने नहीं पकड़े गए हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने बार बार यह पूछा कि जो 19 केस नकली खाद के पकड़े गए हैं इनमें कोई आदमी गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया। इस बारे में मुख्यमंत्री जी कई बार यह कह चुके हैं कि कुल 19 केस नकली खाद के पकड़े गए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा केस सोनीपत जिले के हैं। वहां पर 19 में से 14 केस ऐसे हैं जिनमें नकली खाद पाई गई है जिनके बारे में पुलिस जांच कर रही है। इन्होंने यह भी कहा है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने यह नहीं बताया कि इन केसिज में कितने आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये मुकदमें 6 महीने से दर्ज किए हुए हैं, उनके बारे में अब क्या किया जा रहा है। एक केस सोनीपत का है।

"Fertilizer lying in open space outside Anaj Mandi, Sonepat."

This has been mentioned against Sonepat District under the column "name and address of depot holders" at Sr. No. 6. In the column "Action taken against each", against the above stated column, it is written –

"F.I.R. has been lodged. Investigation regarding its ownership is being carried out by the Police."

Speaker. Sir, I want to ask .....

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, अभी मैंने आप लोगों को यह बताया है कि मेरे फार्म के पास किसी आदमी ने 15 डिब्बे टोलकन के फैंक दिए थे और वे ऐसी जगह पर फैंक दिए जहां पर एस्टैब्लिश नहीं हो सकता कि किस आदमी ने फैंके है। उस आदमी ने वे डिब्बे इसलिए फैंक दिए होंगे कि वे स्पूरियस होंगे। यह माल भी ऐसी जगह पर फैंक दिया होगा। It is separate thing. इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने यह कह यिदा है कि इनमें से कितने आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस बारे में इनके पास इस समय आंकड़े नहीं है। इनको इस समय पता नहीं है कि कितने आदमी गिरफ्तार हुए हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन केसिज में 6 महीनें से एफ.आई.आर. दर्ज हैं। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस ने इनमें से किस केस में किस–किस आदमी को थाने में बुलाकर पूछताछ की है ओर इनमें से किसी आदमी को जेल भेजा गया है या नहीं? इसके अलावा इन्होंने यह फरमाया है कि इनमें से सबसे ज्यादा केस सोनीपत जिले के हैं।

सोनीपत के केस इसलिए तो ज्यादा दर्ज नहीं किए क्योंकि वहां पर पिछले दिनों लोक सभा की सीट के लिए चुनाव हुआ था और उस दौरान ये लोग इनके खिलाफ होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के दौरान ये लोग इनके खिलाफ हो इसलिये उनके खिलाफ केस बना दिये गए?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लोग चुनाव के दौरान हमारे खिलाफ थे या हमारे साथ थे। इस द्वारा बेची जाने वाली खाद के सैम्पल भरे गए थे और वह खाद नकली पाई गई थी इसलिए इनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा हिसार और सिरसा में भी केस दर्ज हुए हैं। डा. साहब, आप जानते हैं कि जो प्राइवेट फर्मे खाद बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेती हैं, उनके सैम्पल भर लेते हैं और उन सैम्पलों को टैस्टिंग के लिए लैबोरेटरी में भेज दिया जाता है। वहां से रिजल्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जाती है? यदि सैम्पल फेल हो जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है ओर पुलिस उसकी तफतीश करती है। इन केसिज के बारे में पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो भी आदमी गिरफतार किया जाएगा उस बारे में मैं माननीय सदस्यों को एक ही बात कह सकता हूं कि इस जुर्म में जो भी आदमी गिरफ्तार होगा, इस बारे में माननीय सदस्यों के घर पर लिखित रूप में यह सूचना भेज दी जाएगी।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केवल इन्हीं चार जिलों की खाद बेचने वाली प्राइवेट फर्मों पर रेड किए गए हैं या दूसरे जिलों में भी खाद बेचने वाली फर्मों पर भी रेड किए गए थे। यदि दूसरी जगहों पर भी रेड किए गए थे तो कया वहां पर भी कोई केस दर्ज हुआ है, यदि दूसरी जगहों पर रेड नहीं किए गए तो इसका क्या कारण है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, साल में दो बार बाकायदा रेड करते हैं। एक बार खरीफ की फसल के दौरान और दूसरी बात रबी फसल के दौरान रेड किया जाता है। जो पीक सीजन होता है, उसमें बाकायदा पाटियां बनाकर रेड किया जाता है। सभी जगहों पर यह देखा जाता है कि कोई नकली खाद, मिलावट की खाद या खराब खाद तो नहीं बेच रहा है। बाकायदा डायरैक्टर एग्रीकल्चर और नीचे लैवल के क्लास टू आफिसर्ज रेड करते हैं। पूरी चैकिंग करवाते हैं। इसके अलावा डी.सी. साहब को भी यह हिदायत है कि वह भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई आदमी नकली खाद या मिलावट की खाद किसी किसान को न देने पाए।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी के पास कृशि विभाग है। इसलिए मैं इनसे यह जानना चाहती हूं कि क्या इनके नोटिस में यह बात है कि कुरूक्षेत्र जिले में लाडवी के

पास कोई फर्म खराब खाद बनाती है, यदि इनके नोटिस में यह बात है तो इन्होंने उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है। अगर इनके नोटिस में ऐसी कोई बात है तो बहन जी हमें लिखकर दे दें, हम उसकी जांच करवा लेंगे। यदि ऐसी कोई चीज निकलती है तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।

श्री किताब सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी आपने अपने फार्म के पास एक डिब्बों वाली बात बताई है कि वहां पर कोई डिब्बे डाल गया और पुलिस केस में तफतीश कर रही है। यह नहीं पता चला कि माल किस का है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस केस के अन्दर कोई बड़ा अधिकारी तो शामिल नहीं है या कोई एम.पी. तो शामिल नहीं है?

श्री अध्यक्ष: यदि कोई एम.पी. इसमें शामिल हो तो उसका नाम आप बता दें।

चौ. भजन लाल: इसमें कोई एम.पी. शामिल है या नहीं, इस बारे में तो मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें कोई एम.पी. शामिल है या नहीं। यदि चौ. किताब सिंह किसी का नाम लिख कर देंगे और यदि उसका कसूर होगा तो उसे भी माफ नहीं करेंगे?

श्री फतेह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 19 सैम्पल नकली खाद के पाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन 19 सैम्पलों में से किसी का कोई रिजल्ट अभी तक आया है या नहीं या 19 के 19 सैम्पलों का रिजल्ट नहीं आया?

श्री अध्यक्ष: एक दफा जवाब आ गया है कि इनका रिजल्ट आ चुाक है और इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

डा. भीम सिंह दहिया: मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटस कैंसल कर दिए गए है और एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी गयी है। एक केस में केवल शो काज नोटिस फार दी कैंसलेशन आफर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया है। इसके अलावा कुछ के खिलाफ केवल एफ.आई.आर. ही दर्ज करायी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि कयाइनका क्राईम अलग–अलग था, या एक ही क्राईम था जिसकी अलग–अलग सजा दी गयी है?

चौ. भजन लाल: जिन व्यक्तियों ने ज्यादा मिलावट की हुई थी, उनको तो रजिस्ट्रेशन कैंसल की गयी है और जिन लोगों के कम मिलावट की हुई थी, उनके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कराई गयी है। जिसका जितना जुर्म होगा, उसको उसी हिसाब से उतनी ही सजा मिलेगी। जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है, उनके खिलाफ बाकायदा कार्यवाही कर रहे हैं।

Construction of Roads in Badli Constituency

***661. Ch. Dhir Pal Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from Badli to Gurgaon via Iqbalpur; if so, the time by which the aforesadi road is likely to be constructed?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): जी हां। 28.61 किलोमीटर में से बादली इकबालपुर और गुड़गांव सड़क पर 24.80 किलोमीटर की लम्बाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेश कार्य प्रगति पर है और 31.3.1986 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

चौ. धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सड़क निर्माण का कार्य 24.80 किलोमीटर जमीन पर पूरा किया गया है क्या उसका मुआवजा दे दिया गया है? क्या इसमें ऐसे भी किसान हैं जिनकी जमीन तो एक्वायर कर ली गयी हो लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला हो?

Mr. Speaker: This is a separate question.

चौ. धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 24.80 किलोमीटर लैंथ का कार्य कब शुरू किया गया और कब पूरा किया गया?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह सड़क तीन हिस्सों में बनायी जानी थी। इस सड़क के दो फेज तो पहले बन चुके हैं। तीसरे फेज की जमीन एक्वायर की गयी थी, लेकिन जमीन एक्वायर करने के बाद मालिक हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसाल दे दिया। फिर दुबारा जमीन एक्वायर की गयी। फिर वे लोग हाई कोर्ट में चले गए। अब फिर तीसरी दफा जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं। जब भी जमीन का फैसला हो जाएगा, काम शुरू कर दिया जायेगा।

चौ. धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि 24.80 किलोमीटर सड़क का जो काम पूरा हुआ है वह कब शुरू किया गया था और कब पूरा हुआ है?

श्री अध्यक्ष: अब सड़क बन चुकी तो अब बाकी क्या रह गया है?

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त धीरपाल जी ने सवाल पूछा था कि 24.80 किलोमीटर टुकड़े का काम कब शुरू किया गया था, और कब पूरा किया गया। इन्होंने फरमाया कि दो फेज में काम पूरा हो चुका है और तीसरे फेज में जमीन एक्वायर न होने की वजह से अड़चन आ गयी, क्योंकि जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई थी, वे हाई कार्ट में चले गए। इन्होंने कहा है कि जमीन का फैसला होने पर काम शुरू हो जायेगा। साथ ही साथ इन्होंने जवाब में यह भी लिख दिया है कि

काम 31.3.86 में जाकर मुकम्मल होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर यह केस कोर्ट में पैंडिंग है तो इन्होंने कैसे अनुमान लगाया कि 1986 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक जानना चाहूंगा कि 24.80 किलोमीटर सड़क को कब शुरू किया गया था और कब इसे पूरा किया गया? इस बात का उत्तर ही ये साफ–साफ बता दें।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, यह बड़ी अच्छी बात है कि डा. मंल सैन जी बड़े अच्छे भाशण देकर सवाल पूछते हैं। जो सड़क बनायी जा चुकी है यह 1980 तक बना दी गयी थी। तीसरे फेज के लिए जमीन एक्वायर की गयी थी लेकिन लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। इसी प्रकार दुबारा जब जमीन एक्वायर की गयी तो लोग फिर हाई कोर्ट में चले गए। इन्होंने एक बात कही है कि बाकी बची हुई सड़क को 1986 तक कैसे बना देंगे? जो बात मैंने कही थी, शायद डा. साहब, उसे ध्यान से सुन नहीं पाये। मैंने कहा है कि यह कार्य 1986 तक पूर्ण होने की संभावना है।

Upgradation of Schools in Pai Constituency

***618. Ch. Nar Singh Dhanda**: Will the Minister of State of Education be pleased to state whether any schools in Pai Constituency have been upgraded or are proposed to be upgraded from Primary to Middle and Middle to High during

the period from 1st January, 1984 to 31st December, 1984; if so, the number thereof?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): जी नहीं।

चौ. नर सिंह ढांड़ा: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल में थोड़ी सी कलैरिकल मिस्टेक की वजह से 1 जनवरी, 1983 की बजाये 1 जनवरी, 1984 लिखा गया है। यदि यह कलैरिकल मिस्टेक मान ली जाती है तो इन्होंने जवाब ''जी नही'' में कैसे दे दिया? मैं अपने सवाल को ठीक करते हुए यह जानना चाहता हूं कि पाई हल्के में 1 जनवरी, 1983 से लेकर अब तक कितने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं और आगे कितने स्कूल अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है।

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का सैशन अमूमन अप्रैल से शुरू होता है। अब सवाल यह है कि 1982–83 में या 1983–84 में कितने स्कूलों को प्राईमरी से मिडल स्कूल और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड किया गया। मैं सदन की जानका के लिए बताना चाहूंगा कि छठी पंचवर्शीय योजना जो 1980 से लेकर 1985 तक चलनी है, के दौरान 680 स्कूल अपग्रेड किए जाने थे। लेकिन 1983–83 तक 884 स्कूल अपग्रेड किए जा चुके थे, इस प्रकार पहले ही 204 स्कूल अधिक अपग्रेड किए जा चुके हैं। आगे और ज्यादा स्कूल अपग्रेड करने की प्लानिंग कमीशन ने इजाजत नहीं दी। इसलिए 1983–84 के दौरान कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। जहां तक 1984–85 की बात है, इस संबंध में मैं

आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगा कि इस साल कुछ स्कूल अपग्रेड करने का विचार है।

T.V. Relay Centre in the State

***633. Sh. Nihal Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to approach the Government of India for setting up T.V. relay centre in the State for covering the fringe areas of Mahendergarh district?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार ने हरियाणा में हिसार और भिवानी में कम शक्ति वाले दो ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय किया है। राज्य सरकार हिसा में पूरे दर्जे का टी.वी. केन्द्र बनाने पर जोर दे रही है।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, राज्य सरकार ने टी.वी. सैन्टर खोलने के लिए जो सर्वे करवाया है, क्या वह सर्वे में रिमोट एरियाज को भी कवर किया गया है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि टी.वी. सैन्टर बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या–क्या कदम उठाये हैं और अगर इनके बनाने में कोई रूकावट है, तो वह क्या है?

चौ. भजन लाल: जहां तक कम्पलीट स्टेशन बनाने का ताल्लुक है, इसके बारे में भारत सरकार को दो बार लिखा जा चुका है और इस मामले पर दो मीटिंग्ज भी मिनिस्टरी लैवल पर

हो चुकी हैं। इसके इलावा, नौर्दर्न जीनल कौसिल की मीटिंग में भी इस मामले को रेज किया गया है कि हरियाणा प्रदेश में टी.बी. का बड़ा स्टेशन होना चाहिए। हिसार बीच में पड़ता है और दिल्ली से भी थोड़ी दूरी पर है। हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और एशिया का सबसे बड़ा गवर्नमैंट लाइव स्टौक फार्म भी है, इसलिए हिसार में बड़ा टी.बी. सैन्टर बनना चाहिए। यह मामला भारत सरकार के जेरेगौर है। फिलहला उन्होंने लो पावर टी.बी. ट्रांसमीटर स्टेशन एक हिसान के लिए और एक भिवानी के लिए मन्जूर किये हैं। इनके लिए हमने जमीन भी दे दी है। जहां तक महेन्द्रगढ जिले की कवरेज का ताल्लुक है, भारत सरकार भी यह फैसला लेना चाहती है कि जहां अभी उन्होंने टी.बी. को रेंज 100 किलोमीटर रखी है, उसको बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इससे महेन्द्रगढ़ जिला तकरीबन–तकरीबन कवर हो जाएगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि नौर्दर्न जीनल कौंसिल की मीटिंग में प्वायंट उठाया था और मिनिस्ट्री लैवल पर भी बातचीत हुई है। इस मामले को इन्होंने पूरी तरह प्रैस किया है और हिसार और भिवानी में तो लो पावर टी.बी. ट्रांस्मीटर स्टेशन लगाना मन्जूर कर लिया है। खास बात हिसार के लिए पूरा दबाव दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे लायक दोस्त को

महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत ही बैकवर्ड है, के बारे में नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष: आप अपना सवाल पूछिए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। इन्होंने अपने जवाब में हिसार का खास तौर पर जिक्र किया है और हिसार में ही टी.बी. सैन्टर की लोकेशन बताई है। इन्होंने हिसार की एग्जैक्अ जगह का नाम नहीं लिया है। क्या आदमपुर का एरिया पड़ता है? अगर आदमपुर का एरिया पड़ता है तो किन कारणों से पड़ता है? हम भी बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, हमें इस सिलसिले में क्यों इग्नौर किया गया?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, रोहतक तो हरियाणा का दिल है। अगर रोहतक इग्नोर्ड रह जाएगा तो बाकी इलाके का क्या होगा। रोहतक हर लिहाज से सारे हरियाणा से आगे है। पोलिटिकली, इकोनोमिकली रोहतक सबसे आगे है। इसके इलावा सबसे पहले नहर रोहतक में आई। आपको याद होगा, यहां पर गुड बनता है। पहले लोग कहा करते थे कि यह गुड़ रोहतक जिले से बनता है और लोग बनते हुए गुड़ को देखने आते थे। कई भाई तो यहां तक समझते थे कि गुड़ किसी पेड़ में लगता होगा, शायद बहन जी मेरी इस बात से सहमत होगी। अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिला अब भी दिल्ली की रेंज में है और जब टी.बी. स्टेशन की रेंज 200 किलोमीटर हो जाएगी तो पोजीशन बिल्कुल क्लीयर हो जाएगी।

जहां तक हिसार का सवाल है, यह एरिया हरियाणा में ही है, दूर नहीं है, यह आप सब जानते हैं। हम आदमपुर में टी.बी. सैन्टर लगाने के लिए नही कह रहे। हम हिसार के लिए कह रहे हैं और आदमपुर हिसार के नजदीक पड़ता है।

श्रीमती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ये आम तौर पर किसी चीज की स्थापना के लिए प्रोमिस ताो कर लेते हैं कि रोहतक में खोलेंगे लेकिन बाद में उसको हिसार में ले जाते हैं। ये फाउंडेशन स्टोन रोहतक में रखते हैं और बनाते किसी और जगह पर है। स्पीकर साहब, इन्होंने 1962 में सैनिक स्कूल, रोहतक में मन्जूर किया था लेकिन बाद में उसको कुंजपुरा में ले गये, रोहतक में नहीं खोला। अब एक और सैनिक स्कूल मन्जूर हुआ है। क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इसको रोहतक में ही खोलेंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हाउस में तो टी.वी. सैंटर का सवाल है, सैनिक स्कूल खोलने का सवाल नहीं है, लेकिन मेरी बहन जी ने बहुत संजीदगी से सवाल पूछा है, इसका जवाब देना चाहता हूं। इस स्कूल का फैसला महेन्द्रगढ़ जिले में खोलने का हो चुका है। बाद में रोहतक जिले के एम.एल.एज. और कुछ लोगों ने कहा कि यह स्कूल मातनहेल में खुलना चाहिए। इनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने दोबारा चीफ सैक्रेटरी को कहा कि इसकी इंक्वायरी करके बताये कि रोहतक जिले में ठीक रहेगा या महेन्द्रगढ़ में। अभी उस इंक्वायरी की रिपोर्ट की

फाईलल मेरे पास नहीं आई है। जो इन्साफ की बात होगी, हम वही करेंगे।

Distribution of subsidy on Weedicide in District Jind

***642. Ch. Kulbir Singh Malik**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether any subsidy on weedicide was given in any of the villages in Jind District during the period from 1-10-1983 to 31-1-1984, if so, the names of all such villages together with the amount of the subsidy given;

(b) whether physical inspection of the store of the weedicide of the D.D.A. Office, Jind, was conducted in December, 1983; if so, details of the shortages; if any detected; and

(c) whether any enquiry regarding the distribution of subsidy on weedicide, as referred to in part (a) above, in the month of January or February, 1984, has been conducted; if so, the details of the findings thereof?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

Statement

(a) Yes. The subsidy on wheat weedicides amounting to Rs. 755303. 50 was given in 267 villages. The list of villages alongwith the amount of subsidy is appended at Annexure.

(b) Yes. The physical checking of store of weedicides D.D.A. Office Jind was conducted by Additional Director of Agriculture (Genneral) on 22-12-83 and a shortage of151 kgs. of Tolkan 50 WP weedicide was detected.

(c) No such enquiry regarding the distribution of subsidy on weedicides was conducted in the month of January or February, 1984.

'Annexure'

Village-wise distribution of subsidy amount of wheat weedicides in Jind District from 1-10-83 to 31-1-84.

Sr. No.	Name of Village	Amount of subsidy (Rs.)
Jind Sub-Division		
1	Nagura	9769.14
2	Amarheri	489.50
3	Biluwa	240.75
4	Barsanal	979.00
5	Churarpu	2447.50
6	Dalamwalar	4405.50

7	Badhana	979.00
8	Brahkalan	489.50
9	Sindhwi Khera	2755.76
10	Radhan	1395.08
11	Khark Ramji	636.35
12	Shah pur	4919.49
13	Shriraj Khera	636.35
14	Knedla	3426.50
15	Ikkas	5788.35
16	Ittal Khurd	1713.25
17	Dhani	244.75
18	Beer Badwan	5895.00
19	Intal Kalan	1713.25
20	Jalalpura Kalan	1370.60
21	Jind	18650.03
22	Julani	4454.45
23	Haibatpur	1860.20
24	Khokheri	1958.10
25	Jalapur Khurd	342.65

26	Asrafgarh	9085.75
27	Behbal Pur	391.61
28	Bishan pura	1468.50
29	Kishanpura	1774.35
30	Barsola	2716.80
31	Alewa	6559.30
32	Pindara	685.30
33	Budan pur	734.25
34	Khapra	1223.75
35	Bhongra	244.75
36	Dohana Khera	1468.50
37	Khark boora	244.75
38	Dumar Khan	636.35
39	Surja Khera	489.50
40	Khark Gadian	2937.00
41	Datrath	17426.20
42	Bania Khera	587.40
43	Kuchrana Khurd	244.75
44	Dehola	2937.00

45	Kithana	489.50
46	Kinan	8811.00
47	Brar Khera	4160.75
48	Tloda	2618.97
49	Loachan	15358.01
50	Nirjan	3230.70
51	Siwah	1131.66
52	Lajwana Khurd	1223.75
53	Jai Jaiwanti	734.25
54	Shadipur	185.80
55	Desh Khera	293.70
56	Kharainti	440.55
57	Bibipur	4136.52
58	Ghimana	3201.75
59	Karamgarh	1762.20
60	Tgrah	1468.55
61	Ramgarh	244.75
62	Rajound	17920.00
63	Thegahari	489.50

64	Beerbangra	244.75
65	Drurana	16118.75
66	Bighana	6823.05
67	Manohar pura	7489.39
68	Khunga	4552.35
69	Rajchandwala	1125.85
70	Buwana	734.25
71	Jajwan	489.50
72	Gangatheri	244.75
73	Pegan	1566.45
74	Khanda	3383.95
75	Katwal	660.85
76	Kheribullawali	428.33
77	Annopgarh	489.50
78	Sando	220.29
79	Asan	220.29
80	Ramraj	4050.64
81	Jhanjh Kalan	2104.90
82	Lakhmirwala	440.58

83	Gatauli	220.29
84	Samlokalan	367.15
85	Lajwanakalan	73.43
86	Palwan	489.50
87	Jhanjhkhurd	240.75
88	Narwana	930.05
89	Lalit Khera	2447.50
90	Ram Nagar	489.50
91	Sangatpura	244.75
92	Kheritaloda	244.75
93	Dighana	734.25
94	Sanilkhurd	196.85
95	Barodi	244.75
96	Ramrajkhera	48.95
97	Jammi	489.50
98	Bhosla	244.75
99	Garhwali	244.75
100	Safidon	489.50
101	Badsikari Khurd	146.85

102	Mataur	146.85
103	Kalayat	2692.25
104	Vajir Nagar	734.25
105	Kurar	244.75
106	Haripur	685.30
107	Dhanauri	342.65
108	Ahirka	1713.25
109	Rajpura	3279.65
		267721.20
Narwana Sub-Division		
1	Batta	4650.25
2	Barhsikri Kalan	334.90
3	Wizir Nagar	4405.50
4	Garhi	3818.10
5	Uchhana	12775.05
6	Surja Khera	4111.80
7	Piplatha	2202.75
8	Dhaunauri	8517.30
9	Rasida	5521.35

10	Naraingarh	1174.80
11	Kalrum	2741.20
12	Narwana	28048.35
13	Dhamtanasahib	2447.50
14	Kalwan	4454.45
15	Sunderpur	10720.05
16	Bodowal	538.45
17	Sajuma	3622.30
18	Amargarh	4307.60
19	Asmilpur	1468.50
20	Kurarh	4943.95
21	Gurusar	2398.55
22	Ramgarh	5041.85
23	Kalyat	7587.25
24	Kheri Lamba	3230.70
25	Sudkankhurd	489.50
26	Dunara	1223.75
27	Dumarkhan Kalan	5286.60
28	Dakal	6402.45

29	Danoda Kalan	2643.30
30	Lan	2790.15
31	Kharal	1076.90
32	Malkheri	625.30
33	Kolkhan	1468.50
34	Bhanabrahman	489.50
35	Kharak Pandav	1223.75
36	Haripur	2104.85
37	Bamniwala	1223.75
38	Danadakhurd	1468.50
39	Kheriserkhan	2692.25
40	Sadhan	734.25
41	Rajgarh Dhobi	1713.25
42	Mand Kila	1713.25
43	Kalsar	1223.75
44	Kalta	1468.50
45	Dhardi	7048.80
46	Dablan	5922.95
47	Simla	1811.15

48	Balu	7783.05
49	Jeel	1566.40
50	Padarthkhera	2692.25
51	Dabhiteksingh	2055.90
52	Datasinghwala	8027.80
53	Kamalpur	930.05
54	Rewarh	2692.25
55	Ambersar	783.20
56	Karamgarh	489.50
57	Ghogria	489.50
58	Mataur	2545.40
59	Sindh	979.05
60	Belarkhan	2889.00
61	Palwa	244.75
62	Pinjpura	2937.00
63	surbura	391.60
64	Frankalan	979.00
65	Barta	195.80
66	Deoli	244.75

67	Koyal	1223.75
68	Dohanakhera	1370.60
69	Khanpur	489.50
70	Kharkbura	930.05
71	Karsindhu	930.05
72	Mohalkhera	979.00
73	Uchhanakalan	489.50
74	Bitherdena	244.75
75	Singwal	734.25
76	Nepwala	244.75
77	Khatkarh	244.75
78	Khetra Majra	734.25
79	Khanpur	489.50
80	Hathon	489.50
81	Chattar	477.29
82	Barhsikrikhurd	2202.75
83	Hamirgarh	3377.55
84	Dhandwan	48.75
85	Kherimasiania	342.65

86	Mohangarh	489.50
87	Kashan	244.75
88	Dumarkhankhurd	1996.95
89	Kherisafa	244.75
90	Alipura	244.75
91	Chausala	244.75
92	Dubal	244.75
93	Kherimasani	244.75
		233014.30
Safidon Sub Division		
1	Safidon	14880.56
2	Bhagkhera	979.00
3	Dharamgarh	1782.78
4	Gangoli	295.80
5	Nimmabad	22112.77
6	Buslana	181.15
7	Paju Kalan	1456.26
8	Amralikhera	1382.81
9	Kurar	6549.11

10	Silakhera	807.66
11	Sarafabad	513.96
12	Basini	2839.10
13	Bhembeva	4650.25
14	Buda Khera	2484.20
15	Bhadurgarh	562.90
16	Titokheri	447.26
17	Hadwa	538.45
18	Shahpur	5629.26
19	Khera Khemavati	5665.82
20	Ratta Khera	1798.85
21	Todikhera	3291.88
22	Brod	3769.15
23	Chhapar	10010.26
24	Kharkhera	4797.06
25	Khark Gagar	2166.02
26	Kirsindhu	2496.45
27	Hatt	5678.05
28	Anchera Khurd	48.95

29	Paju Khurd	4980.65
30	Pilukhera	354.88
31	Malsrakhera	489.50
32	Butani	3548.83
33	Bhagkhera	660.82
34	Anta	7865.65
35	Mohomadkhera	195.80
36	Ludana	1811.15
37	Hoshiyarpura	1089.10
38	Roah	6522.50
39	Jaipur	2288.36
40	Didwara	10120.33
41	Datrath	10485.31
42	Khark Gadyan	2496.38
43	Kalwa	2753.30
44	Bhadurgarh	1747.80
45	Bhurain	783.30
46	Ram Nagar	8847.45
47	Rozla	2973.67

48	Aftaggarh	3612.26
49	Malikpur	23205.45
50	Khatta	5580.30
51	Singhpura	1578.62
52	Rajana	611.85
53	Rampura	15849.65
54	Singhpura	496.18
55	Mauna	2001.85
56	Malar	367.10
57	Kalawati	183.55
58	Popan	440.52
59	Baniakhera	110.13
60	Kaulkhera	2496.38
61	Maudi	220.26
62	Karkhana	440.52
63	Harigarh	660.78
64	Jamni	2496.38
65	Ganga Tahri	244.75
		254568.00

चौ. कुलवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि 151 किलोग्राम टोल्कन 50 डबल्यू. पी. वीडिसाईड चैकिंग करते हुए कम पाया गया। इसका रेट अगर 50 रू. प्रति किलो के हिसाब से लगाया जाए तो 7500 रूपये बनता है। मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि जो स्टोर में कमी पाई गई, इसके क्या कारण हैं? क्या यह बात सत्य है कि आई.जी. श्री मनमोहन सिंह, एक डी.एस.पी. की मैटाडोर में टोलकन के 40 डिब्बे ले गये? मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर, जींद 30 डिब्बे ले गये, डी.डी.ए की गाड़ी न. एच.आर.जे. 2741 में 10 डिब्बे गए हैं, डिप्टी डायरैक्अइर का सर्वेन्ट महावीर 6 डिब्बे स्टोर से ले गया है। इस तरह से टोटल 32000 रूपये की दवाई ये लोग ले गये हैं और ये आफिसर हजम कर गये हैं? इन्होंने स्टोरकीपर को जानबूझ कर फंसाया है। क्या मंत्री महोदय इस बात की इंकवायरी करवायेंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि स्टोर में दवाइयां कम पाई गये, इसलिय हमने स्टोरकीपर के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया है। बाकी इन्क्वायरी चल रही है, जिस किसी अधिकारी का या किसी प्राईवेट आदमी का इसमें कसूर पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

चौ. कुलवीर सिंह मलिक: मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि वीडिसाइड पर जो सबसिडी दी गई है, कया यह सिर्फ उन्हीं गांवों

की दी गई है जहां बाढ़ आई थी या दूसरे गाँवों को भी दी गई थी, क्योंकि जहां बाए नहीं आई है वहां सबसिडी नहीं बांटी गई?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदसय को बताना चाहूंगा कि जींद डिस्ट्रिक्ट में 3 सब डिवीजन हैं और तीनों में सबसिडी बांटी गई है। जींद सब डिवीजन में 109 गांव हैं जिनमें 9 लाख 66 हजार 72 रूपये की सबसिडी बांटी गई। नरवाना सब–डिवीजन में 93 गांव हैं और 2 लाख, 35 हजार 14 रूपये की सबसिडी दी गई। सफीदों सब डिवीजन में 65 गांव हैं और 2 लाख 54 हजार 568 रूपये की सबसिडी बांटी गई है।

चौ. कुलवीर सिंह मलिक: मैंने पूछा था कि बाढ़ वाले गांवों के लिए थी या सब गांवों के लिए थी? क्या आप बतायेंगे कि ब्लौक्स के लिए कितना कोटा था?

चौ. भजन लाल: सबसिडी सारी स्टेट के लिए होती है और सारी स्टेट में दी गई।

Embezzlement cases in Cooperative Credit & Service Societies

***676. Sh. Hira Nand Arya**: Will the Minister for Cooperation be pleased to state –

(a) whether any cases of embezzlement in any of the Cooperative Credit and Service Societies, under the Gurgaon

Central Cooperative Bank Ltd., Gurgaon, have been detected during the years 1982-83 and 1983-84;

(b) if sof, the total amount involved in each such case of embezzlement togetherwith the names of persons; if any, held responsible therefor; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to compensate the societies, as referred to in part (a) above, for the loss; if any, suffered by any of them?

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौ. वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) 1982—83

	सम्बन्धित व्यक्ति का नाम	राशि (रूपयों में)
	सर्वश्री	
1	जय भगवान	4500.00
2	भोलू राम	17385.15
3	अता उल्ला खां	491973.25
4	अब्दुल रशीद	56135.97

5	सीता राम	1320.00
6	शाम लाल	402.79
7	इमामूदीन	380.05
8	राम फल	111.00
		572208.21
1983–84		
1	श्री दया नन्द	15211.00

(ग) नहीं।

श्री हीरा नन्द आर्य: मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो आदमी एम्बैजलमैंट केसिज में इन्वालवड हैं, क्या इनके खिलाफ इन्क्वायरी हुई है? अगर हुई है तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनमें किसी मंत्री का रिश्तेदार भी इन्वाल्वड है?

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने रिश्तेदारों के बारे में पूछा है, अगर ये वल्दीयत पूछते तो मैं बता देता। 9 आदमी एम्बैजलमैंट में इन्वाल्वड हैं जिन में से 6 आदमियों से पूरी रिकवरी हो चुकी है।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनमें किसी मंत्री का पुत्र तो इन्वाल्वड नहीं है? स्टेटमैंट में एक नाम है अताउल्ला खान जो 491973 रूपये के अमाउंअ में इन्ववाल्वड है। क्या ये रहीम खां के पुत्र नहीं है?

Mr. Speaker: Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Beautifying the Cities

***705. Sh. Fateh Chand Vij**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether any scheme has been formulated to beautify cities in the State; if so, the district-wise names of the cities to be covered by such scheme; and

(b) whether any amount has been allotted to any of cities to be covered under the said scheme; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) तथा (ख) राज्य में शहरों को सुन्दर बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेश रूप से कोई स्कीम नहीं बनाई गई है। फिर भी, शहरों में रूप को संवारने हेतू चलाए गए एक अभियान

के सम्बन्ध में 1981–82 तथा 1982–83 में विभिन्न नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिया गया था। शहरों के रूप को संवारने के लिए अभियान अधीन नगरपालिकावार धनराशियों की ब्रेक–अप परिशिश्ट 'क' पर दी गई है जो सदन के पटल पर रखी जाती है। इसके इलावा, विभिन्न नगरपालिकाएं, अपने साधनों के अनुसार, शहरों की सुन्दर बनाने हेतू भिन्न भिन्न पग उठाती रही है।

परिशिश्ट 'क'

नगरों को सुन्दर बनाने के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं को दी गई राशि का विवरण।

क्रमांक	नगरपालिका का नाम	वर्श 1981–82 में दी गई राशि	वर्श 1982–83 में दी गई राशि
1	भिवानी	1.50	0.50
2	रिवाड़ी	1.50	0.50
3	रोहतक	1.50	0.50
4	अम्बाला सदन	1.50	0.50
5	अम्बाला सिटी	1.50	0.50
6	करनाल	1.50	0.50

7	यमुनानगर	1.50	0.50
8	पानीपत	1.50	0.50
9	सिरसा	1.50	0.50
10	जीन्द	1.50	0.50
11	गुड़गांव	1.50	0.50
12	हिसार	1.50	0.50
13	हांसी	1.50	0.50
14	सोनीपत	1.50	0.50
15	थानेसर	1.50	0.50
16	कैथल	1.50	0.50
17	कालका	0.65	0.35
18	जगाधरी	0.65	0.35
19	चरखी दादरी	0.65	0.35
20	शाहबाद	0.65	0.35
21	पलवल	0.65	0.35

22	फतेहाबाद	0.65	0.35
23	टोहाना	0.65	0.35
24	नरवाना	0.65	0.35
25	गोहाना	0.65	0.35
26	झज्जर	0.65	0.35
27	बहादुरगढ़	0.65	0.35
28	मण्डी डबवाली	0.65	0.35
29	नारनौल	0.65	0.35
30	पिहोवा	0.25	0.23
31	लाडवा	0.25	0.23
32	रादौर	0.25	0.23
33	छछरौली	0.25	0.23
34	बूरिया	0.25	0.23
35	साढौरा	0.25	0.23
36	बराड़ा	0.25	0.23

37	नारायणगढ़	0.25	0.23
38	पिंजौर	0.25	
39	शहजादपुर	0.30	0.23
40	बावल	0.25	0.23
41	फरूख नगर	0.25	0.23
42	सोहना	0.25	0.23
43	नूह	0.25	0.23
44	हैली मण्डी	0.25	0.23
45	पटौदी	0.25	0.23
46	तावडू	0.25	0.23
47	हथीन	0.25	0.23
48	हसनपुर	0.25	0.23
49	नगीना	0.25	0.23
50	पुण्डरी	0.25	0.23
51	घरौण्डा	0.25	0.23

52	नीलोखेड़ी	0.25	0.38
53	इन्दरी	0.25	0.23
54	असन्ध	0.25	0.23
55	तरावड़ी	0.25	0.23
56	बेरी	0.25	0.23
57	महम	0.25	0.23
58	कलानौर	0.25	0.23
59	फिरोजपुर झिरका	0.25	0.23
60	अटेली	0.25	0.23
61	कनीना	0.25	0.23
62	महेन्द्रगढ़	0.25	0.23
63	जाखल	0.25	0.23
64	उकलाना मण्डी	0.25	0.23
65	बरवाला	0.25	
66	कालांवाली	0.25	0.23

67	रानियां	0.25	0.23
68	रतिया	0.25	0.23
69	लौहारू	0.25	0.23
70	बवानी खेड़ा	0.25	0.23
71	तोशाम	0.25	0.23
72	सफीदों	0.25	0.23
73	उचाना	0.25	0.23
74	जुलाना	0.25	0.23
75	कलायत	0.25	0.23
76	गन्नौर	0.25	0.23
77	खरखौदा	0.25	0.23
78	होडल	0.25	0.23
79	समालखा	0.25	0.23
80	एलनाबाद		0.23
81	चीका		0.23

82	फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन		0.80
	कुल	45.00	25.00

Change in Syllabus

***694. Seth Ram Dass Dhamija**: Will the Minister of State for Education be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to change the sylabus of Primary, Middle and High/Higher Secondary Education and to lessen the number of subjects/books; if so, the time by which the said proposal is likely to materialize; and

(b) if the reply to part (a) above be in teh affirmative whether religious, cultural, social and technical education subjects are also being considered for inclusion in the revised course?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(क) जी हां, पहली से दसवीं कक्षाओं के पाठयक्रम परिशोधित हो चुके हैं।

(ख) नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक पहलुओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाना –

श्री रोशन लाल आर्य एम.एल.ए. की अभिकथित गिरफ्तारी सम्बन्धी

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब स्पीकर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी के श्री रोशन लाल आर्य को बिना किसी कसूर के गिरफतार यिका गया है। (विघ्न)

15.00 बजे

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, वे तो हाउस में बैठे हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: इन्हें जगाधरी में शुक्रवार को गिरफतार कर लिया गया था और 23 की रात को इन्हें अरैस्ट रखा गया। मैं समझती हूं कि यह बात सबसे पहले माननीय स्पीकर साहब के नोअिस में लानी चाहिए थी। हम सबको भी ये इत्तलाह करते। यह बड़ा भारी प्रिवलेज इशू बनता हैं जिस अुसर ने इस तरह की बात की है उसने बड़ी भारी बेकायदगी का काम किया है। जनाब, इस बारे में मैंने आपको लिख कर भी भेजा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मुझे अभी मिला नहीं है। मैं उसे कंसिडर कर लूंगा। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः एक लोकायुक्त बिल जो मैंने सबमिट कर रखा है, उसका रीकंसिडर करने के लिए आपने कहा था। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः स्पीकर साहब, एक बात मैं और अर्ज करना चाहती हूं। श्री डी.एन. तनेजा, एक फारैस्ट औफिसर हैं। उनके पिता जी बड़े बूढ़े हैं। उनकी उम्र करीब 62 साल की है। वे हथीन के पास गांव रूपड़ाकलां में सन् 19 48 से दुकान करते हैं। उस बूढ़े आदमी को एक नौजवान जिसके पास बंदूक का लाईसैंस है, हैरास करता है। उसे दुा 107 और 151 के तहत अरैस्ट भी किया गया और थाने में रखा गया। (शोर एवं विघ्न) चूंकि उस अफसर ने हाई कोर्ट में रिट कर रखी है इसलिए उसके बाप और घरवालों को हैरास किया जाता है। वह अफसर संरक्षण चाहता है। (विघ्न) स्पीकर साहब, आपके द्वारा ही हम सरकार का ध्यान दिया सकते हैं। इसलिए मैंने यह बात कही है।

श्री अध्यक्षः आप इस बारे में लिख कर दे दें।

चौ. भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने जो कहा है उसका मैं अभी जवाब दे देता हूं। रोशन लाल आर्य जी हाउस में बैठे हैं। ये बड़े काबिल और अच्छे व्यक्ति हैं। जगाधरी पुलिस स्टेशन में करीब 91 वकीलों को पकड़ा गया था। (विरोधी पक्ष से

शेम, शेम की आवाजें) शेम किस बात की? अध्यक्ष महोदय, सिकी को जुर्म करने की इजाजत नहीं हैं। (विघ्न) रोशन लाल आर्य जी उनसे मिलने गए थे। इनको बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। (विघ्न) मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वकीलों ने क्र हरकत की है। उन्होंने बाकायदा तहसील को घेर लिया। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमारे इसी इशू पर काल अटैन्शन मोशन्ज हैं। ये जो भी कहना चाहते हैं उनके जवाब में कहें। (विघ्न)

चौ. भजन लाल: मैं अभी बता देता हूं। उसके बाद शायद काल अटैन्शन मोशन्ज एडमिट करने की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैंने 22 तारीख का इसी इशू पर काल अटैन्शन मोशन दिया हुआ है। उसमें मैंने फोर वार्निंग दी थी कि वकील कोर्ट अरैस्ट देने जा रहे हैं। (शोर)

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, आपने मुझे इजाजत दी है। ये मुझे बीच में कैसे रोक सकते हैं? (विघ्न) बहन जी ने एक बात कही। उसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। (विघ्न) स्पीकर साहब ने मुझे इजाजत दी है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैंने उन सब काल अटैन्शन मोशन्ज पर सरकार से कमैन्टस मांगे हुए हैं। (विघ्न) पहले बहन जी ने रोशन लाल आर्य का नाम लिया इसलिये उसके ऊपर मैंने सी.एम. साहब

को जवाब देने के लिए अलाऊ किया क्योंकि यह एक आनरेबल मैम्बर की अरैस्ट के बारे में बात है। हाउस में भी काफी कातें इस सम्बन्ध में हुई हैं। इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी इस सम्बन्ध में पोजीशन ऐक्सप्लेन कर दें तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप चाहते हें कि काल अटैन्शन मोशन्ज के फैसले के बाद ही वे जवाब दें तो मुझे इस बात पर भी कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। पिछले हफ्ते भी मैंने जीरों आवार में यह प्वायंट उठाया था कि एक तहसीलदार की वजह से बहुत सारे वकीलों को हैरास किया जा रहा है। (शोर)

श्री मंगल सैन: * * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डा. मंगल सैन जी ने जो बात कही है वह रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) एक बात मैं कह दूं कि सभी मैम्बर्ज साहेबान थोड़ा सा कायदे से चलने की कोशिश करें। एक तरफ तो आप सारी की सारी बात कहना चाहते हैं और दूसरी तरफ जवाब नहीं सुनना चाहते। जब मैंने उनके जवाब को विदहोल्ड करवा दिया तो आप ये बातें कैसे कह सकते हैं? (विघ्न)

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, अब कोई वकील गिरफतार नहीं है। सबको छोड़ दिया गया है। (विघ्न एवं शोर)

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ससपैंडिड वाईस चांसलर के बारे में पेपर में यह आया है कि उन्होंने कई वी.आई.पीज. की टेलिफोनिक कन्वरसेशन टेप रिकार्ड की हुई है। It is a very serious matter. The Government must come forward to give a statement on this matter. अगर यह बात सच है कि उसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल है तो यह सरकार ने क्या मजाक बना रखा है? हरियाणा के एम.एल.एज. आज बाहर शकल नहीं दिखा सकते। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप आगर वाईस चांसलर को टेलीुान करें और वे टेप रिकार्डर लगा लें, तो आप क्या कर लेंगे? (विघ्न) ऐसी कोई बात नहीं। आप केवल अखबार की सुर्खी पर ही नाराज न हों। (विघ्न) जो आपने लिखकर भेजा है, उसको मैं ऐग्जामिन कर लूंगा।

Sh. Mangal Sein: I have submitted a call attention motion in this regard to you, Sir (Interruptions).

Mr. Speaker: That, I will consider.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर को बहुत कम टेलीफोन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई दफा अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिवली या किसी अन्य वजह से हालात कुछ ऐसे हो तो चीफ मिनिस्टर या

सिकी और मिनिस्टर को टेलीफोन भी करना पड़ता है। अगर उसको भी कोई टेप करे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सरकार ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। (विघ्न) अगर टेप कोर्ट में आएंगे तो हम जवाब देंगे। हर टेप का जवाब हमारे पास है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो यूनिवर्सिटी की औटोनोमी में दखल देती हो।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, कृपया मुझे भी टाईम दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इनके कारनामों के बारे में तो हमारे पास यह इश्तिहार मौजूद है।

(इस समय श्री वीरेन्द्र सिंह तथा श्री मंगल सैन जी ने हाउस में इश्तिहार लहराए।)

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, मेरे पास भी इनके पोस्टर का जवाब है। (शोर)

(इस समय डा. ओम प्रकाश शर्मा ने भी एक इश्तिहार दिखाया तथा उसकी प्रतियां सदस्यों में बांटी।)

श्री अध्यक्ष: डा. ओम प्रकाश जी आप बैठिए।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, मुझे भी कुछ कहने दें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए (विघ्न) देखिए, ट्रेजरी बैंचिज को भी चेयर को डिुाई करने का कोई हक नहीं है। डा. ओम प्रकाश जी मैं महसूस कर रहा हूं कि कई दुफा आप बागी हो जाते हैं। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह इनके कारनामों का नमूना है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप मेरे से डबल स्टैन्डर्ड चाहते हैं। (विघ्न) मैं डा. मंगल सैन जी को कह रहा हूं। देखिए एक तरफ तो आप इश्तिहार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जितनी देर तक आपके काल अटैन्शन मोशन्ज का जवाब न आ जाए उतनी देर तक कोई इस बारे में जबानी बात हाउस में न आए। जब आप हैन्ड बिल्ज और इश्तहार वगैरह दिखाओगे तो मुझे मजबूर हो कर और रूल्ज को इग्नोर करते हुए डाक्टर ओम प्रकाश को टाईम देना पड़ेगा।

चौ. सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, एक तहसीलदार का मामला हाउस में उठा है। उधर अपोजीशन की ओर से भी पम्फलेट बांटे जा रहे हैं और हमारी तरफ से भी बांटे जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी स्टेटमैंट दे दें तो हाउस की तसल्ली हो जायेगी। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी चाहे आज स्टेटमैंट दें या

कल दें लेकिन ये जब भी स्टेटमैंट दें, मुझे भी टाईम दें क्योंकि बार एसोसिएशन के लोगों ने मुझे भी इन्वायट किया था और मैं भी उस बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, ट्रेजरी बैन्चिज के लोगों ने हाउस में इश्तिहार बांटे और दिखाये हैं। क्या इस तरीके से इश्तिहार बांटे या दिखाये जा सकते हैं? डाक्टर ओम प्रकाश और टैक्सेशन मिनिस्टर ने इश्तिहार बांटे हैं। मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूंगी कि क्या इस तरह से इश्तिहार बांटे जा सकते है? (विघ्न) इन लोगों ने बांटे हैं। हमारे लोगों ने नहीं बांटे।

श्री अध्यक्ष: मुझे बड़ा अफसोस है कि लीडर आफ दि अपोजीशन ऐसी बात कह रही हैं। आपके सामने ही अपोजीशन के लोग हाउस की टेबल पर इश्तिहार रखने के लिए आये हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमने हाउस की टेबल पर रखा है, हाउस के अन्दर बांगे नहीं।

श्री अध्यक्ष: दोनों तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमने प्रोपर प्लेस पर *रखा है। (विघ्न) जो कुछ भी हमने लिखा है, वह रूल्ज के अनुसार किया है। (विघ्न) आपकी प्रमिशन के बिना हमने कुछ भी नही किया है।

श्री अध्यक्ष: मैंने इसके लिए परमिशन नहीं दी है।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

चौ. रोशन लाल आर्य द्वारा

चौ. रोशन लाल आर्य: आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एकसप्लेनेशन, सन। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन 23 तारीख को सैशन समाप्त हुआ मैं घर जा रहा था। मैंने यमुनानगर के रास्ते में तहसील के सामने कुछ वकीलों को नारे लगाते हुए देखा। इन वकीलों में से 102 वकीलों को पुलिस वाले पकड़ कर थाने में ले गये थे और दस बारह वकील खजाने के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे थे। मैंने अपनी कार घर को भेज दी और वकीलों से बात की। उनसे बात करने के बाद में पुलिस स्टेशन गया। वहां वकीलों से पूछा कि क्या बात हो गई? उन्होंने बताया कि एक बहुत करप्ट और भ्रश्ट तहसीलदार ळे उसके खिलाफ डी.सी. और कमिश्नर साहब ने भी रिपोर्ट लिखी है कि इसे डिसमिस किया जाये। बहुत गलत आदमी है लेकिन इसे यहां के एक स्थानीय एम. एल.ए. का संरक्षण प्राप्त है। मैंने वहां पर काह कि अगर आप वकीलों को पकड़ोगे तो मुझे भी गिरफतार कर लो। उन्होंने कहा कि कितने ही एम.एल.ए. आजाओं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सारी रात पुलिस स्टेशन में रहे। सुबह जेल भी चले गये लेकिन जब हम जेल के गेट पर पहुंचे तो मेरे बारे में कहा गया कि आप जेल में नहीं जा सकते क्योकि हमें संदेश आया है कि सैशन चल

रहा है, इन्हें गिरफतार न किया जाये। स्पीकर साहब, मैंने उनको कहा कि जब मैंने सारी रात थाने में काटी तो अब जेल जाते समय क्येां रोक रहे हो? आपने मुझे हवालात में किस बिना पर रखा था। उन्हौंने फिर यही कहा कि आपको हमने अरैस्ट नहीं किया था। मैंने कहा कि अगर आपने अरैस्ट नहीं किया था तो मुझे सारी रात क्यों रखा? स्पीकर साहब, इस जुल्म के खिलाफ मैंने 24 घंटे की भुखहडताल भी रखी। हरियाणा के वकीलों ने हड़ताल की। जिनका कोई कसूर नही था, उन्हें जेल भेजा गया है। इसी बिना पर हाई कोर्ट के वकीलों ने भी हड़ताल की है। वहां के वकीलों का कोई कसूर नहीं था। एक भ्रश्ट आदमी के खिलाफ प्रमाण हैं। अगर प्रमाण न होते तो मैं कोई बात न कहता। ऐसे आदमी को डिसमिस किया जाये और गिरफतार किया जाये। सरकार ऐसे जालिम को निश्पक्षता से सजा दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। एक एम.एल.ए. ने आगस्ट हाउस के फलोर पर यह कहा है कि मुझे रात भर पुलिस स्टेशन में रखा गया और उसे यह भी कहा गया कि एक एम.एल.ए. नहीं, चाहे अपोजीशन सारे एम.एल.एज. ले आये, उन्हें भी हम गिरफतार कर लेंगे। उसने कोई परवाह नहीं की। उस अफसर ने बड़ा गलत काम किया है। मैम्बरों के कई प्रिविलेज हैं। अगर कोई एम.एल.ए. पकड़ा जाता है तो you are the proper authority to be informed within 24 hours. This

House has been flouted liek anything and the person who is guilty for this action must be taken to task.

श्री अध्यक्ष: मैं सारे हाउस के सैन्टीमेंटस को महसूस कर रहा हूं। अगर किसी अधिका की कोताही हुई तो मैं पूरा एक्शन लूंगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जो काल अटैन्शन मोशन दी है, वह कमैन्टस के लिए भेज रखी है। अगर मैंने वह अलाऊ भी कर दी तो भी चीफ मिनिस्टर साहब उस पर स्टेटमेंट देंगे। अगर चीफ मिनिस्टर साहब अब स्टेटमैंट देने के लिए तैयार हैं तो इन्हें सुन लेना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमने कला अटैन्शन मोशन में बहुत बातें लिखी हुई हैं। अगर वे सारी बातों का और जो हम सवाल पूछें उनका जवाब दे दें तो वे अब स्टेटमेंट दे दें।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। स्पीकर साहब, हाउस में बाकायदा रूल्ज को फलाउअ किया गया है। कांग्रेस के लोगों ने इश्तिहार बांटें हैं। अपोजीशन के लोगों ने इश्तिहार नहीं बांटे। (शोर एवं विघ्न)

वक्तव्य –

मुख्यमंत्री द्वारा जगाधरी के वकीलों द्वारा हड़ताल सम्बन्धी

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, श्री रोशन लाल आर्य ने कहा है कि इन्हें भी गिरफतार कर लिया गया। इसको यानी रोशन लाल आर्य जी को बार बार यह कहा गया कि आपको हम गिरफतार नहीं करते। आप मेहरबानी करके चले जाओ लेकिन रोशन लाल जी ने कहा कि नहीं मैं भी वकीलों के साथ थाने में ही सोऊंगा। मैंने इस बारे में पूरी इन्क्वायरी की है। एक एम.एलए. का सम्माल होना चाहिए लेकिन ये धक्के से गाड़ी में बैठ गये और उन्हें जेल के अन्दर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि जेल में वे लोग जायेगें जिनका नाम इस लिस्ट में है। इनका नाम लिस्ट में नहीं था। अध्यक्ष महोदय, वकीलों का एक डेपुटेशन रात मेरे पास आया। (विघ्न) वहां पर के.डी. शर्मा तहसीलदार लगा है। उसके प्रति वकीलों में कुछ रोश था। कुछ दिनों पहले बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मपति से प्रस्ताव पास किया कि इस तहसीलदार को बदल दिया जाए लेकिन अगले दिन फिर 41 वकीलों ने प्रस्ताव पास किया कि इसको न बदला जाये। एक तरफ तो तहसीलदार के हक में प्रस्ताव है और 41 वकीलों ने दस्तखत किये हैं कि यह निहायत ईमानदार आदमी है और इस तहसीलदार को न बदला जाये। अध्यक्ष महोदय, वकीलों ने वहां पर स्ट्राइक की और तहसील आफिस के अन्दर कलर्को को यानी सबको डरा कर बाहर निकाल दिया। कुर्सी और मेजें तोड़ दी। किसी आदमी और आफिसर को अन्दर नहीं आने दिया। वहां डी.सी. मौके पर पहुंचा। उसने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि आप लोग कानून को समझते हैं। आप मेहरबानी करके कानून को हाथ में लेने की

कोशिश न करें। बार बार कहने पर भी नहीं समझे, केस तो उन पर कुछ ज्यादा बनता था लेकिन पुलिस को मजबूर होकर दुा 107/151 में उन्हें पकड़ना पड़ा। (विघ्न) उसके बाद अध्यक्ष महोदय आज मेरे पास पंजाब एन्ड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रैजीडेन्ट और पांच वकील आये थे उन्होंने कहा कि इन वकीलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी किया है, वह मुनासिब नहीं है। आप इस मुकदमें को खत्म करो। मैंने कहा कि पहले वे स्ट्राइक खत्म करें। हमें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। इस तरह से कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी? अभी मुझे इत्तलाह मिली है कि स्ट्राइक खत्म हो गई है और मेरे पास लिखा हुआ आया है कि डी.सी. अम्बाला ने उन्हें छोड़ दिया है। सारे के सारे वकील अपने घरों को जा रहे हैं।

श्री मंगल सैन: मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है कि वहां पर एक तहसीलदार के खिलाफ प्रस्ताव कुछ वकीलों ने पास किया। कुछ और वकीलों ने एक दूसरा प्रस्ताव पास कर दिया। स्पीकर साहब, जब एक रैवेन्यू आफिसर या तहसीलदार के बारे में कन्ट्रोवर्सी खड़ी हो जाये और वह इतनी बढ़ जाये कि वहां का एम.एल.ए. भी उसमें इन्टरफीयर कर दे, क्या ऐसे मामले में आप उचित नहीं समझते कि उस आदमी को वहां से हटा दिया जाये क्योंकि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यह जरूरी है कि कन्ट्रोसर्शियल आदमी को वहां पर न रखा जाये। (व्यवधान एवं शोर) ..... स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से यह

जानना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ व्यू से जगाधरी में जहां पर सारे शहर ने हड़ताल की है क्या उस तहसीलदार को बदलना उचित नहीं होगा? बुकला साहेबान सोसाइटी की क्रीम होते हैं। इन्टैलीजैट लोग होते हैं? अगर उनकी तरफ से कुछ किया जाता है तो यह कहा जाता है कि उन्होंने ला एंड आर्डर अपने हाथ में ले लिया। इस बात को एप्रीशियेट ही नहीं करते कि वह क्यों ला एंड आर्डर हाथ में लेने पर आमादा हुए। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिये।

श्री मंगल सैन: जनाब, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सब बातों की रोशनी में वे इसी सदन में एलान करेंगे, जैसे कि उन्होंने बुकला साहेबान को रीलीज करने की बात हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन की बात मान कर कर दी, उन्होंने भी शायद उन वकीलों के ऐक्शन को एप्रीशियेट न किया हो, उसको वहां से हटाने की घोशणा करेंगे।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को एप्रीशियेट करेंगे कि यह घोशणा करने की बात नहीं है। सैशन के बाद हम कोशिश करेंगे कि जनरल ट्रांसफर्ज के समय, यानी अप्रैल में जब भी ये ट्रान्सफर्ज होती हैं तब उस कन्ट्रोवर्शियल तहसीलदार को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि अप्रैल में जब जनरल ट्रान्सफर्ज होंगी, तब हो जायेगी। तब विचार करेंगे। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: आप उनकी बात को एप्रीशियेट तो करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: * * * * (व्यवधान व शोर) इन्होंने यह कहा है कि जो वुकला साहेबान ने पहला रैजोल्यूशन कम्पलेंट का किया, उस पर उस तहसीलदार को वहां से बदल दिया गया। 31 दिसम्बर को वह तहसीलदार वहां से ट्रांसफर हो गया लेकिन उसके 21 दिन बाद तक वह वहां रहा। वहां के लोकल एम.एल.ए. के थ्रू उसने आपके ऊपर प्रशन डाला और उनके आर्डर्ज कैंसिल हो गये। 21 दिन के दौरान उस तहसीलदार ने कई सैंकड़ रजिस्ट्रियां की जब कि वह ट्रांसफर हो चुका था और उसकी ट्रांसफर अभी कैंसिल नहीं हुई थी। कहने का मतलब यह है कि वह उस दौरान रजिस्ट्रियां भी करता रहा। एक तो यह बतायें कि क्या वे वैलिड हैं और सैकण्डली यह भी बतायें कि कया यह जरूरी है कि वह अप्रैल तक यानी जनरल ट्रांसफर्ज तक वहां पर काम करता रहे। इस हाउस का यह ख्याल है कि उसकी अगर पहले बदली हो जाये, तो कोई हर्ज नहीं है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अप्रैल में न कोई साल या महीना ही रहता है। 5 दिन के बाद अप्रैल शुरू हो जाना है। जैसे मैंने कहा है कि अप्रैल में जनरल ट्रान्सफर्ज जब होगी, उस

समय हम जो वह कन्ट्रोवर्शियल आदमी है, उसको वहां पर नहीं रखना चाहिये, इस पर जरूर विचार करेंगे। जाहं तक उसकी बदली की बात का ताल्लुक है, यह बात ठीक है कि पहले इस तहसीलदार की ट्रांसफर हुई थी लेकिन उसने अभी चार्ज नहीं छोड़ा था। जैसे उन्होने यह कहा है कि वह वहां पर काम करता रहा। जब दूसरा आदमी आकर बैठ जाये लेकिन जब तक पहला आदमी चार्ज न छोड़े तो पहला आदमी कात नहीं छोड़ता। – (व्यवधान व शोर) आप लोग मेहरबानी करके मेरी बात सुनने की कृपा कीजिये। इन्होंने जो कुछ इस बारे में कहा है, वह गलत है। एक आदमी को एडमिनिस्ट्रे ान ने वहां पर लगा दिया। उस आदमी ने वहां पर आकर ज्वायन कर लिया। लेकिन जो वहां पर पहला तहसीलदार था, उसने चार्ज हैंड ओवर नहीं किया। जब तक कोई चार्ज हैड ओवर नहीं करता, तब तक वह वहां पर वर्क कर सकता है। यह ठीक बात है कि डाक्टर ओम प्रकाश जी इस बारे में मेरे पास आये। इन्होंने यह कहा कि इसके बच्चे अभी वहां पर स्कूलों में पढ़े हैं, उनको बड़ी दिक्कत होगी, इनके इम्तहान हो जाने दीजिए। मैंने इनके कहने पर वह ट्रांसफर अप्रैल में जब जनरल ट्रांसफर्ज होंगे तब तक के लिए रोक दी। जैसे मैंने अभी कहा है, अप्रैल में जब जनरल ट्रांसफर्ज होंगे तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि ऐसे कन्ट्रोवलर्शियल आदमी को वहां पर न रहने दिया जाये। (व्यवधान व शोर)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

डा. ओम प्रकाश शर्मा द्वारा

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, वैसे तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे विपक्ष के भाई चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने इस बारे में मेरी रैफरैंस कर दिया। मैंने चौ. वीरेन्द्र सिंह जी को, जो हमारे इस सदन के बहुत पुराने मैम्बर है दावत दी थी कि आप मेरे साथ चलें मैं आपको वहां की बार एसोसिएशन में ले चलता हूं। वहां पर जाकर आप देख लें कि वहां कि क्या हालत है आप इस बारे में जो भी फैसला करेंगे, वह मुझे मन्जूर होगा। ..... (व्यवधान व शोर) .....

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, वहां पर जो भी जाता था, पकड़ा जाता था।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, जगाधरी सब–डिवीजन में इस वक्त जो जो वकीलों की वोटर्ज लिस्ट है, उसमें 157 मैम्बर्ज हैं। उनमें से आधे बुकला साहेबान तो ऐसे हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 50 प्रतिशत वकील ऐसे भी है जो बिल्कुल ब्रीफलैस हैं जिनके पास एक भी लिफाफा नहीं हैं। घर से सुबह एक या दो रूपये जेब में डालकर चलते हैं वहां पर आते हैं ओर चाय–पानी पीकर चले जाते है। (व्यवधान व शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा प्वायंअ आफ आर्डर यह है कि किसी भी मैम्बर की एज ए क्लास

किसी को भी गाली देने और उनके लिए गलत लफज इस्तेमाल करने का हक नहीं है।

श्री अध्यक्षः इसमें इन्होंने कोई गाली नहीं दी है। आप भी वकील रहे हैं। आपको भी पता है कि पहले दो साल तो वकील साहेबान घर से पैसे लेकर जाते हैं। इनीशीयल स्टेज में हर वकील घर से पैसे लेकर जाता है। आप ही बताइये, इसमें क्या गलत बात है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा है कि 50 प्रतिशत ऐसे वकील हैं जो घर से एक दो रूपये लेकर जाते हैं यह गलत बात है।

श्री मंगल सैनः आन ए प्वायंट आुर आर्डर सर, स्पीकर साहब, मैं आपकी इस बारे में डैफिनिट रूलिंग चाहता हूं कि मेरे लायक दोस्त ने जो फरमाया है उससे आधे वकीलों के ऊपर एक प्रकार से इन्होंने इन–सिनुएशन की है, क्या कोई सिी प्रोफैशनल आदमी के ऊपर ऐसे कीचड़ उछाल सकता है। विशेशकर आपकी अध्यक्षता में जिसकी तीन पीढ़ियां वकील रही हैं, इस बात को कहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब एक बात मेरी सुन लीजिए। यह जो बात आपने कही है, इसे मैं खुद मानता हूं कि हम तीन पीढ़ियों से वकील हैं। मुझे ऐसे ऐसे वकीलों का पता है जिनकी वकालत आजकल तो 20–20 हजार रूपये हैं लेनिक पहले कभी

उनको भी इस तरह से घर से पैसे लेकर जाना पड़ता था। मुझे खुद उन्होंने यह कहा कि 1.–10 साल तक हम लोहें की कुर्सी पर बैठकर लौट आते थे। घर वाले भी हमसे तंग आ चुके थे। हमारे एक जानकार भीमसेन मेहरा जालन्धर के हैं। वह ला–कालेज के प्रोफैसर थे। उनके यह शब्द थे कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उनके बुजुर्ग यह कहते थे कि तुमको अगर हम खेती में डाल देते तो अच्छा था। अब उनकी यह पोजीशन है, व यह बता रहे थे, कि अगर हमारे पास 10 और वकील भी लग जायें तो वह भी अच्छा कमा सकते है। नये वकीलों में यह स्टेज आती ही है जब उनको घर से खाना पड़ता है। यह कोर्ठ गलत बात नहीं है।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, वहं पर कुछ वुकला साहेबान बड़े अच्छे घरों से ताल्लुक रखते हैं। वे घरों से कारों में भी बैठकर आते हैं और जाते हैं। मगर बदकिस्मती उनकी यह है कि उनको प्रैक्टिस चलती नहीं है। स्पीकर साहब, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास घर में कोई साधन नहीं है। वे प्रैक्टिस को छोड़कर कोई और साधन कैसे बनाएंगे। प्रैक्टिस से साधन नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस चलती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 45 वकीलों का एक डैपुटेशन आया और उन्होंने मुझे वह रिप्रिजैन्टेशन दिया है। यह रिप्रिजैन्टेशन जगाधरी बार एसोसियेशन की तरफ से दिया गया है। जो कुछ इसमें लिखा है वह मैं सदन में पढ़ देता हूं। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: पढ़ने की कोई बात नहीं है, I will not allow it. (व्यवधान व शोर)

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, यह वकीलों की तरफ से है और इस पर 41 वकीलों के दस्तखत हैं (व्यवधान व शोर)।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावना कैसी ही हो। मैं मानता हूं कि आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं मानता हूं कि आप औनेस्ट हैं। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है। उसको पढ़ने से क्या बात होगी इसका कुछ पता नहीं है (व्यवधान व शोर)।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, यह सिर्फ रैजोल्यूशन हैं। इसमें कफद नहीं है। 41 वकीलों के इस पर दस्तखत हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन की इंफरमेशन के लिए इसका पढ़ा जाना बहुत जरूरी है।

Mr. Speaker: Please do not read it. मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आप बैठ जाएं (व्यवधान व शोर)।

चौ. सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कया आपने पढ़ने की इजाजत दे दी है?

Mr. Speaker: I have not permitted him to read any paper.

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, मैं इसको पढ़ता नहीं हूं लेकिन इसको मैं आपकी टेबल पर जरूर भेज देता हूं।

श्री अध्यक्ष: भेज दे मैं देख लूंगा।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, तहसीलदार जगाधरी की तबदीली को रूकवाने के लिये मेरे पास 45 वकील आए ओर उन्होंने आकर यह कहा कि जगाधरी का तहसीलदार श्री के.डी. शम्र बहुत ईमानदार अफसर है। बहुत निडर है, काबिल है और बहुत सुलझा हुआ आदमी है। उन्होंने यह भी बताया कि जगाधरी बार एसोसिएशन का प्रधान जगाधरी के तहसीलदार के पीछे पड़ा हुआ है।

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर। स्पीकर साहब मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि इस सदन में जो भी कार्यवाही होगी वह रूल्ज के मुताबिक होगी। जब आपने हमारे काल अटैन्शन मोशन पर हमें बोलने का मौका दिया तो हमने सिर्फ यह कहा था कि ये भी उसमें इंवाल्वड हैं। इनके बारे में हमने कुछ भी नहीं कहा। कोई इंसिनुएशन नहीं की। आपने इनको बोलने का मौका दिया। अगर ये पर्सनल ऐक्सप्लैनेशन दे रहे हैं तो उसमें यह कहना कि तहसीलदार ईमानदार था या कहां तक उचित है? यह बात कहां से टपक पड़ी (शोर व व्यवधान)। कया हम समझें कि वह इनका दोस्त है।

श्री अध्यक्ष: मैं कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि मैं किसके मुंह को लगाम लगा सकता हूं। मैं तो खड़ा होकर कह रहा हूं कि इस हाउस में कुछ डैकोरम रखें।

श्री मंगल सैन: आप पार्लियामैंन्टरी अफैयर्ज मिनिस्टर्ज को कहें कि वह इनके खिलाफ मोशन मूव करें। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मुझे क्यों इन्वाल्व करते हैं? (शोर व व्यवधान)।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, वह तहसीलदार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आनरेबल मैम्बर डा. मंगल सैन ने एक बात कही कि वह इसका दोस्त है। स्पीकर साहब, मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप इस सारे मामले की इंक्वायरी किसी रिटायर्ड सीनियर सब–जज से करवा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल सके। (शोर व व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: लीडर आफ दि हाउस ने सारी बात ऐक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद तहसीलदार के मामले के बारे में कोई न बोले। इस मामले के अलावा अगर किसी ने कुछ और बोलना है तो वह बोल लें।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी ने करप्शन के बारे में बहुत कुछ कहा था। मैं उनको कांगरेचुलेट तो नहीं करता लेकिनि उनके जैस्चर को ऐप्रीशिएट करता हूं। मैं भी एक ऐसा केस चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि कल तक वे इसका जवाब हाउस में दे देंगे। * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड नहीं किया जाएगा (शोर व व्यवधान)। कल की किसी और औफिसर के मुताबिक कहा जाएगा कि वह दस लाख ले गया, फलां बीस लाख ले गया, there will be no end of such things.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, अगर चैकिंग भी की है तो सरकार ने की है। चैंकिग के बाद कोई भी दोशी पाया जाएगा तो जरूर ऐक्शन होगा। कोई भी मैम्बर लिखकर भेज दे, उसका जवाब दिया जाएगा (शोर व व्यवधान)। मैं सदन का बताना चाहता हूं कि जो भी कसूरवार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। (शोर व व्यवधान) सबको पता है कि जंगलात के मामले में क्या झमेला था (शोर व व्यवधान)।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, कल अखबार में आया था कि ट्रांसपोर्ट अथौरिटी, फरीदाबाद, परमिटस इशू कर रहा है। वहां पर बड़ा भारी घपला है।

श्री अध्यक्ष: क्या आपने लिखकर भेजा है?

श्री हीरा नन्द आर्य: जी हां (शोर व व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: मैं कंसीडर करूंगा।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, अगर किसी आनरेबल मैम्बर के नोटिस में कोई बात आती है तो वह शिकातय लिखकर भेजे उसका जवाब दिया जाएगा। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, कोई एम.एल.ए. हो, कोई अधिकारी हो, जो भी कसूरवार मिलेगा उसको माफ करने का कोई सवाल नहीं है लेकिन सदन में खड़े होकर यह कहने कि फलां खराब है, फलां अफसर रिश्वत लेता है इसका कोई मतलब नहीं है। सब मेरे साथी हैं चाहे इधर के हैं या चाहे उधर के हैं। सबको सदन में मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए ताकि कोई बात समझ में आ सके। यह कह देना कि फलां अफसर ऐसा है, यह ठीक है। अगर कोई खराब है तो लिख कर भेज दें। अगर आज लिखकर देंगे तो मैं उसका जवाब कल जरूर दूंगा। किसी अफसर का नाम लेना या उसके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता।

श्री अध्यक्ष: यह आज कुछ ज्यादा ही लिबर्टी ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बदमजगी पैदा हो। थोड़ा सा कोआपरेट करने की कोशिश करें। एक मैम्बर यदि खड़ा होकर बिना इजाजत के बोलने लग जाए तो यह ठीक बात नहीं है। जो भी आपकी जायज

बात है उस पर पूरे ध्यान से गौर किया जाएगा। हाउस का मजाक न बनाए। अब मैं थोड़ा स्टर्न ऐक्शन लूंगा।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं इस बारे में यहां पर बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपकी इजाजत के बगैर पिछले एक घंटे से किस तरह से हाउस की प्रोसीडिंगज चल रही है। दोनों तरफ से ही इस तरह की नाखुशगवार बातें हुई हैं। मुझे अफसोस है कि मैम्बर्ज की तरफ से कुछ ऐसी बातें कहीं गयी जिससे आपको ठेस पहुंची और हाउस का डेकोरम बिगड़ा। यह कोई अच्छी बातें नहीं हुई हैं। अपनी हद को हम लोग ट्रांसग्रैस कर रहे हैं। इसलिये हमें इ स हाउस के सभी लीडर आफ दी पार्टीज की एक इकट्ठी मीटिंग बुलानी चाहिये चाहे सेशन के बाद या मारनिंग में किसी टाईम भी यह मीटिंग बुला ली जाए ताकि इन सभी मामलों पर विचार विमर्श किया जा सके कि हाउस की कार्यवाही को रूल्ज के तहत किस तरह से चलाया जाए। रूल्ज की पालना किस तरीके से की जाए। हाउस के डेकोरम को किस तरीके से मेनटेन किया जाए। यह स्पीकर साहब, मेरी एक सुजैशन हैं। यह बहुत ही जरूरी है। अगर आप ठीक समझें तो ऐसा कर लें। इसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से यहां हाउस की कार्यवाही को, प्रोसीडिंगज को शान्तिपूर्वक चलाने के लिए पूरा आश्वासन देता हूं कि हमारा आपके साथ पूरा पूरा कोआपरेशन

होगा। इसी तरह की आशा हम अपोजीशन के भाईयों से भी करते हैं कि वे भी यहां हाउस की कार्यवाही चलाने के लिए हमें पूरा पूरा सहयोग देंगे। इसलिये मेरी यह सुजैशन है स्पीकर साहब, कि हम इस मामले को शान्तिपूर्वक ढंग से निपटाने के लिए एक मीटिंग कर लें।

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मैंने स्टार्ड क्वैश्चन न. 571 पर आधे घंटे की डिस्कशन मांगीं थी। वह आपने डिस–अलाउ कर दी हैं। मैं कल 84 का मोशन जोकि फारैस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के बारे में था, मैंने वह मोशन 23–3–84 को दिया था कि इस बोर्ड की फायनैनशियल पोजीशन क्या है, इस बारे में बताया जाए। स्पीकर साहब, न तो वह मेरा मोशन एडमिट हुआ है और न ही मुझे उसका अभी तक कोई जवाब ही मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे उस मोशन की फेट क्या है?

श्री अध्यक्ष: वह आपका मोशन डिस–अलाउ कर दिया गया है। उसका जवाब आपको मिल जाएगा। (शोर व व्यवधान)

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने इस हाउस में पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी जो कि जले हुए ट्रांसफारमर्ज को रिप्लेस करने के सम्बन्ध में थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि कि 13.7.83 को बरोट गांव में एक ट्रांसफारमर जल गया था (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सैनी साहब, यह इंडीविजुअल स्माल मैटर है जो इस हाउस में कहने वाली बात नहीं है। आप इनसे मिल सकते हैं और बात कर सकते है। (शोर एंव व्यवधान)

चौ. साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, वह ट्रांसफारमर 16–12–83 को रिप्लेस किया गया और इतने बीच के समय के बिजली बोर्ड ने उन लोगों से 6 महीनों के बिल भी चार्ज किये हैं जब कि केलव ट्रांसफामर जलने के एक महीने तक के बिल तो चार्ज किये जा सकते हैं। अब लोगों ने बिजली बोर्ड के चेयरमैन को यह नोटिस दिया है कि उन लोगों के जो 6 महीनों के पैसे बिल के रूप में लिये गये हैं, वे वापिस किये जाएं। क्या मंत्री महोदय इस बारे में हाउस को अवगत कराएंगे।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इस बारे में कल हाउस में बता सकता हूं।

चौ. ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मैंने 22.3.84 को बेरी हल्के में गन्दा पानी सप्लाई किये जाने के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दिया था, मैं उसका फेट जानना चाहता हूं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह मैंने डिस–अलाउ कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी सुरजेवाला साहब हाउस की कार्यवाही को चलाने के लिये, हाउस के डकोरम को

मेनटेन करने के लिये जो सुजैशन दे रहे हैं, वह एक बड़ी अच्छी बात थी। जब वे बोल रहे थे तो उस वक्त मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। इस हाउस को चलाने में स्पीकर साहब आपको कुछ असुविधा सी हुई, इसके लिये हम सब हाउस के मैम्बर क्षमा चाहते हैं, हम सबका आपके साथ पूरा पूरा सहयोग है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप ही बताएं कि एक साथ खड़े होकर 5, 7 मैम्बर्ज यदि बोलने लग जाएं तो क्या यह कोई अच्छी बात है और फिर मेरे कहने पर भी कोई न बैठे (शोर एवं व्यवधान) मैंने इसको महसूस किया है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुझे यह कहते हुए बड़ा ही कश्ट हो रहा है कि आपको हमारे लिये इस तरह की भावना बनानी पड़ी। हम यह कोशिश करेंगे कि आपकी जो हम सबके लिये ऐसी भावना बन गई है, वह भावना ठीक हो जाए। स्पीकर साहब, बार बार ट्रेजरी बैन्चिज की तरफ से सदन में यह कहा जाए जैसी कि भाई लछमन सिंह जी ने कुछ कहा, और मुख्यमंत्री महोदय ने उठकर यह कह दिया कि हम उनको सजा देंगे। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई स्फैसिफि और डैफिनिट मैटर उनके नोटिस में लाया जाएगा तो क्या सरकार ऐक्शन लेगी? अगर सरकार कुछ नहीं कहती तो फिर, स्पीकर

साहब, आप ही हमें ऐसा कोई रास्ता दिखा दें जिससे कि हम अपने प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, मुख्यमंत्री महोदय कई दफा यहां हाउस में कह चुके हैं कि कोई मैम्बर अगर कोई इररैगुलैरेटीज उनके नोटिस में लायेगा तो वे ऐक्शन लेंगे। दूसरी बात उन्होंने करप्शन के बारे में यह कही है कि उन्हें कोई स्पैसीफिक इन्सटान्स दें तब वह ऐक्शन लेंगे। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि कम्बोज साहब एक ही कागज को बार बार लिये हुए इस हाउस में खड़े होकर बोल रहे हैं और उन्हीं पुराने कागजों को ही दिखा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री लछमन सिंह कम्बोज फिर कुछ बोलने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker: Please sit down. (Noise and Interruptions).

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, आपने ऐसे की कैसे प्रिजूम कर लिया कि कम्बोज साहब वहीं पुराने कागजों को उठ उठ कर दिखा रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Ch. Verender Singh, please sit down. I have not allowed you. I know what papers he has got with him. (Noise) आप लोग तो इस तरह से उठकर खड़े हो जाते हैं और

बोलने लगते हैं जैसे कि हाउस में कोई रूल ही न हों? (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, * * * * (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, यह आपने कैसे प्रिजूम कर लिया कि कम्बोज साहब ने जो कागज पिछले दिनों में दिखाये थे, वही दिखा रहे हैं। मैं आपको यह कागज भिजवा सकता हूं। ये कागज पहले वाले नहीं हैं। मैं पूरे अदब के साथ आपको यह कहना चाहता हूं कि ये कागज डाक्टर ओम प्रकाश एम.एल.ए. से सम्बन्धित हैं जो तहसीलदार ने उनके नाम रजिस्ट्री की है। यह उसी रजिस्ट्री के रिकार्ड के कागज हैं जोकि वे दिखा रहे हैं। अगर आप बिना देखे वहीं पर बैठे यह प्रिजूम कर लें तो यह आप जैसे संजीदा आदमी के लिये शोभा नहीं देता। आप अपने आपको पहले सैटिसफाई कर लीजियेगा कि ये पेपर्ज कौन से हैं, फिर कोई बात कहे (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: चौ. वीरेन्द्र सिंह जी, मैं सारी बात को समझता हूं लेकिन अगर आप यह समझें कि एकदम 5–6 मैम्बर खड़े होकर बोलने लग जाएं तो इन हालात में मैं उनको इस तरह बोलने के लिये अलाऊ नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कम्बोज साहब तो अकेले खड़े थे और वे तो आप का ध्यान आकर्शित करना चाहते थे और आपने उनकी तरफ देखा ही नहीं। यह कोई शिवनारायण

बिश्नोई का मामला नहीं था। आपने कहा कि वे तो पुराने कागज पत्र ही ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी। वह तो तहसीलदार को ही डिफैन्ड कर रहे थे जिसने यह रजिस्ट्री की है और वही डाकुमैन्टस वे अपने साथ ले रहे थे। उस तहसीलदार ने एक बेसहारा औरत की 5 कैनाल जमीन की रजिस्ट्री की है। (शोर एवं व्यवधान)

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, अगर ये इसमें किसी भी प्रकार की हेरा–फेरी दिखा दें, साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सरकार को चाहिये कि वह किसी फलाईंग स्क्वैड के जरिये विजीलैन्स के द्वारा इस बात की इन्क्वायरी करवा लें। यदि मैं दोशी पाया गया तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, वरना ये देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: साहेबान बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि चौ. वीरेन्द्र सिंह जी इनको स्पोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी तहसीलदार ने किसी मैम्बर के हक में रजिस्ट्री की है तो कौन सा जुर्म किया है? कौन सा जुर्म बनता है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपने कहा कि 6 आदमी इकट्ठे बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने यह इसलिये स्पोर्ट किया था क्योंकि वे आपका अटैन्शन ड्रा करना चाहते थे और वे डिफरैन्ट डाकुमैन्टस दिखा रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Do you wnat ot support a bad element who gave the paper to him? (Interruptions.)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप हमें बैड ऐलीमैंट कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हाउस में बड़ा अन–फारचुनेट एटमौसफियर क्रिएट हो गया है। कुछ मैम्बरों ने आपका ध्यान आकर्शित करना चाहा था। मैम्बर सदन में चुन कर आते हैं और इस सदन की कार्यवाही को रैगुलेट आप करते हैं। आप अगर हमें बोलने की इजाजत देंगे तो बोलेंगे वरना खामोश बैठ जाएंगे। आपकी भी बड़ी अन–प्लैजैंट डियूटी है कि कई बार आप हमें टाईम नहीं दे पाते लेकिन यह कहना कि आप बैड एलीमैंट को स्पोर्ट कर रहे हैं, यह शोभा नहीं देता। अगर हम बैड एलीमैंट होते तो हम यहां पर न बैठे होते बल्कि किसी थाने में होते। अगर यह बात बगैर ध्यान के कही गई हो तो उसे कृपया एक्सपंज करवाएं।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, हाउस के कुछ रूलज हैं, कुछ रैगुलेशन्ज है। यह क्या बात हुई कि एक पेपर ले आयें और उसके ऊपर सारे हाउस का मावा बना दें। (शोर)

Sh. Mangal Sein: Does that amount to bad element?

श्री अध्यक्ष: क्या वह अच्छी बात थी?

Sh. Mangal Sein: Our character cannot be assassinated by the presiding officer. We do not expect from the presiding officer that our character should be assassinated by him.

Mr. Speaker: There is no question of character assessination of the hon. Members.

Sh. Mangal Sein: What does it mean?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा था शायद उन्होंने पूरा नहीं सुना। आपने कहा था कि अगर कोई बैड एलीमैंट किसी विधायक को कोई कागज दे दे तो कया उसको आप स्पोर्ट करेंगे? इसका मतलब यह नहीं कि आपने सिकी एम.एल.ए. को ऐसा कहा हो। मैं सदन के दोनों तरफ के सदस्यों को प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके सदन के माहौल को ठीक रखें और सदन की जो मर्यादाएं हैं या जो सिद्धांत हैं, उन पर अमल करें। एक एम.एल.ए. की जो डियूटी है, उसको सामने रखकर कोई बात कहनी चाहिए। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके अब इस चैप्टर को बन्द करें और आगे की कार्यवाही चलाने की कृपा करें।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यहां पर बढ़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बन गया था। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि कई बार हम मैम्बर्ज से स्लिप आफ टंग हो जाती है। आपके मुंह से भी शायद इसी वजह से बैड एलीमैंट वाला शब्द निकल

गया। मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे कार्यवाही ठीक चलाने के लिए अगर आप वह शब्द एक्सपंज करवा दें तो ठीक रहेगा। इसमें कोई प्रैस्टीज वाली बात नहीं है। आज जो वातावरण दूशित हुआ है वह तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस तहसीलदार को जनरल ट्रांसफरेां में ट्रांसफर करूंगा। मैं समझता हूं कि यहां पर अगर कोई बैड एलीमैंट हो सकता है तो वे हो सकते हैं (शोर) जिन्होंने सारा वातावरण दूशित किया। वकीलों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी उस तहसीलदार को ट्रांसफर नहीं किया जाता। जब इस तरह की बात हो तो काम कैसे चल सकता है? हमें आपकी प्रोटैक्शन चाहिए। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब डा. मंगल सैन जी बोल रहे थे तो आपने फिर कहा कि कोई आदमी पुराने कागज लेकर सारे हाउस का माहौल खराब कर दे तो ठीक बात नहीं। मैं यही बात शुरू से कह रहा हूं कि यह कागज पुराना नहीं है जो पिछले तीन दिनों से ये दिखाते आ रहे है। इस कागज की कोई वजह है। इस बारे में बोलने की आप इजाजत दें या न दें, वह अलग बात थी लेकिन एक प्रिजम्पशन ले लेना कि कोई सदस्य पिछली बातों को लेकर खड़ा है, यह ठीक नहीं हैं। दूसरे आपने जो बैड एलीमैंट के शब्दों को इस्तेमाल किया है यह उचित नहीं हैं मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता था। (शोर)

श्री अध्यक्ष: बैड एलीमैंट मैंने किसी आदमी को लेकर नहीं कहा था बल्कि वह कागज के ऊपर बात थी। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: अगर आप इतनी बात शुरू में ही कह देते तेा हमें आपसे कोई गिला नहीं होना था। आपने जब फार्मा दिया कि यह वही पुराना पेपर है, उसके जवाब में हमने कहा कि यह पुराना पेपर नहीं है अगर आप कहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं कि you never meant for M.L.As. You meant for a paper or something else. But we want to confirm that it was never meant for M.L.As. Is it correct, Sir.?

श्री अध्यक्ष: वह तो बड़ी क्लीयर बात थी कि वह मैंने पेपर के बारे में ऐसा कहा था।

श्री वीरेन्द्र सिंह: तो ठीक है, उस पर हमें कोई आपति नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दिया था। टोका मशीनों से सैंकड़ों आदमियों के हाथ कट जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, इस बारे में आप मेरे चैम्बर में आई थी। मैंने सुप्रिन्टैडैंट को बुलाकर पूछा था। उसने टोटली डिनाढ़ किया है कि हामरे आफिस में ऐसा कोई ध्यानाकर्शण प्रस्ताव आया है। इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, चौ. वीरेन्द्र सिंह जी को आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पीकर साहब इसलिये नाराज नहीं हुए थे कि एक सदस्य कागज क्यों

दिखा रहे थे। वे इसलिये नाराज हुए कि जब एक सदस्य बोल रहा था तो तीन सदस्य और खड़े होकर बोलने लग गए। (शोर)

आवाजें: नहीं हुए थे। (शोर)

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अभी स्पीकर साहब, बोल रहे थे तो बहिन जी बीच में खड़ी हो गई। (शोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप जरा इनको समझाइए। (शोर)

श्री अध्यक्ष: डा. साहब मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने क्या बुरी बात कही है? (शोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अब एटमौसफियर पीसफुल हो गया था, इन्होंने बीच में फिर यह बात कह दी कि तीन आदमी खड़े हो गये थे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने यही बात कही थी कि आप सारे खड़े हो गये। इसमें क्या बुरी बात है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दिया था कि हरियाणा में 92 के करीब प्राइवेट कालेज हैं। पहले इनको 90 प्रतिशत ग्रांट मिला करती थी। इस बार गवर्नमैंट ने 33 प्रतिशत कट लगा दिया। इस वजह से लैक्चररज को 6 से लेकर 9 महीनों तक से तनखाहें नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष: वह मेरे पास अभी अढ़ाई बजे पहुंचा है, मैं उसे कंसिडर कर रहा हूं।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, एक मोशन मैंने और दिया था कि हिसार में टैक्सटाइल मिल में हड़ताल चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी उस हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की थी।

श्री अध्यक्ष: उसे भी मैं देख लूंगा।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन दिया था। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट में हरिजन ए.ई.टी.ओज. को परमोशन न देने के बारे में वह मोशन है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से उन्हें 1966 से क्लास टू बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने डिस अलाउ कर दिया है क्योंकि वह सर्विस मैटर है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है फिर भी आपने उसे डिस–अलाउ कर दिया है? (शोर)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको बताया है कि वह सर्विस मैटर है एण्ड टर्म्ज एंड कंडीशन्ज आफ सर्विस काल अटैन्शन मोशन का सब्जैक्ट नहीं बनते।

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में 22 तारीख को एक काल अटैन्शन मोशन दिया था कि

फरीदाबाद में आनन्दपुर के पास हजारों एकड़ जमीन का एक मंत्री का लड़का नाजायज फायदा उठा रहा है। वहां से लाल बजरी निकाली जा रही है जिससे सरकार को 25 हजार रूपया रोजाना का घाटा हो रहा है। उस आदमी के खिलाफ 27 केस कोर्टस में चल रहे हैं। उसने नफे सिंह नाम के थानेदार के ऊपर हमला भी किया था। वहां पर मजदूरों का शोशण हो रहा है। एक तरह तो हमारा बजट घाटे में है और दूसरी तरफ एक मंत्री का लड़का 25 हजार रूपये रोजाना का स्टेट का घाटा दे रहा है।

Mr. Speaker: The matter is sub-judice because, as stated by the hon. Member himself 27 criminal cases are pending in different judicial courts. Besides, it is not a matter of recent occurrence. It has, therefore, been disallowed.

श्री राम बिलास वर्मा: मुख्यमंत्री जी ने कल दिल्ली में इस सन्दर्भ में एक ब्यान दिया है कि हम माइनज को ले रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आपने 27 केसिज की बात कही है। ये केस कोर्ट में पैंडिग हैं और मामला सब–जुडिस है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

राज्यपाल का सन्देश

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a message from the Governor which reads as under:-

"I write to acknowledge with thanks the receipt of your Demi-Official letter no. H.V.S./L.A./16/84/10929, dated, the 20th March, 1984 forwarding a copy of the Motion of Thanks passed by the Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on 20th March, 1984. Please convey to the members of the Haryana Vidhan Sabha my thanks and appreciation for this kind thought in accepting the motion."

बिजनैस एडवाजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा फिकस किये टाईम टेबल की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

The committee met at 11.00 a.m., an Monday the 26th March, 1984, in the chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommended that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shall meet on Mondays, at 2.00 P.M., and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesdays, Thursdays and Fridays at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M., without question being put.

The Committee, after a great deal of discussion, also recommended that the Business on the 26th, 27th, 28th, 29th, 30th March, 1984 and 2nd, 3rd and 4th April, 1984, be transacted by the Sabha as follows:-

Monday, the 26th March, 1984 (2.00 P.M.)

1. Questions Hour.

2. Presentation and adoption of the Third Report of the Business Advisory Committee.

3. Resumption of general discussion on budget and reply by the Finance Minister.

Tusday, the 27th March, 1984 (9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Leave to introdue/introduction of Govt. Bills:-

(i) The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1984.

(ii) The Faridabad Complex (Regulation and Development) Fees Validation Bill, 1984.

(iii) The Haryana Rural Development Fund (Amendment) Bill, 1984.

(iv) The Haryana Rural Development Authority (Amendment) Bill, 1984.

(v) The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 1984.

(vi) The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1984.

(vii) The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1984.

(viii) The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 1984.

(ix) The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1984.

3. Discussion and voting on Demands for Grants on Budget.

Wednesday, the 28th March, 1984 (9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Discussion on Demands for Grants Budget and voting thereon.

Thursday, the 29th March, 1984 (9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Presentation of Assembly Committees Reports.

3. Non-official business.

Friday, the 30th March, 1984 (9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Presentation of Assembly Committees Reports.

3. The Haryana Appropriation Bill, 1984 in respect of Budget.

4. The Haryana Appropriation Bill, 1984 in respect of Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1983-84.

5. The Haryana Appropriation Bills, in respect of Excess Demands over Gtants and Appropriations for the years 1978-79, 1979-80 & 1980-81.

Saturday, the 31th March, 1984 OFF DAT

Sunday, the 1st April, 1984 HOLIDAY

Monday, the 2nd April, 1984 (2.00 P.M.)

1. Questions Hour.

2. Legislative Business:-

(i) The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1984 replacing the Ordinance.

(ii) The Haryana Urban Development Authority Bill, 1984 replacing the Ordinance.

(iii) The Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1984.

(iv) The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1984.

(v) Withdrawal of the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill, 1984.

Tuesday, the 3rd April, 1984 (9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Legislative Business:-

(i) The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1984.

(ii) The Faridabad Complex (Regulation and Development) Fees Validation Bill, 1984.

(iii) The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1984.

(iv) The Haryana Rural Development Fund (Amendment) Bill, 1984.

(v) The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 1984.

(vi) The Punjab Entertainment Duty (Haryana Amendment) Bill, 1984. (under proviso to rule 128).

Wednesday, the 4th April, 1984 (9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Motion under rule 15 regarding non-stop sitting.

3. Motion under rule 16 regarding sine-die.

4. Legislative Business:-

(i) The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 1984.

(ii) The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Bill, 1984.

(iii) The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1984.

(iv) The Haryana Co-operative Societies Bill, 1984.

5. Motions under rule 84."

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move –

That the House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों के साथ सहमत है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों के साथ सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्श 1984–85 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्श 1984–85 क बजट पर जनरल डिस्कशन रिज्यूम होगी। On 23rd March, Sh. Nirmal Singh was on his legs. He may resume his speech.

16.00 बजे

श्री निर्मल सिंह (नग्गल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उस पर बोल रहा था। आप सभी जानते हैं कि 1984–85 साल के लिए

बजट में जो पैसा रखा गया है उसका 60 परसैंट पैसा बिजली और पानी के लिए रखा गया है। सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन किसानों की हालत को देखते हुए जिस ढंग से उनको प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान पहुंचता है, वह बहुत बुरा है इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बिजली और पानी किसानों को प्रायर्टी बेसिज पर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान जिला अम्बाला की तरफ दिलाना चाहूंगा। अम्बाला जिला पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है और जितनी भी नहरें गुजरती हैं वे अम्बाला जिले से होकर गुजरती हैं लेकिन अम्बाला जिले में एक लिफट इरीगेशन स्कीम है केवल उसी का पानी वहां मिलता है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार अम्बाला जिले के लिए सिंचाई के पानी के लिए पूरा–पूरा ध्यान दे। चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला जी सदन में बैठे हैं। इन्होंने 26 जनवरी को वहां पर पब्लिक मीटिंग में यह अनाउंसमैंट की थी कि अम्बाला जिले में दादूपुर से एक नहर निकाली जाएगी जिस पर लगभग 15–16 करोड़ रूपए खर्च होंगे इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि सिंचाई के पानी के लिए जहां हरियाणा के अन्दर दो हजार करोड़ रूपए खर्च होने हैं वहां दादूपुर से जो नहर निकाली जाएगी उसके लिए 15–16 करोड़ रूपए खर्च होने से सरकार को कोई ज्यादा बोझ पड़ने वाला नहीं है। सरकार के लिए 15–16 करोड़ रूपए मामूली चीज हैं। उस नहर को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। मैं मुख्यमंत्री जी से और आई.पी.एम. साहब से यह दरखास्त करूंगा

कि अम्बाला जिले के लोगों की माली हालत को देखते हुए इस बात का आश्वासन दें कि इस साल में उस नहर को कम्पलीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह कहा जाता है कि अम्बाला जिले की जो लिफट इरीगेशन स्कीम से पानी दिया हुआ है वह काफी है इसलिए उनको एस.वाई.एल. नहर से पानी का हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि वह पहले ही दिया हुआ है। स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्युऐंसी नग्गल में लिफट इरीगेशन स्कीम का पानी दिया हुआ है। उसके लिए यह कहा जाता है कि एस.वाई.एल. नहर के पानी से जो हिस्सा मिलेगा, वह आपको दिया जा चुका है। जो पानी मिला हुआ है, वह बहुत कम मिला हुआ है और उससे बहुत थोड़े इलाके की सिंचाई हो पाती है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी में जो दो माइनर्ज हैं, उनको एक्सटैंड किया जाए ताकि किसानों को लाभ हो सके। इन माइनर्ज को आगे बढ़ाने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी ओर आई.पी.एम. साहब से आश्वासन चाहूंगा कि वे इनको जल्दी से जल्दी एक्सटैंड करवाएंगे ताकि वहां कि किसान लाभान्वित हो सकें। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, आई.पी.एम. साहब ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि अम्बाला कैट में आई.ओ.सी. के पास जो पावर हाउस है उसके साथ नग्गल कांस्टीच्यूएंसी के गांव अटैच कर दिए जाएंगे। मैं आई.पी.एम. साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वहां पर जो ट्रांसफार्मर रखने की बात है उसे जल्दी किया जाये। उसके साथ नग्गल कांस्टीच्यूएंसी

के बहुत से गांवों को अटैच किया जाएगा ऐसी बात है जिसके कारण उसकी मेन लाइन पर लोड बहुत कम हो जाएगा और जो कनैक्शन रूके पड़े हैं वे कनैक्शन मिल जाएंगे। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि उस ट्रांसफार्मर को जल्दी से जल्दी रखवाया जाए। इसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो बिजली का 10 परसैंट हिस्सा डोमैस्टिक परपज के लिए दिया जाता है उसका नतीजा यह है कि जब गांवों में रात को स्टुडैंटस पढ़ने के लिए तैयार होते हैं और आम आदमी अपना कोई धंधा शुरू करते हैं तो उस समय गांवों के अन्दर बिजली नहीं होती है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो 10 परसैंट बिजली डोमैस्टिक परपज के लिए दी जाती है वह बिना किसी बाधा के दी जाए ताकि गांवों के आदमी ओर स्टूडैंटस अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, कई बार ऐसा होता है कि गांवों के नजदीक लगते हुए शहरों में बिजली जल रही होती है लेकिन उन शहरों के आसपास के गांवों में अंधेरा होता है। इसलिए उन गांवों के लोगों के दिलो दिमाग पर यह असर होता है कि ये लोग तो बिजली की लाइट में बैठे हैं और हम लोग इनके इतना नजदीक होते हुए भी अंधेरे में बैठे हैं। हम लोगों में और इन लोगों में क्या फर्क है। हमारे में और इनमें फर्क क्यों है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस बात को सीरियसली लिया जाए और गांवों में सुबह ओर शाम के टाईम पर पूरी बिजली दी जाए। सरकार इस बात की गारंटी दे कि जो 10 परसैन्ट बिजली डोमैस्टिक परपज के लिए गांवों में दी जाती है

वह बिना बाधा के दी जाएगी। इस बात का सरकार आवश्वासन दे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार के पास इस बात का प्रावधान है कि जहां पर पंचायतों की आबादी निश्चित संख्या से अधिक बढ़ेगी, उसके लिए वहां पर नया ब्लाक बनाया जायेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, नग्गल क्षेत्र में 165 गांव हैं। इनकी आबादी 2 लाख के करीब है और इस कांस्टीच्यूएंसी के अन्दर 126 पंचायतें हैं। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर दो ब्लाक बनाये जाएं क्यौंकि इस समय एक बड़ा ब्लाक होने की वजह से डिवैल्पमैंट के काम रूके हुए हैं। इसके अलावा अम्बाला जिले के अन्दर कोई भी को–आप्रेटिव या पब्लिक सैक्टर में कोई यूनिट नहीं है। सरकार को इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को अम्बाला जिले में खेती की तरफ विशेश तौर पर ध्यान देना चाहिए। अम्बाला जिले के बारे में बीरेन्द्र सिंह जी सवाल का जवाब देते हुए कह रहे थे कि अम्बाला जिले की एम्पलाएमैंट एक्सचेंज में और जिलों से ज्यादा नाम दर्ज हैं। इसका कारण इन्होंने यह बताया था कि वहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है। इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि वहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं तो और जिलों को जो नौकरियां दी गयी हैं वह किस अनुपात से दी गयी हैं। कोआप्रेशन मिनिस्टर ने हाउस में और पब्लिक मीटिंग में कहा है कि शाहबाद में एक शूगर मिल लगायी जायेगी। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारिश है

कि इस काम को भी, जो अभी कागजों पर चला रहा है, अमली रूप जल्दी से जल्दी दे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः आप पहले भी बोल चुके हैं, इसलिए आप अपने समय का भी ध्यान रखें।

श्री निर्मल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं आपका ध्यान कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ–इण्डिया की 1982–83 की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहूंगा। यह कई बार देखने में आया है कि जिन किसानों ने या दूसरे व्यक्तियों ने को–आप्रेटिव सोसायटीज से छोटा–मोटा कर्जा लिया हुआ है उनको बुरी तरह से तंग किया जाता है। किसी व्यक्ति ने यदि भैंस के लिए 2 हजार रूपया लिया हुआ है या किसी ने पानी के बिल के 400 या 500 रूपये जमा करवाने होते हैं, यदि वह समय पर जमा नहीं करवाते तो तहसीलदार से उनके वारंट लेकर आते हैं और उन्हें बड़ी बेरहमी के साथ जीप में बैठा कर ले जाया जाता है, और उनके साथ बुरी तरह से पेश आते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट के अनुसार बड़े दुःख की बात है कि जिन लोगों के खिलाफ करोड़ों रूपये खड़े हुए हैं, उनसे पैसे वसूल नहीं किए जाते। इनको इसलिए तंग नहीं किया जाता क्योंकि जो आफिसर ऊंची– ऊंची पोस्टों पर बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं कहते। इस रिपोर्ट के सफा 10 पर लिखा है .....

श्री उपाध्यक्ष: आप बजट पर कोई सुजैशन दें। अगर आप इस तरह से किताब को पढ़ने लग जाएंगे तो आप अपनी बात कह नहीं पायेंगे।

श्री निर्मल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट में पैसे देरी से वसूल करने का कारण दिया है कि हमारे पास आफिसर्ज की कमी और समय की कमी थी जिस वजह से हम पैसा वसूल नहीं कर पाये। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि टाईपराईटर्ज भी नहीं थी।

इसी प्रकार से जगाधरी, फरीदाबाद, हिसार के कई केस हैं। इन सब पर बड़ी गौर करने वाली बात है। इस संबंध में मेरी दरख्वास्त है कि इन अधिकारियों के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप जल्दी खत्म कर लें। पहले दिन भी आप बजट पर 10 मिनट बोल चुके हैं।

श्री निर्मल सिंह: ठीक है जी। डिप्टी स्पीकर सहाब, अम्बाला जिले का केस मैंने मुख्यमंत्री जी, आई.पी.एम. और वित्त मंत्री को पूरे फैक्टस एण्ड फिगर्ज के साथ पुट अप किया हुआ है। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करते हुए और किसानों का ज्यादा पानी–बिजली की सुविधा का आश्वासन चाहते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, 20 तारीख को इस सदन के अन्दर हमारे माननीय फाईनैस मिनिस्टर साहब ने 1984–85 का बजट पेश किया। चौ. कटार सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। परन्तु मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी बोरिंग बजट स्पीच मैंने आज तक नहीं सुनी। मेरे को एम.एल.ए. बने हुए सात साल हो गए हैं। जो बजट इन्होंने इस बार पेश किया है, उसको जब ये पढ़ रहे थे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि इनकी पढ़ने की कोई मजबूरी थी। इतनी नीरस स्पीच मैंने अपने सात साल के दौरान कभी नहीं सुनी। जब घर जाकर हमने इस स्पीच को पढ़ा जो इन्होंने हाउस के अन्दर 30 सफे की पढ़ कर सुनाई थी तो हमें कोई नई चीज मालूम नहीं हुई जिससे यह पता लगे कि कोई नई योजना बनायी गयी है या कोई बेकारी हटाने की योजना बनायी गयी है या लोगों को पीन और बिजली की सुविधा देने की कोशिश की गयी है। आज हरियाणा प्रान्त में सरकारी कर्मचारी, दुकानदार, किसान और मजदूर सबके सब दु:खी है। विशेश तौर पर जब से मौजूदा भजन लाल जी की सरकार आयी है। अगर ये बजट के अन्दर कोई नयी योजना लाते और गरीबी को दूर करने की कोशिश की गयी होती तो मैं इन्हें मुबारिकबाद देता। इस बजट के अन्दर मासिवाए प्रत्येक विभाग को रकम ईयर मार्क करने के कुछ देखने को नहीं मिला। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होनं एक दो परों में बड़ी डींगें मारी हैं। इन्होंने एक पैरा में कहा है कि हरियाणा प्रान्त का बहुमुखी विकास हो रहा है और

बड़ी उन्नति कर रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, इनके बारे में मैं आंकड़े पेश करके यह साबित करना चाहूंगा कि यह सरकार पिछले 4–5 सालों में क्या कुछ कर पायी है। हरियाणा की इकौनोमी को किस प्रकार शैटर किया है। इस सरकार के कारनामें ऐसे हैं जिस से हरियाणा प्रान्त का हर वर्ग दुखी है। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने बजट पेपर्ज के साथ इकोनोमिक सर्वे आफ हरियाणा 1983–84 सदन में पेश किया है। मैं आपका ध्यान इसके पेज 36 की ओर दिलाना चाहता हूं। इस पेज पर टेबला 9 है जिसमें ईयरवाईज एग्रीकल्चर प्रोडकशन दिखाई गई है। 1977–78 में जनता पार्टी पावर में आई ओर 1979 तक पावर में रही। मैं इस पीरियड का हवाला देना चाहता हूं। 1977–78 में जब जनता पार्टी ताकत में थी, उस वक्त स्टेट में सीरियल्ज 4335 हजार टन पैदा हुई। जब हम चले गये यानी 1978–79 में सीरियल्ज की पैदावार बढ़ कर 5249 हजार अन हो गई। इसी प्रकार जब हम पावर में थे तो 1977–78 में पल्सिज की टोटल प्रोडक्शन 1005 हजार टन थी। इसके बाद 1981–82 में यह घट कर 347 हजार टन रह गई। इसी प्रकार 1977–78 में फूड ग्रेन्ज की प्रोडक्शन 5340 हजार टन हुई लेकिन यह 1979–80 में घटकर 5038 हजार टन रह गई। इसी प्रकार 1977–78 में 897 हजार टन गुड पैदा हुआ था और यह 1981–82 में घटकर 576 हजार टन रह गया। यह विकास की हालत है। जब से ये पावर में आये हैं, किसान की प्रोडक्शन घटती चली गई। यह फिगर जो मैं बता रहा हूं, वह इकोनोमिक सर्वे आफ हरियाणा 1983–84 से पढ़

कर सुना रहा हूं। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान टेबल न. 11 की तरफ आकर्शित करना चाहता हूं जिस में वेरियस इंडैक्स नम्बर्ज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर इन हरियणा दिया हुआ है। 1978–79 मैं इंडैक्स आफ एरिया अंडर क्रौप्स 116.66 है और 1981–82 में 121.31 है। अब इससे आगे चलिए पेज 41 पर जिस में नम्बर आफर वर्क सीकर्ज कैटेगरीवाईज आन दी लाइव रजिस्टर्ज आफ एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज की फिगर्ज दी हुई हैं। इसमें वर्क सीकर्ज की कैलकुलेशन दिसम्बर 1981 से दिसम्बर 1982 तक की हुई है। इसका सीरियल न. 16 'ग्रैजुएट एंड अबव' है। इसके लास्ट कालम में लिखा है कि बेकारी 2.06 परसैंट बढ़ी हैं सीरियल न. 17 'मैट्रिक एंड अबव' बट बिलो ग्रैजुएटस है। इसके लास्ट कालम में भी यही लिखा है कि बेकारी 28.30 परसैंट बढ़ी है। अगर सब कैटेगरीज का टोटल किया जाए त5ो एक साल में बेकारी 23.63 परसैंट इस सरकार ने बढ़ा दी हैं इससे मैं यह साबित करना चाहता हूं कि सरकार जो रोजाना कहती रहती है कि वह किसान की हितैशी है उसने किस प्रकार इन पिछले चार सालों में किसान की प्रोडक्शन को कम किया है। जो यह कहते हैं और दावा करते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रदेश की इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और बेकारी मिटाने के लिए बहुत सी स्कीमें चला रह हैं, उसने बेकारी को दो सालों में 23.63 परसैंट बढ़ा दिया। अगर इसी प्रकार से सरकार चलती रही और बेकारों का नम्बर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आप बतायें कि यह स्टेट किस प्रकार काबू में रहेगी, किस प्रकार यह सरकार चल

सकती है और किस प्रकार काबू में रहेगी, किस प्रकार यह सरकार चल सकती है और किस प्रकार यह हरियाणा बच पायेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का और एफ.एम. साहब का ध्यान इस ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि बजट की रूपरेखा को बदलें। यह प्रौपर बजेटिंग नहीं हैं। अगर इसी प्रकार से स्टेट की बजेरिंग होती रही तो बहुत बुरे दिन हरियाणा प्रान्त के लोगों के आने वाले हैं, यह कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करता। इस सिलसिले में मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि मिनिस्टरी में इन्टेलैक्अस की कमी है। इन्टेलैक्ट लोग अब भी मिनिस्टरी में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जो तीन–चार व्यक्तियों की एक कमेटी बनायें जो सारे हरियाणा की रूपरेखा को बाकायदा स्टडी करे और नये सिरे से प्रौपर बजटिंग करे। इस चालू सैंशन में वोट आन अकाउंट पास करवायें, इससे इनका खर्चा चलता रहेगा और दोबारा सैशन बुलाकर बजट पास करें। हर काम के लिए प्रायरिटी फिक्स करें कि सड़कों को इतना रूपया देना है, एनिमल हसबैंडरी को इतना रूपया देना है या एजुकेशन के लिए इतना रूपया देना है। अगर ओल्ड रेट इसी तरह से चलती रही तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हरियाणा गवर्नमैंट की इकोनोमी शैटर हो जाएगी। लोग बरबाद हो जायेंगे और विकास की गति मुकम्मल तौर पर रूक जाएगी। इसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस वक्त इकोनोमिक कमीशन बैइा देना चाहिए जो सारी चीज को स्टडी करे ओर हर चीज की डैप्थ में जाए। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर काम में दाद ली जाए। यह कोई दाद की बात नहीं है कि

हमने बजट में टैक्स नहीं लगाया। टैक्स जरूर लगना चाहिए लेकिन उन लोगों पर लगना चाहिए जो टैक्स देने की कपैसिटी में हैं। यह स्टीडी करना होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो हरियाणा में टैक्स देने की कपैसिटी में है। यह स्टडी करना होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो हरियाणा में टैक्स देने के काबिल हैं। जो टैक्स देने के काबिल हों, उन पर टैक्स जरूर लगायें ताकि विकास की गति बनी रहे और विकास का काम तेजी से चलता रहे। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा प्रदेश की बड़ी बुरी हालत हो गई है। चाहे किसान हो या चाहे मजदूर हो, इनकी हालत वही है जो 1920 और 1930 के पीरियड के दौरान थी। उस वक्त हिन्दुस्तान की सरजमीन पर बहुत महानपुरूश सर छोटॅ राम जी जैसे पैदा हुए थे। उन्होंने कुछ कानून बनाये थे। उस वक्त का किसान साहूकार के चंगुल में था। साहूकार ने बुरी तरह से किसान को कर्जे से जबड़ा हुआ था। आज भी स्थिति वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त साहूकार था और आज बैंक साहूकार बने हुए हैं। 95 परसैंट किसान इन बैंकों के कर्जे में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। किसान की जिन्दगी में कोई महीना ऐसा नहीं आता जिसमें कर्जे से उसे निजात मिली हो। किसान मेहनत–मुशक्कत करके फसल पैदा करते हैं ओर कर्जे को 6 महीने के बाद उतारते हैं, लेकिन फिर नई फसल बोने के लिए उसे दोबारा कर्जा लेना पड़ता है और यह सिलसिला पीढी–दर–पीढ़ी चलता रहता है। कोई साल ऐसा नहीं आता जब उस कर्जे के बोझ से वह अपने आपको निजात दिला सके। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस

मसले को हल करें। मैं यह नहीं कहता कि किसानों को कर्जा वापिस नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि करना चाहिए लेकिन जमींदार की हैसियत कर्जा बरदाश्त करने की नहीं है। इनकी हैसीयत जानने के लिए आप मेरी बात मान लीजिए और एक इकौनोमिक कमीशन बैठा दिया जाए। अगर कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि किसान को उसकी प्रोडक्शन का अच्छा भाव नहीं मिल रहा, हजारों किस्म की नैचुरल क्लेमिटीज की वजह से किसान आज पूरी पैदावार नहीं ले पाता, आज एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस के भाव इतने बढ़ गये है कि फसल बेच कर किसान को कुछ बचता नहीं है, अगर सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है तो सरकार का इखलाकी फर्ज है कि सरकार किसान को बैंकों के कर्जे से निजात दे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि सारे बजट में प्लानिंग में प्रायरिटीज बदलती होंगी। हमें कुछ प्रायरिटीज फिक्स करनी होगी। इस बात की आज आवश्यकता है कि बेकारी को दूर किया जाए। आज इस बात की आवश्यकता हे कि किसान की जो हस्ती मिटती जा रही है, उसको कायम रखा जाए। अगर 20–25 साल तक यही सिलसिला चलता रहा तो किसान नाम की चीज सोसाइटी से मिल जाएगी और लेबरर्ज ही लेबरर्ज सारे हरियाणा प्रान्त में रह जाएंगे। आज जरूरत इस बात की है कि जो सिंचित भूमि हरियाणा प्रान्त में है, उसका एरिया बढ़ाया जाए। आज इस बात की जरूरत है कि इलैक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्रीज को देते हैं, जो इलैक्ट्रिसिटी किसान को देते हैं उसकी मिकदार बढ़ाई जाए। इसलिए इसकी रूपरेखा

बदलती होगी। हमें कुछ प्रायरिटीज फिक्स करनी होगी। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, फाईनैंस मिनिस्टर जी को कि ये तीन चार मंत्रियों की एक बनाएं। चौ. कटार सिंह जी स्वयं उसमें हों, चौ. शमशेर सिंह जी उसमें हों, प्रिसिंपल ईश्वर सिंह जैसे सोबर एम.एल.एज. को उसमें शामिल किया जा सकता है, भाई सुरेन्द्र सिंह जी को शामिल किया जा सकता है और भी बहुत से काबिल लोग यहां बैठे हैं। उनमें से किसी को शामिल किया जा सकता है। हरिजनों में से चौ. भले राम जी को शामिल किया जा सकता है क्योंकि चौ. नेकी राम जी के वश का कुछ नहीं है। (विघ्न) आप एक कमेटी बनाएं और सोच विचार के बाद दुबारा बजट पेश करें। अगर किसी को टैक्स करना भी ये जरूरी समझें तो टैक्स लगाएं। हम खुशी से इनका साथ देंगे। जो जमात टैक्स पे कर सकती है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमें सब कुछ बदलना होगा। उसी ढरे पर यदि हम चलते रहे तो हरियाणा की इकोनोमी शैटर हो जाएगी, हरियाणा का किसान बरबाद हो जाएगा। आज हरियाणा का विद्यार्थी गलियों में निकल जाएगा तो हालात नहीं संभलेंगे। (विघ्न)

श्री नेकी राम: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। ये जब बोलने लगे थे तो कुछ ठीक से नहीं पढ़ सके थे। मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि ये उसे दुबारा देख लें। डिप्टी स्पीकर

साहब, अगर मेरे शब्दों से उनको ठेस पहुंची है तो मैं उन्हें वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप का रैफरैन्स तो उन्होंने मजाक में दिया है। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि कुछ 46.53 करोड़ रूपये का घाटा है। इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें जिनसे ये इस घाटे को पूरा कर लेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। इनका खाता जो है वह 50.53 करोड़ के खसारे से शुरू होता है। 46.53 करोड़ रूपये का घाटा इन्होंने बाद में बताया है। यह मिल जुल करके लगभग 97 करोड़ का घाटा बनता है। इस 97 करोड़ रूपये के घाटे को ये कैसे पूरा करेंगे, यह इन्होंने नहीं बताया। इसमें कोई टैक्स तो नहीं। यह बजट का क्या तरीका है? मैंने चौ. कटार सिंह जी के पिछले बजट भाशणों को भी पढ़ा है। ये हमेशा कहते है कि गैर–जरूरी ऐक्सपैडीचर को कम करेंगे तथा पब्लिक सैक्टर के जो ऐन्टरप्राइजिज हैं, उनमें बहुत प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, पब्लिक सैक्टर के जो ऐन्टर प्राइजिज हैं, उनकी क्या हालत है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि डा. मंगल सैन, बहन चन्द्रावती जी तथा अन्य कुछ सदस्यों ने इसका बहुत जिक्र किया है और शायद मेरे से बाद बोलने वाले कुछ अन्य सदस्यगण भी इसका जिक्र करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि

इन्होंने कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं की जिससे यह खसारा पूरा किया जा सके। वर्श 1977–78 में जब जनता सरकार बनी थी तो प्लान आउटले केवल 148 करोड़ रूपये की थी जिसे हमने बढ़वा कर 230 करोड़ रूपये तक करवाया था। 42 परसैंट की वृद्धि हुई थी। खुद फाईनैंस मिनिस्टर साहब इस बात को मानते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले साल की निस्बत अब के जो प्लान इन्होंने बढ़वाया है उसमें केवल 14 परसैंट की वृद्धि हुई है। इसमें इन्होंने क्या डींग मार दो। इसमें कौन सा लम्बा चौड़ा काम इन्होंने कर दिया? कहां हमने 42 परसैंट की वृद्धि करवाई थी और कहां फाईनैंस मिनिस्टर साहब केवल 14 परसैंट की वृद्धि में ही खुश हुए फिर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इनका टैक्स रैवेन्यू 10.93 परसैंट बढ़ेगा और नौन–टैक्स रैवन्यू 1.01 परसैट बढ़ेगा। इतने प्रैशर के बावजूद भी खसारा 97 करोड़ रूपये का है। इस खसारे को पूरा करने के लिए न तो कोई व्यवस्था इनकी स्पीच में आई और न ही मुझे बजट के किसी अन्दय पन्ने पर मिली। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अन्त में केवल दो बातें कहना चाहूंगा। गवर्नर महोदय, जिनको हमने उनके ऐड्रैस के लिए थैंक्स भेजी थी और जिनकी आज ऐकनौलेजमैंट आई है, के रख रखव पर 20.17 लाख रूपये खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब मंत्री महोदयों के ऊपर 1 करोड़ 39 लाख 49 हजार रूपये खर्च किए जा रहे हैं? मैं इनसे यह जानना चाहता हूं * * * *

श्री उपाध्यक्ष: गवर्नर साहब वाली बात रिकार्ड न की जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हें कि यह बजट नीरस है, इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। इसे तो हाउस को रिजैक्ट कर देना चाहिए।

चौ. फूल चन्द मुलाना (अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, सदन में बजट पर चर्चा चल रही है और विचार विमर्श हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, घाटे का बजट सदन के सामने प्रस्तुत है। बहुत से साथियों ने चर्चा करते हुए यह कहा कि घाटे का बजट प्रस्ततु किया गया, किन्तु मैं कहूंगा कि जो भी प्रानत तरक्की की ओर बढ़ता है, घाटा उसके बजट का एक अंग हुआ करता है। उस प्रान्त के लिए घाटे का बजट अच्छा होता है। घाटे का बजट इस बात का प्रतीक होता है कि प्रान्त में डिवैल्पमैंट के काम हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा कई दिनों से चल रही है और कई बातों का जिक्र यहां आया। मैं यह कहूंगा कि प्रान्त के अन्दर जो प्रगति हुई है वह वाक्या ही सराहनीय है। देश भर में इस बात की चर्चा है कि हरियाणा प्रगतिशील प्रान्त है। पिछलें डिकेड में जो प्रगति हुई है वह सराहनीय है चाहे वह सड़कों के क्षेत्र में है चाहे पानी के क्षेत्र में है या चाहे बिजली के क्षेत्र में है। आज हर गांव में बिजली और हर गांव में सड़क है। यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा प्रानत में बड़े और छोटे भाई की आपस में टकराव की भावना

चली और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे प्रान्त में घटी। उपाध्यक्ष महोदय आप पर भी कातिलाना हमला किया गया जो कि बहुत बुरी बात है। इसे कन्डैम करना चाहिए। जिस दिन पानीपत में शोर मच रहा था, उसी दिन मुझे भी वहां से गुजरने का मौका मिला। बहुत सारे लोग जमा होकर बसों और गाड़ियों को रोक रहे थे। मुझे भी रोका गया कि आप वापिस जाओ क्योंकि पानीपत में बहुत बुरा माहौल है। मैंने वहां पर अपनी आंखों से देखा। यह घटना 15 तारीख और 20 तारीख के चबी की है ओर मैं 15 तारीख को दिल्ली से चण्डीगढ़ आ रहा था। वहां पर एक समुदाय के लोग इकट्ठे हो गये और कहने लगे कि हमें यह बात कहने के के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि खालिस्तान बनाओ। यह जरूरी नहीं है कि पंजाब में जो कुछ हुआ है उसका रैप्रक्शन हरियाणा में भी हो। मुझे यह बात सुन कर हैरानी हुई कि यहां लोगों ने यह कहा कि अगर पंजाब के लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो हमें मजबूर होकर उन्हें स्पोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ यहां पर ज्यादती हो रही है। कौन सा कारण है कि एक समुदान के व्यक्तियों के मन में यह बात आई। हरियाणा के सिखों ने हरियाण के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। कभी हिन्दू सिख का झगड़ा नहीं हुआ। हरियाणा और पंजाब एक मां के दो बेटे हैं। हरियाणा के सिख एक अच्छा समय व्यतीत करें। हरियाणा के सिखों ने कभी यह नहीं कहा कि हरियाणा का हिस्सा पंजाब को दे दो या चण्डीगढ़ पंजाब को दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, एवार्ड होने के बाद पंजाब के लोगों ने दिवाली मनाई थी लेकिन आज वे

कहते हैं कि प्रधान मंत्री का फैसला लागू नहीं करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने एवार्ड दे दिया तो उसे लागू करायें। एवार्ड देने के बाद भी वह रोज मांग करें तो इस सदभावना को खराब करना चाहते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारी स्टेट को इन कारणों को देखना पड़ेगा कि किस कारण से हिन्दू सिख में भेद–भाव उत्पन्न हुआ है और इसे कैसे समाप्त किया जाये। हिन्दू धर्म को बचाने के लिए सिख धर्म के लोगों ने यानी गुरूओं ने कुरबानी की है। गुरू गोबिन्द सिंह ने जीवन भर लड़ाई लड़ी। गुरू तेगबहादुर ने शीश यानी सिर तक कटवाया और गुरू तेगबहादुर के विशय में कहा जाता है कि वे हिन्द की चादर थे। वीर भगत सिंह जी ने फांसी के तखते को चूमा। यह जो हिन्दू सिख के झगड़े हुए हैं इस माहौल की बेकरारी का कारण जानना पड़ेगा। क्या कारण है कि हमारे भाई और बहिनों के मन में यह बात आई, हमारे अन्दर भेदभाव हो गया। आप पर हमला हुआ उसकी हम निन्दा करते हैं। मैं आपको मुबारिकबाद देता हूं कि आप बच गये लेनिक हमे इस माहौल को रोकना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रानत में विकास की गति बहुत सन्तोशजनक रही है इसलिये प्रगति के कामों की चर्चा करना चाहता हूं। हमारे प्रान्त मैं विशेशकर अम्बाला जिले में 80 प्रतिशत जनता देहात में रहती है। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले बजट एलोकेशन में स्पैशल कम्पोनैन्ट प्लान के तहत प्रावधान

किया गया है। मैं चाहूंगा कि इसी आधार पर देहात के लिए अलग से बजट एलोकेट किया जाए इससे देहात की डिवैल्पमैंट हो सकेगी और जहां पानी का ठीक से प्रबन्ध नहीं है, वहां पर पानी का प्रबन्ध हो सकेगा। जब तक पानी औ बिली का देहात के लिए ठीक से प्रबन्ध नहीं होगा, तब तक किसानेां की दशा नहीं सुधर सकती। किसानों को दशा नहीं सुधरेगी तो मजदूर और कामगार की दशा भी ठीक नहीं हो सकती। नहीं तो जैसे पहले किसान पूंजीपति का कर्जदार था अब बैंकों का कर्जदार रहेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला जिले में नहर के बारे में प्रश्नोत्तर काल में जिक्र आया। दादूपुर से जो नहर निकलती है वह हमारे मुलाना शाहबाद और नंगल के क्षेत्र को सैराब करेगी जिससे किसानों की दशा सुधरेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे एरिया का एक बहुत पहले का मंजूरशुदा मारकन्डा बैराज प्रोजैक्ट है। अगर इस बजट में से उस प्रोजैक्ट के लिए कुछ पैसा मिल जाये और काम शुरू हो जाए तो उस एरिया के लोगों को काफी लाभ हो सकता है। मारकन्डा में बरसात के दिनों में बहुत पानी बहता है लेकिन बरसात के बाद के दिनों में थोड़ा सा पानी चलता रहता है। अगर वहां पर छोटे छोटे बांध बना कर और कुछ गैप देकर लिफ्ट द्वारा पानी दे दिया जाये तो काफी इरीगेशन हो सकती है। हमारे क्षेत्र में टयूबवैल की बहुत आवश्यकता है। वहां पर सन् 1972 से 1977 तक के दौरान सैकड़ों टयूबवैल लगाये गये लेकिन खेद का विशय है कि अब एक भी नया टयूबवैल नहीं लगाया गया है। लोगों की यह धारणा है कि हमारे खेतों में टयूबवैल लगें। डिप्टी स्पीकर

साहब, जो पहले टयूबवैल लगे हुए हैं, वे खराब पड़े हैं उनकी रिपेअर नहीं हो रही है। इस कारण से वहां के किसानों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन टयूबवैलों को ठीक कराया जाये और नये टयूबवैल्ज लगाये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय आज के दिन बिजली की भी बहुत आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि काफी बिजली पैदा की जा रही है लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों के डोमैस्टिक कनैक्शन्ज और टयूबवैल्ज कनैक्शनज पैंडिग पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द ये दिये जाने चाहिएं।

हमारी स्टेट में बेरोजगारी की समस्या भी बड़ी भारी है उसको दूर करना चाहिए। सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए लोन देने की कई स्कीमें चलाई हुई हैं। बैंकों से भी कर्जे दिये जाते हैं। जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है वह ऐप्लीकेशन इन्डस्ट्री डिपार्टमैंट के थ्रू भेजता है, यानी इन्डस्ट्री डिपार्टमैंट इन्सपैक्ट करता है और फिर बैंक को भेजता है। हम बैंक वालों की शिकायत करते हैं कि लोन नहीं किया जाता है लेकिन एक बैंक के अधिकारी ने बताया कि हमारें बैंकों को ऐप्लीकेशन्ज स्पोसर करके भेजी ही नहीं जाती हैं, हम लोन कहां से दें इसलिये इन्डस्ट्री विभाग द्वारा उनकी ऐप्लीकेशन्ज जल्द से जल्द भेजी जानी चाहिएं ताकि वे लोन ले सकें और पढ़े लिखे बेरोजगार रोजगार प्राप्त करे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में हरिजनों के विशय में रिजर्वेशन के बारे में कहा गया कि शिडयूल्ड कास्ट एन्ड शिडयूल्ड ट्राइब्ज की डिवैल्पमैंट नहीं हो रही है। काफी डिवैल्पमैंट हो रही है और काफी होनी बाकी है। आज हमारे प्रान्त में कांग्रेस पार्टी का शासन है। हम सब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब स्ट्रेटेजी फार डिवैल्पमैंट आफ शिडयूल्ड कास्ट एंड शिडयूल्ड ट्राइब्ज के नाम से पुस्तिका छपी है। इस पुस्तिका में स्ट्रेटेजी फार डिवैल्पमेंट आफ शिडयूल्ड कास्ट के तहत स्पैशल कम्पोनेन्ट प्लेन का जिक्र किया गया है। डिप्टी स्पीकर साह,ब मैं इस बात की खुशी महसूस करता हूं कि हमारे मौजूदा बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है। लेकिन जैसे इन्होंने इसमें यह लिखा है –

"The special component plan envisages inclusion of scheme in the general section of development for the benefit of scheduled castes. It is envisaged that 50% of the scheduled castes family living below poverty line should be assisted during 6th Plan to cross the poverty line."

मैं यह चाहूंगा कि इस बारे में इन वाईडलाइन्ज पर चलकर कम से कम 50 प्रतिशत उन हरिजनों को जो पावर्टी लाईन से नीचे हैं पावर्टी लाईन से ऊपर उठाया जाये। उनकी जो रिजर्वेशन की समस्या है, उसका समाधान किया जाये और रिजर्वेशन का पूरा किया जाए। आज केन्द्र में भी क्लास वन और क्लास टू में रिजर्वेशन इन प्रोमोशन हैं हम जब बात करते हैं तो हमारी सरकार

की तरफ से यह जवाब आता है कि हाई कोर्ट की कोई रूलिंग इस प्रारक की आ गयी है कि हम रिजर्वेशन नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया था। वहां से यह रिजर्वेशन इन प्रोमोशन एप्रूव्ड है और वैलिड करार दी हुई है। चौ. भागी राम जी बोल रहे थे, वे इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाये। हमारे प्रान्त के अन्दर एक ए.ई.टी.ओ. की पोस्त है। उसको पहले क्लास थ्री का दर्जा दिया हुआ था। अब उस पोस्ट को विद इफैक्ट फ्रौम 1973 क्लास टू (ए) किया जा रहा है ताकि हरिजनों को रिजर्वेशन इन प्रोमोशन न मिल सके और पिछला शार्ट फाल इन रिजर्वेशन पूरा न हो सके। मैं अपनी सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह इस चीज का ठीक करे। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि इनके बैक लाग को पूरा किया जाये ताकि इनको इनका पूरा हक मिल सके। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में निर्णय को फलाउट न करें। (व्यवधान व शोर) मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार की जो भा खामियां हैं, सरकार उनको ठीक करे और हमारे क्षेत्र की डिवैल्पमेंट, चाहे सह सड़कों की है, बिजली की है, पानी की है, कालेज की है या बस स्टैंड की है, हस्पतालों की है, की जाये। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आप अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी में चले जायें तो वहां पर आप देखेंगे कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने के लिए पानी नहीं है बरसात की चार बूंदे भी पड़ जायें तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। फारैस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड के बारे में भी यहां पर काफी चर्चा हुई है। आपके

सामने सारे विशय इस हाउस में आये हैं। कुछ फैक्टस एण्ड फिगर्ज के साथ आये हैं। पिछले दो तीन सालों से अगर हम अन्दाला लगायें तो प्रदेश में लगभग 20–25 करोड़ दरखत हमने लगा दिये हैं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहात हू कि अगर हम भूमि को आकें कितनी भूमि प्रान्त में है और कितनी भूमि पर प्रान्त में पौधे लगा दिये गये हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचेगे कि इस समय हमारे पास एक इंच भी जमीन ऐसी नहीं है जहां पर हम कोई पौधा लगा सकें और सारी भूमि पर पौध लग गए हैं। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम इस बात की वैरीफिकेशन करा ली जानी चाहिये कि कितने पौधे लगे हैं, कहां लगे हैं और हमारे पास कितनी जमीन बाकी है जहां पर पौधे लगाये जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कई बातें है। जिनकी तरफ इस सरकार को देखना चाहिये। (घंटी) ..... मैं यह कह कर बैठ जाऊंगा कि जो हमारे प्रान्त की समस्याएं है, खास कर मेरे हल्के की समस्याओं को दूर किया जाये। हमें यह कहने का मौका न मिले कि प्रधान मंत्री का जो 20 सूत्री कार्यक्रम, है वह हमारी पार्टी ने प्रदेश में इम्पलीमैंट नहीं किया। उसको हमें पूरी तरह से लागू करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इतना ही कहकर बैठ जाता हूं कि हमारी प्रदेश सरकार को केन्द्र के डायरैक्टिव को मानकर चलना चाहिये इससे प्रांत का लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्षः श्री सुरेन्द्र सिंह आप कृपया 10 मिनट से जयादा न लें।

चौ. सुरेन्द्र सिंह (तोशाम): डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुझे टाईम बेशक न दें लेकिन मेरे ऊपर 10 मिनट की पाबन्दी न लगाये। मैं गवर्नर एड्रैस पर भी नहीं बोला हूं और न ही बजट पर बोला हूं। मैं पहली बार इस हाउस में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे खड़ा होने के बाद आपने कह दिया कि 10 मिनट से ज्यादा न लूं। 10 मिनट में नहरों, सड़कों, बिजली पानी, किसी की भी बात पूरी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्षः चौ. सुरेन्द्र सिंह जी, आप तो बड़े सियाने आदमी हो, 10 मिनट में तो सारे बजट पर बात हो सकती है। (व्यवधान)

चौ. सुरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, शायद हीरा चन्द आर्य जी के दिमाग में भिवानी जिले की ही समस्याएं होगी जो यह अब बोलना चाहते हैं। यह तो जीरो आवर में भी बहुत कुछ कह लेते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बजट चौ. कटार सिंह जी ने पेश किया है, प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम की मदे नजर रखते हुए, इसमें वित्त मंत्री महोदय ने आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है। मेरे अपोजीशन के साथियों ने बोलते हुए, खास कर चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने इस बजट के बारे में बहुत कुछ

कहा है। मेरी उम्र से वे बड़े है। बड़ी खुशकिस्मती से वह जनता सरकार में होम मिनिस्टर और इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर हुआ करते थे। इनके पास हरियाणा प्रान्त को देखने के लिये तमाम महकमें थे। मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई भी पार्टी की सरकार, चाहे वह जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, किसान के भले की बात नहीं सोचेगी। यह बात तो बोलते बोलते कई मैम्बर्ज कह गये हैं कि हमने उस वक्त यह किया, हमने उस वक्त वह किया। चौ. वीरेन्द्र सिंह जी को मैं वहां पर बैठा करता था। बहुत से हमारे भाई जो उस वक्त उधर बैठा करते थे, बाद में अपनी पार्टी बदल कर इधर आ गये। (व्यवधान व शोर) चौ. भजन लाल जी तो उससे पहले भी हमारे पार्टी में थे और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में वजीर थे। मेरा कहने का मन्शा यह है कि कोई भी सरकार हो, वह यह कोशिश करेंगी कि उसके जमाने में किसानों को और गरीब आदमी को राहत मिले। देखेने की बात यह है कि कौन सी सरकार यह काम कर पायी है। डिप्टी स्पीकर महोदय, 1977 के समय जो हरियाणा प्रानत के सामने समस्याएं मौजूद थीं – नाथपा झाकड़ी की, एस. वाई.एल. की, हथनी कुंड बैराज की, इस तरह से सारे मसलों का किसाने से सीधा वास्ता है, वह इनसे भी हल नहीं हो पायी। किसान यह चाहता है कि कोई भी सरकार हो और किसी भी पार्टी का उसके क्षेत्र का नुमाइंदा हो, उनकी इन समस्याओं का समाधान करे। उस समय इनकी सरकार के समय में दूसरे प्रान्त की सरकार ने हमारे साथ कोआप्रेट नहीं किया और कोई भी स्कीम पूरी नहीं

हो सकी। इन्होंने खुद इस बात को माना है। हमें इस सदन में भी वक्तन फक्तन यह सुनने को लिता है कि अगले 2 सालों में या अगले 3 सालों में यह चीजें या यह बैराज पूरा हो जायेगा। लेकिन पिछले दिनों की ही मैं आपको बात बताता हूं। मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें यह लिखा था कि हथनी कुंड के पास खारा हैड वर्क्स जो उत्तरप्रदेश का है, उससे यमुना का पानी उत्तर प्रदेश में इस्टर्न यमुना कैनाल में डालेन के लिये कैरियर चैनल बनाई जा रही है। अगर वह कैरियर चैनल, जैसे अखबार कहते हैं, उन्होनंने बना दी तो हमारा हथनी कुंड बैराज कभी भी नहीं बन सकता। हमारे इस प्रदेश का कभी भी फायदा नहीं हो सकता क्योंकि वहां से जो हमें 40 फुट का फाल हथनीकुंड बैराज पर मिलना है, वह नहीं मिलेगा और हम वहां पर पावर पैदा नहीं कर सकेंगे। अगर उनकी वह कैरियर चैनल बन जाती है तो हमारे दिलो–दिमाग में यह बात नहीं रहनी चाहिये कि हम वहां पर वह बैराज पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा उस बैराज की उस वक्त हमारी कौस्ट आफ कंस्ट्रक्शन कम थी और आज 17.00 बजे वह बढ़कर दुगुनी से ज्यादा हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे डिटेल में इसके आंकड़े मालूम नहीं हैं लेकिन 1977 में लगभग इस प्रोजैक्ट की कंस्ट्रक्शन की लागत साढ़े अठारह करोड़ थी और आज इंजीनियर्ज के मुताबिक इसकी कौस्ट आफ कंस्ट्रक्शन साढ़े सैतालीस करोड़ होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर महोदय, जब कभी विधान सभा का सैशन हो या कभी प्रैस कौंफ्रैंस हो तब तो उस वक्त तो यह चीज सुनने को मिलती है लेकिन क्या पिछले छः

महीने में हमारी इंजीनियरों के साथ कोई मीटिंग हुई है? मेरी सरकार से अर्ज है कि इस तरह से स्टैप्स लिए जाएं कि यह बैराज जल्दी बन सकें डिप्टी स्पीकर साहब, एस.वाई.एल. के मामले में तो पंजाब सरकार हमारी सकरार की मदद नहीं कर सकती लेकिन उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ मिलकर जो प्रोजैक्टस लगने हैं वे तो वार फुटिंग पर लेने चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से बिजली की समस्या है। दिल्ली टेल एण्ड पर है लेकिन फिर भी डेसू धक्के से अपने हिस्से से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। हमारा हक डेसू काट लेता है। डिप्टी स्पीकर साहब, खासकर महेन्द्रगढ़, भिवानी, झज्जर, गुड़गांव, हिसार का पिछड़ा इलाका, रोहतक, झज्जर ओर कोसली ये इलाके ऐसे हैं जो पिछड़े इलाके हैं और यहां के किसान गरीब हैं। मैं इरीगेशन मिनिस्टर से कहूंगा कि हरियाणा में एक तरफ तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं निकल सकता लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी जमीन बगैर पानी के रह जाती है। सबसे अफसोस की बात यह है कि हरियाणा के बिजली बोर्ड की हालत यह है कि बिजली के महकमें में और इरिगेशन के महकमें में लिफ्ट इरिगेशन को चलाने के लिये कोई तालमेल नहीं है। यह तालमेंल चौबीस घंटे होना निहायत जरूरी है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब नहर आती है तो कई बार उसके पम्प हाउस को नही चलाया जाता और पीछे पानी टूट जाता है। इस चीज को सरकार को जरूरी देखना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार यह बात जरूर देखे कि लिफट इरिगेशन की सप्लाई कहीं टूट न

जाए। फिर किसान मुआवजा मांगने आते हैं। तब वह पानी निकाला जाता है। इसके अलावा मैं नाथपा झाखड़ी के बारे मैं कहना चाहता हूं। पिछले बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि इस प्रोजैक्ट को डैड समझा जाए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस बात का खास ख्याल रखे कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर जो प्रोजैक्टस लगने हैं, उन पर वार फुटिंग पर काम हो। डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री जी बता रहे थे कि बिजली के बिल बहुत से कारखानेदारों की तरफ पड़े हुए हैं, पैंडिंग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में बिरला सब से बड़ा कारखानेदार है और भिवानी में टी.आई.टी. और बी.टी.एम. बिरला की मिलें हैं, लेनिक 63 लाख के बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की गई है। मंत्री महोदय ने एक लाईन में जवाब दे दिया कि और दुबारा बता देंगे कि केस अदालत में पैंडिंग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि झगड़ा अदालत में पैंडिंग हो सकता है कि मीटर में गड़बड़ है या कोई टैक्नीकल डिफैक्ट है लेकिन 1973 से आज तक एक कारखानेदार बिजली के बिलों की पेमैन्ट न करे और केस अदालत में चलता रहे, यह नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार किसी भी तरह की कार्यवाही करे। यह पैसा जल्द से जल्द वसूल होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड के ऊपर करोड़ों रूपए का कर्जा है और यह कर्जा ज्यादा ही होता चला जाएगा इसलिए मेरी सरकार से रिक्वैस्अ है कि बिजली बोर्ड की हालत को सुधारे। डिप्टी स्पीकर महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि लाइनिंग आफ वाअर कोर्सिज का जितना खर्चा है,

वह सरकार खुद दे। किसान से न लिया जाए। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसान तक पानी पहुचाएं। किसान के खेत में जो पानी जाता है, सरकार उसका आबियाना लेती है इसलिये किसान के खेत तक पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि सरकार की पैसे की दिक्कत है लेकिन सरकार का करोड़ो रूपया लोगों के पास ऐसा पड़ा हुआ है जिसका पेमैन्ट नहीं हो रहा है। श्री निर्मल सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने ओडिटर जनरल की रिपोर्ट का हवाला दिया कि एक्साइज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैट ने 1.87 करोड रूपया की पैनल्टी की रिक्वरी का नोटिस टाईपराइटर न होने की वजह से नहीं दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, इस चीज को देखते हुए क्या पोलिटीक्ल आदमियों की जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती कि वे औफिसर्ज को देखें कि किसने गैर–जिम्मेदारी का काम किया है। एक–एक पैसे के लिए किसान का कनैक्शन काट दिया जाता है। एक गरीब आदमी के बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाता है लेकिन करोड़ों रूपया जिस आदमी ने देना है ओर जिस औफिसर ने उसका लिहाज किया है, उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता। मेरा कहना यह है कि इस तरह के आदमी का कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यपधान)।

मैं तो वहां बैठता हूं जहां लोग मुझे ले जाते हैं। डिप्टी स्पीकर महोदय, इस सदन में कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 920 एकड़ या एक हजार एकड़ की

माइनिंग इल्लीगल तरीके से हो रही है। वहां सिलिसिका के लिए तो परमिट इशू कर रखे हैं लेकिन बजरी और रेत निकालने के लिए नहीं जोकि निकाली जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार को इस मामले में कई बार लिखा है। मैं लोज की बात नहीं करता कि किस के पास है और किसके पास नहीं हैं। यह मेरा सबजैक्ट नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि कायदे और कानून से काम चलना चाहिए। अगर कायदे और कानून से हम काम नहीं चला सकते तो यह काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्टर जनरल, लेबर को डिप्यूट किया कि वह वहां यह देखे कि वहां कायदे कानून से माइनिंग होती है या नहीं। डायरैक्टर जनरल, लेबर, ने हरियाणा सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी। डिप्टी स्पीकर महोदय, इतना ही नहीं, गवर्नमैंट आफर इंडिया ने यह लिखा कि इन माइन्ज को नैशनेलाइज करके हरियाणा सरकार खुद टेक ओवर करे लेनिक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा कि पिछले दिनों गवर्नमैंट ने पब्लिकली स्टेटमैंट दिया था कि हम पर ऐक्शन लैंगे। काफी टाईम गुजर गया लेकिन कुछ नहीं किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस बात पर गौर करे और ऐक्शन ले। मुझे आशा है कि इस बारे मैं कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा।

डिप्टी स्पीकर महोदय, पिछले दिनों गुड़गांव में यह चर्चा चलती रही कि कालोनाइजेशन डिपार्टमैंट जो कालोनीज

हरियाणा प्रान्त में बनाता है या लाइसैंस देता है उसमें हमारी सरकार के औफिसर्ज सरकार को सचेत नहीं रखते। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने 150 या दो सौ या दो सौ पचास एकड़ जमीन जिसकी दफा चार की नोटिफिकेशन हो चुकी थी, एक बहुत बड़े कालोनाइजर जिसने हरियाणा में लाइसैंस लिया हुआ है, उस कालोनाइजर की रिक्वैस्ट पर वह सारी जमीन डिनौटिफाइ कर दी और कालोनाइजर ने पन्द्रह बीस दिन के अन्दर अपना प्लान बताकर दे दिया। डिप्टी स्पीकर महोदय, बीस सूत्री प्रोग्राम के अधीन आम आदमी के लिए, एक गरीब हरिजन के लिए जो छोटा मकान बनाकर देते हैं, उसके बनाने के लिये तो हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, हुड्डा ने 30 करोड़ रूपया इक्ट्ठा कर लिया और सरकार यह कहती है, कि हम एक साल में इस पैसे को वापिस कर देंगे। कितने अचम्भे कि बात है। मान लीजिये कि मैं डीलर हूं और मैं कहूं कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको कार दूंगा और बाद में मैं यह कहूं कि कार तो मैं नहीं दे सकता और आपके पैसे मैं एक साल बाद दूंगा (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तो मुझे बहुत थोड़ा समय बोलते हुए हुंआ है।

श्री उपाध्यक्ष: चौ. सुरेन्द्र सिंह, आपको बोलते हुए 15 मिनट का समय हो गया है। आप एक सीनियर मैम्बर हो आपको समय का ध्यान रखना चाहिये। आप कृपया समाप्त करिये।

चौ. सुरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तो मुझे साढ़े सात या 8 मिनट ही बोलते हुए हुए हैं।

श्री उपाध्यक्षः मैंने चैक कर लिया है, आपको अब तक बोलते हुए 15 मिनट का समय हो चुका है। प्लीज वाइंड अप।

चौ. सुरेन्द्र सिंहः अच्छा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो चार पांच सात मिनटों में अपनी बात कह कर अपना स्थान लूंगा (शोर)

श्री उपाध्यक्षः नहीं, चौ. सुरेन्द्र सिंह। यह तो बहुत ज्यादा समय है। आप जल्दी समाप्त करें।

चौ. सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे अपनी बात कह लेने दीजियेगा। जब मेरा समय हो जाए तो आप घंटी बजा दीजियेगा। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में बराबर कुछ समस्याओं की चर्चा होती रही है। मुझे विस्तार से मालूम नहीं लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि परसों असैम्बली में भी फारेस्ट बोर्ड के ऊपर सवाल आया था। डिप्टी स्पीकर साहब, अच्छा होता कि जो कागज मेरे पास है, वह कागज मुख्यमंत्री महोदय के पास होता। मैं तो उनकी तसल्ली के लिये कह रहा हूं। मैं किसी पोलिटीकल आदमी की परसनैलिटी पर अटैक नहीं करता। चूंकि यह बात गल्त नहीं है रिसपान्सीबिलीटी तो किसी न किसी की है ही। डिप्टी स्पीकर साहब, तीन डिस्ट्रिक्टस हैं जहां पर वृक्ष थोड़े काटे गये है और आमदन ज्यादा हुई।

श्री उपाध्यक्षः चौ. सुरेन्द्र सिंह जी, मुझे पता है, जिस वक्त इस सवाल पर डिस्कशन हो रही थी उस वक्त मैं बैठा था। इस पर कम से कम 25 मिनट तक डिस्कशन चली थी। इसलिये अब इस पर यहां पर बोलना यूंही टाईम खराब करने वाली बात है। आप किसी नई आइटम पर आएं। (व्यवधान व शोर) आप कृपया वाइंड अप करें।

चौ. सुरेन्द्र सिहः डिप्टी स्पीकर साहब, फिर आप ही बता दीजियेंगा कि आप को कौन सी बात पसन्द है। मैं उसी पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्षः सुरेन्द्र सिह जी, जो बात पहले नहीं कही गई हो, वह आप यहां पर कह लें आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो बात पहले हाउस में आ चुकी हो, उसकी रैपीटीशन तो नहीं होनी चाहिये।

चौ. सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, उधर से भी कोई बोलने वाला नहीं है और न ही इधर से कोई बोलने वाला हैं आप कृपया मुझे अपनी बात कहने दें (शोर) बस मैं एक दो मिनिट में ही अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों हाउस में भी एक दो साल से लगागार सवाल आये हैं कि हरियाणा प्रान्त में जितने बोर्ड और कारपोरशन्ज हैं, उनमें बहुत ज्यादा घपला है। मार्किटिंग बोर्ड के बारे में, आपको याद होगा कि इस सदन में उस बोर्ड से सम्बन्धित कई बार चर्चा की गयी

है। ऐग्रीकल्चर विभाग के बारे में मैं यह जिक्र करूंगा कि हरियाणा प्रान्त के आफिसिज में जिप्सम का एक बड़ा भारी स्कैंडल हुआ था और ऐसी बातों के लिये यहां पर पूछें तो ठीक तरह से जवाब भी नहीं मिलता हैं हाई ब्रीड बाजरा का 1979 में एक स्कैण्डल हुआ था। उसके बारे में 1980–81 में आश्वासन दिलाया गया। टैण्डर 451 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आया और खरीद की गयी 720 रूपये पर पर क्विंटल के हिसाब से। इस बारे में आडिट वालों ने भी आबजैक्शन उठाया और हरियाणा सरकार के चीफ सैक्रेटरी से लेकर नीचे तक फाइलें चलती रहीं और आखिर में वे फाइलें गुम हो गयीं। कितने अचम्भे की बात है। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, मार्किटिंग कमेटी कैथल में 4 लाख रूपये का ऐम्बैजलमैंट हुआ। इस सरकार की तरफ से केस रजिस्टर करवा दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। अभी केस पैंडिंग ही थी कि उस एस.ओ. की परमोशन कर दी गयी और केस भी विदड्रा कर लिया गया लेकिन हुआ क्या, पैसा रिकवर नहीं किया गया। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि यह चार लाख की ऐम्वैजलमैंअ का जो मामला यू ही छोड़ दिया गया है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह चार लाख रूपया तो रिकवर कर लेना चाहिये था। इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात परसनल कह कर अपना स्थान लूंगा। चार पांच रोज पहले की बात है, मैंने चीफ इंजीनियर (आपरेशन) बिजली बोर्ड को टेलीफोन किया और वह भी मैरे अपने हल्के के किसी किसान के सम्बन्ध में था। जब टेलीफोन किया गया, मेरे अपने हल्के के किसी किसान के सम्बन्ध में था। जब

टेलीफोन किया गया, उस वक्त लगभग सवा दो बजे का समय था। उस चीफ इंजीनियर के पी.ए. ने कहा कि चीफ इंजीनियर साहब खाना खा रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद टेलीफोन कर लेना .. ..

श्री अध्यक्षः चौ. सुरेन्द्र सिंह जी, आप यह मामला तो प्रिवलिज मोशन के तौर पर ला सकते थे।

चौ. सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, में प्रिवलिज मोशन मूव कर दूंगा फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। आप आश्वासन दे दें कि आप इसकी देखभाल करेंगें तो मैं बता रहा था, कि जब मैंने टेलीफोन किया तो उस वक्त दयानन्द शर्मा, एम. एल.ए. उनके पास बैठे थे। मैंने कहा कि चीफ इंजीनियर साहब, मैं आपके 10 मिनटों से बात करना चाह रहा था लेकिन आपसे मल नहीं हुआ। आपके पी.ए. ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं? एक एम.एल.ए. और वहां पर बैइा था। उसी चीफ इंजीनियर ने उस एम. एल.ए. साहब के सामने अपने पी.ए. को कहा कि तुमने यह क्यों नहीं कहा कि चीफ इंजीनियर साहब यहां पर नहीं हैं (शेम शेम की आवाजें) इसी तरह से एक और वाक्या मैं आपको बताता हूं कि भी दयानन्द और एक और एम.एल.ए. साहेबान किसी पब्लिक के काम के लिए सिकी डी.एस.पी. के पास गये और उन डी.एस.पी. ने कम से कम 10 मिनट तक उन एम.एल.एज. को बैठने के लिए कुर्सी तक भी आफर करना गवारा नहीं समझा। यह तो हाल है डिप्टी स्पीकर साहब।

श्री उपाध्यक्षः चौ. सुरेन्द्र सिंह जी, आप अब बैठिये, आपका समय हो गया है।

चौ. सुरेन्द्र सिंहः अच्छा जो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे डिमांडज के वक्त डिस्कशन के लिये समय अवश्य देना। जय हिन्द।

चौ. बलबीर सिंह ग्रेवाल (मुंढाल खुर्द): डिप्टी स्पीकर साहब, 20 तारीख को वित्त मंत्री महोदय चौ. कटार सिंह छोकर जी ने 1984–85 का बजट इस हाउस में पेश किया है। बजट या प्लान लोगों की समस्याओं, तकलीफों को दूर करने के लिये होता है। तकलीफें चाहे हमारी बेरोजगारी की हों, चाहे गरीब अमीर के फर्क की हों, चाहे इन्कम और वैलि की डिस्पैरिटी को कम करने की बात हो, पावर्टी की बात हो, चाहे हाउसिंग की समस्याएं हों, चाहे लोगों की शिक्षा की समस्याएं हों, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिये प्लान था बजट बनाये जाते हैं लेकिन इस वक्त जो हाात हमारे प्रदेश में हैं, वे सभी को मालूम हैं। मुझे एक मिसाल याद आई है, वह मैं बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 की बात है। उस दिन आजादी मनायी जा रही थी। एक बहुत पुराने जर्नालिस्ट श्री दुर्गा दास जी भी वहां पर थे। वे उस वक्त अगल अलग वर्ग समूहों में गये और कहा कि आज हमें आजादी मिली है, आपका क्या रि–ऐक्शन है? पहले वे किसान समूह में जाते हैं कि आज आप क्या कहना चाहते हैं? तो किसान कहते हैं

कि आज हमें आजादी मिली है। अब सारे देश में राम राज होगा और हमें बिजली, खाद और दूसरे औजार सस्ते उपलब्ध होंगे। उसके बाद वह जर्नालिस्अ आई.सी.एस. अफसरों के समूह में जाता है और पूछता है कि आजादी मिलने पर आप का क्या रि–एक्शन है। वे अफसर कहते हैं कि बड़ी कुर्बानियों के बाद आजादी मिली है। अब हम गांधी टोपी और खादी पहन कर इस मुल्क की सेवा करेंगे उनका रि–एक्शन बहुत बढ़िया था। उसके बाद वह इंडस्ट्रिलिस्टस के पास गया और उनसे इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब राज करते थे तो हमारे पैसे की वजह से राज करते थे। हम उनको भी पैसा देते थे और आज के जो राजनैतिज्ञ हैं उनको भी हम पैसा देंगे और अपना काम करवायेंगे। (इस समय भी अध्यक्ष पदासीन हुए) वे कहने लगे कि असली राज तो हमारा ही रहेगा। स्पीकर सहाब, आज आजादी मिले 37 साल हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद वही हालत है। देश की सस्या जो 15 अगस्त, 1947 को थी, चाहे भूख मरी की समस्या हो, चाहे बेकारी की हो, शिक्षा की हो या हाउसिंग की हो, वह वहीं की वहीं खड़ी है। हमारे प्रदेश की समस्या के बारे में मुख्यमंत्री जी सुनें क्योंकि यह समस्या मैं उनकी हाजरी में ही बताना चाहता हूं। चार–पांच दिन पहले एग्रीकल्चर की बात चल रही थी। मुख्यमंत्री जी ने खुद माना था कि चना, सरसों और कपास की फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने माना था कि कपास की फसल का 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है और सरसों तथा चने की फसल का 90 प्रतिशत नुकसान हुआ है। आप ही बताएं कि किसानों का गुजारा कैसे

होगा। अगर सरकार ने हम मुआवजे की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि इतना पैसा अगर मुआवजे का दे दें तो सरकार फेल हो जाएगी। आखिर सरकार गरीब वर्ग के लिये बजट बनाती है। आज सब से गरीब वर्ग किसान है। आप भिवानी, महेन्द्रगढ, सिरसा और रोहतक जिलों में देखें। वहां पर फसलों का बहुत नुक्सान हुआ है लेकिन आज तब कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है? अगर मुख्यमंत्री जी इस 430 करोड़ रूपये के बजट में से 20 करोड़ रूपया इन लोगों को देने के लिये निकाल दें तो सरकार गिरने वाली नहीं है। ऐसा करने से तो आपकी सरकार की तारीफ होगी और लोगों में आपका सम्मान बढ़ेगा। पांच छः साल पहले यहां पर जनता सरकार थी और उसने पहले भी सरकार ताकत में आई थीं। जनता सरकार ने किसानों के नुक्सान का मुआवजा दिया था तो आप भी ऐसे नुकसान का मुआवजा देना शुरू कर दें। आप देखें कि सोनीपत और रोहतक में लोगों की क्या हालत है। वहां पर खरीफ की सारी फसल मर गई है और स्कूलों की बिल्डिंग खराब हो गई हैं। किसानों को मुआवजा न देना यह शो करता है कि यह सरकार एन्टी किसान है। (विघ्न) स्पीकर साहब, हम यहां पर 95 प्रतिशत गांवों के नुमांयदे हैं और चौ. वीरेन्द्र सिंह हंस रहे हैं। इनका सम्बन्ध तो सामान योग्य बुजुर्ग चौ.छोटूराम जी से है, जो हमारे सम्मानित लीडर रहे हैं। चौ. वीरेन्द्र सिंह जी आप गांव में जाकर देखें कि किसान क्या कह रहे हैं। सोनीपत के इलैक्शन में लोग कह रहे थे कि हम बर्बाद हो गये। हमारे स्कूलों की बिल्डिंग

खराब हो गई। (विघ्न) 1982 के इलैक्शन में भी आपको बहुत वोटें मिली थी। आपकी केवल 36 सीट आई थीं और 14–15 मिनिस्टर हारे थे। स्पीकर साहब, 1966 में श्री मैकनमरा हमारे देश में आए थे। उस वक्त राजस्थान नहर 56 करोड़ रूपये में बनती थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तार में अगर मैं इस सरकार की जगह होता तो राजस्थान नहर को टौप प्रियारिटी देता। उन्होंने कहा था कि इस नहर के बनने से अकेला राजस्थान ही खुशहाल नहीं होगा बल्कि पूरा देश खुशहाल होगा। इन्होंने एस.वाई.एल. नहर का पत्थर देश की प्रधान मंत्री से 31 दिसम्बर 1981 को रखवाया था लेकिन आज तक एक इंच भी जमीन पंजबा साइड में नहीं खुदी है। दो साल होने को जा रहे हैं लेकिन किसानों को खुशहाल करने वाली सरकार एक ईच भी जमीन नहीं खुदवा सकी है। जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। (विघ्न) लोक दल की सरकार आएगी तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अन्दर अन्दर यह नहर खुद जाएगी। (शोर) स्पीकर साहब, पंजाब को हम इतना पैसा दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है तब तक यह नहर पूरी भी नहीं होनी है जब तक चौ. भजन लाल मुख्यमंत्री रहेंगे और सैंटर में कांग्रेस की सरकार रहेगी। ऐसा काम करने की कांग्रेस की नीति नहीं है। यह सरकार एंटी किसान है और किसान की भलाई का काम नहीं कर सकती। स्पीकर साहब, इनकी सरकार यहां भी है और सैन्टर में भी है। इसके बनाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। इससे जरूरी कोई और काम नहीं है। सरकार

को चाहिए पंजाब के भाइयों को बुला कर किसी तरह से मनाएं। इसमें उनकी भी बेहतरी है और हमार भी बेहतरी है। अगर आप राज करने के काबिल नहीं हैं तो छोड़ दो। जनता कोई दूसरा हिसाब किताब देख लेगी।

स्पीकर साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछले दिनों मंत्री महोदय ने माना कि हरियाणा में लिट्रेसी की परसैंटज बिलो नेशनल एवरज है। वैसे तो कहते हैं कि हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है लेकिन इस स्टेट में लिट्रेसी की परसैंटेज एवरेज से भी कम है। आज हरियाणा मे लिट्रेसी की परसैन्टज 35 प्वांयट कुछ है जबकि सारे देश की 36 प्वांयट समथिंग है। हरियाणा में तो लिट्रेसी की परसैंटेज 60 होनी चाहिए थी। स्पीकर साहब, आप एजुकेशन का हाल देखें। मुख्यमंत्री जी के बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे और आफिसर्ज के बच्चे पब्लिक स्कूलों में, मोडर्न स्कूलों में और माडल स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन गांवों के किसानों के बच्चे, गरीब, और मजदूरों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी हालत को कोई नहीं देखता है। चौ. भजन लाल जी, मैं आपको यहा कहना चाहता हूं कि आप कभी गांवों के प्राइमरी स्कूलों की हालत देखें। उनकी बिल्डिंग और उनके अन्दर पढ़ाई देखें। उन बिल्डिंगों की खिड़कियां देखें और उन स्कूलों की पढ़ाई देखें। उसके बाद आप हमारे से बात करें। आपको उन गांवों के स्कूलों की हालत को देखकर सब कुछ मालूम हो जाएगा। यदि हम एजुकेशन के बारे में कोई बात कहें

तो हमें इनकी तरफ से यह कह दिया जाता है कि आपकी बात बेसलैस है। हरियाणा के अन्दर इस सरकार ने सारी की सारी एजुकेशन को बरबाद कर दिया हैं इस सरकार ने हरियाणा के अन्दर एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी है। स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर जो लड़का दसवीं पास करके आता है उसको पूरी ए,बी,सी,डी, लिखनी नहीं आती और ग्रेजुएट लड़का हिन्दी में कोई एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। स्पीकर साहब, पूरे प्रदेश में इस तरह का वातावरण है। अभी पिछले दिनों जब लोक सभा के स्पीकर श्री बलराज जाखड़ मेरी कांस्टीच्यूएसी मुढाल में आए थे। उन्होंने खुद यह कहा कि हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन बरबाद हो गई है।

इसके अलावा स्पीकर सहाब, अब में सड़कों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। सड़कों के बारे में मैं 1980–81, 1981–82 और 1982–83 तीन सालों की बात ही बताऊंगा। यदि किसी मिनिस्अर का हल्का होता है तो वह अपने हल्के में एक करोड़ 73 लाख रूपया खर्च कर लेते हैं, दूसरा मिनिस्टर आया ओर वह एक करोड़ 20 लाख रूपया खर्च कर लेते हैं और तीसरा मिनिस्टर आया तो वह 93 लाख रूपए अपने हल्के में खर्च कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी का हल्का है इनके हल्के में एक करोड़ 50 लाख रूपए खर्च किए गए हैं, स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि चीफ मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टरों के दो चार हल्कों के सिवाय यह सरकार किसी दूसरे हल्कें में सड़कों के काम में

कोई पैसा खर्च नहीं करती है। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी के लिए 90 क 90 हल्के बराबर होने चाहिएं लेकिन इन्होंने सिवाय चार पांच हल्कों के किसी दूसरे हल्कों में सड़क बनवाने का कोई काम नहीं करवाये हैं। इन्होंने सारे हरियाणा को इस मामले में नैगलक्ट किया हुआ है। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने आज से तीन साल पहले जो सड़क मन्जूर कर रखी है और स्ड़क सैन्क्शन कर दी है, सड़क एक ईच भी नहीं बनी है और एक छटाक रोड़ी उस सड़क पर नहीं पड़ी है और फिर यह कहते हैं कि हरियाणा में 200 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाएंगे। स्पीकर साहब, आप तो चौ. बंसी लाल जी की मिनिस्टरी में भी मिनिस्टर रह चुके हैं और आप तीन चार बार मिनिस्टर रह चुके हैं। आपने भी देखा होगा। हरियाणा में क्या कहीं पर सड़कों की कोई डिवैल्पमैंट हुई है? बिल्कुल भी डिवैल्पमैंट नहीं हुई है। केवल चार पांच को छोड़ कर। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं और जो आफिसर गैलरी में अफसर लोग बैठे हैं, उनको मैं यह बता देना चाहता हूं कि वे लोग अफसर बनने के लायक नहीं हैं जो पोलिटिक्ल प्रैशन मे आ कर सिवाय दो चार हल्कों के बाकी हल्कों को डिवैल्पमैंट के कामों से नैगलट करें। सड़कें तो दूसरे हल्कों में भी बनती होती हैं। उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। स्पीकर साहब यह तो केवल सड़कों की बात है। जो अस्पताल बनाए जाते हैं वे भी मिनिस्टरों के हल्कों में बनाए जाते हैं स्कूल अपग्रेड किए जाते हैं, वे भी इनके हल्कों में किए जाते हैं सड़क बनाई जाती हैं, वे भी इनके हल्कों में बनाई जाती हैं। जितना पैसा डिवैल्पमैंट

के कामों पर खर्च किया जाता है, यह सारा चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टरों के हल्कों में खर्च किया जाता है। स्पीकर साहब, दूसरे एम.एल.एज. के हल्कों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है और कर रहे हैं। यह बहुत खराब बात है। इसके अलावा, स्पीकर साहब, मैं बिजली के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। चौ. सुरेन्द्र सिंह जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीलिस्टस के अगैन्सट सरकार का बिजली के बिल का काफी पैसा बकाया है। किसी की तरफ एक करोड़ 20 लाख का बिल बकाया है, किसी की तरह 63 लाख रूपए का बिल बकाया है, किसी की तरफ 30 लाख रूपए का बिजली का बिल बकाया है और किसी की तरफ 25 लाख रूपए का बिल बकाया है लेकिन उनके बिजली के कनैक्शन नहीं काटे जाते हैं। उनके कनैक्शन इसलिये नहीं काटे जा सकते क्योंकि वे बड़े बड़े सेठ हैं। इसके दूसरी तरफ यदि किसानों की तरफ 500 रूपए का बिजली का बिल बकाया है, तो उसका कनैक्शन काट दिया जाता है। स्पीकर साहब, 500 रूपए का बिल ही नहीं यदि किसी किसान की तरफ 50 रूपए का बिजली का बिल बकाया होता है तो उसका भी कनैक्शन काट दिया जाता है। इस तरह से यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। इसके बाद मैं वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में अने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः ग्रेवाल साहब, अब आप बैठ जाए। आपका टाईम समाप्त हो चुका है।

चौ. बलबीर सिंह ग्रेवाल: बहुत अच्छा जी, धन्यवाद।

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी): स्पीकर साहब, सदन के अन्दर किसानों और हरिजन भाइयों की भलाई के लिए बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और बार बार इनका जिक्र आता रहा है और जिक्र आना भी चाहिए। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि इंडीस्ट्रीयल लेबरर्ज के बारे में किसी भी माननीय सदस्य के जिक्र नहीं किया। मैं इस बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीयल लेबरर्ज के क्षेत्र में मैंने भी काम किया है और मुझे इस बात का पता भी है कि आजकल इंडस्ट्रीयल लेबरर्ज की हालत बहुत बुरी हो गई है। उनकी हालत इसलिये बुरी हो गई है क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीयल क्लोजर ओर सिकनैस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी यह बदकिस्मती है कि हमारी स्टेट में बिजली की बड़ी भारी कमी है और बिजली की कमी की वजह से आप यह भी देखते होंगे कि बिजली का कट ज्यादातर इंडस्ट्रीज पर ही लगाया जाता है जिसके कारण इंडस्ट्रीयल लेबरर्ज बहुत जयादा हद तक बेकार हो जाते हैं। इंडस्ट्रीयल लेबरर्ज को ले आफर किया जाता है, रीट्रैच किया जाता है और वापिस घर भेज दिया जाता है। इस तरह से दिन प्रतिदिन इंडस्ट्रीयल लेबरर्ज की हालत बुरी होती जा रही है। इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान इस तरह आकर्शित करूंगा कि आजकल यह रूझान सा बन गया है कि उद्योगपति जो नई यूनिट लगाते हैं, जिसके अन्दर 10–20 लाख रूपए खर्च होते हैं, वह

सारा पैसा लोन आदि लेकर खर्च किया जाता है। लोन पर सरकार की तरफ से उनको सबसिडी मिलती है और लोन भी फाइनैंशियल इंस्टीच्यूशंज से ले लेते हैं। इस तरह से लगभग 80 परसैंट पैसा वे दूसरी जगहों से लोन लेकर इंडस्ट्रीज लगाने पर खर्च करते हैं और 20 परसैंट पैसा अनी जेब से लगाते हैं। इसके अलावा सरकार ने उनको काफी सहुलियतें दी हैं जो नई इंडस्ट्री लगाता है, उसके माल की बिक्री के लिए सरकार की तरफ से दो तीन साल तक काफी सहुलियत दी हुई हैं। टैक्सों में काफी रियायत है। जो माल बेचने के लिए रेट है, उसमें भी रियायत है। इस प्रकार की काफी सहूलियतें सरकार की तरफ से उनको मिली हुई हैं। इसके अलावा एक कारण और भी है। बड़े दुख की बात है कि हमारे जो उद्योगपति हैं, वे आमतौर पर बजाय इसके कि उद्योग को आगे बढ़ाएं, देश में या प्रदेश में जो बेकारी का मसला है, उसको हल करें और उद्योग को आगे बढ़ाएं, देश में या प्रदेश में जो बेकारी का मसला है, उसको हल करें और उद्योग को आगे बढ़ाएं, शुरू से उनकी नीयत खराब हो जाती है और दो तीन साल के अन्दर जो उन्होंने 20 परसैन्ट पैसा अपनी जेब से उस यूनिट पर लगाया था उसकी बजाय 70–80 परसैन्ट पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं और यूनिट को सिक करके छोउ़ जाते हैं। लगीाग 70–80 लाख रूपया कमा कर यूनिट को सिक करके छोड़ जाते हैं जैसे सहगल पेपर मिल की एग्जैम्पल साईट की जा सकती है। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस चीज का हल निकालने के लिये कोई न कोई तरीका सोचना चाहिए। जो नई

इंडस्ट्रीज लाई जाती है, उससे 70–80 लाख रूपया कमा कर उसको सिक कर दिया जाता है और वह बन्द हो जाती है जिसके कारण वहां की लेबर बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। उद्योगपति अपनी कमाई करके और यूनिट को सिक करके छोड़ जाते हैं और जिस फाइनैंशियल इंस्टीच्यूशन से लोन लिया हुआ होता है उसको और लेबर को रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। स्पीकर साहब, यही वजह है जिसके कारण इंडस्ट्रीयल लेबरर्ज की दिन प्रतिदिन हालत बहुत बुरी होती जा रही है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि आजकल हमारे देश में और प्रदेश में यह बीमारी फैलती जा रही है कि यूनियनों में रायवैलरीज बहुत बढ़ती जा रही है यानी इंडस्ट्रीयल लेबरर्ज की एक यूनिट के अन्दर 2, 3, 4, ओर 5 तक यूनियने बन जाती हैं और रजिस्टर्ड हो जाती हैं। यूनियनें रजिस्टर होने के बाद उनके अन्दर आमतौर पर यह देखा जाता है कि यूनियनें भी दूसरी पोलिटिकस पार्टीज की तरह अपनी पार्टियां बना लेती हैं। वे यूनियनें पोलिटिकल शेप में अपनी पार्टियां बना लेती हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह बुरी बात है लेकिन उन यूनियनों के लीडर लेबरर्ज को ठीक तरीक से काम नहीं करने देते हैं। एक यूनिट में ही चार पांच यूनियनें होने के कारण ऐसा होता है कि एक यूनियन का लीडर यह कहता है कि आप हमारी यूनियन में आ जाएं हम मैनेजमैंट से आपके 10 रूपये बढ़वा देंगे, दूसरी यूनियन का लीडर यह कहता है कि आप हमारी तरफ आ जाएं हम आपके 30 रूपए बढ़वा देगें इसी तरह से तीसरी यूनियन का लीडर कहता

है कि आप हमारी तरफ आ जाएं हम आपके 40 रूपये बढ़वा देंगे इसी तरह से चौथी यूनियन का लीडर कहता है कि आप हमारी तरफ आ जाएं हम आपके 50 रूपये बढ़वा देंगे। इस तरह से उन यूनियनों में आपस में झगड़ा होता जाता है। ऐसे कारण हैं जिनके कारण इंडस्ट्रीयल लेबरर्ज की हालत दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके सामने एक मिसाल अर्ज करना चाहूंगा। मेरी कांस्टीच्यूएंसी भिवानी के अन्दर एक टी.आई.टी. मिल है और शायद आपको पता होगा कि इस मिल की एक इंस्टीच्यूट है जो कि बी.टैक्स और एम.टैक्स. की डिग्री देती है। आज से तीन चार साल पहले यह मिल हरियाणा का सबसे बढ़िया कम्पोजिट टैक्सटाइल मिल होता था और बहुत अच्दी प्रोडक्शन होती थी। लेकिन 1980 में उस मिल का विविंग डिपार्टमैंअ बंद हो गया जिसके कारण लगभग एक हजार मजदूर बेकार हो गए थे। अब वहां का आधा स्पीनिंग मिल भी बन्द हो गया है। वहां पर पहले 3500 के करीब मजदूर का करते थे। इस समय इन 3500 में से कोई 1200 या 1100 या 1000 या इससे भी 100 या 200 कम मजदूर काम करते हैं। अब जब कि उस मिल में हड़ताल भी समाप्त हो गयी है फिर भी मजदूरों को काम नहीं लि रहा और मिल नहीं चल रही है। हो सकता है कि एम्पलायर की कोई दिक्कत हो। मैं यह समझता हूं कि सरकार का फर्ज बनता है कि वह इस मामले पर गहराई से विचार करें। सोचने की बात यह है कि क्यों मिलें इस तरह से सिक होती जा रही हैं? आज बिजली की कमी से मजदूर बेकार हो रहे हैं। आज उद्योगपति क्यों

इंडस्ट्रीज चलाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी तो सरकार को यह सलाह होगी कि इस बारे एक हाईपावर्ड कमेटी इस हाउस की या बहार केटैक्नीकल आदयिमों को लेकर बना दी जाये जो इस समस्या पर स्टडी करे ताकि इंडस्ट्रीज में लेबरर्ज का जो बुरा हाल होता जा रहा है, उसको बचाया जा सके। आप यह बात मानेंगे कि किसान और मजदूर दोनों किसी देश की यह प्रांत की रीढ़ की हड्डी हैं। यदि आप सारी सुविधाएं किसान को ही देते रहेंगे और इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह गलत बात होगी। जब तक इण्डस्ट्रीज को भी साथ साथ ऊपर नहीं उठाया जायेगा तब तक प्रान्त की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से पुनः गुजारिश है कि वह इस पहलू पर विशेश ध्यान दें। सरकार को इण्डस्ट्रीज में लेबरर्ज को काम दिलाना चाहिए, उनके हकूक को दिलाने पर विचार करें और मजबूरों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने पर विचार करे। मैं सरकार को इस बात के लिए मुकबारिकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अब फैसला लिया है कि जो लेबर कोटर्स हैं, उनमें एक जुडिशियल आफिसर एप्वांयट करेंगे। ऐसा होने से हड़तालें होने का भी कम चांस आएगा और मजदूरों के जो मुकदमें काफी अर्से तक चलते रहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सुलझाने में सहायता मिलेगी।

स्पीकर साहब, मैं पालिसी के तौर पर एक बात सरकार से कहना चाहता हूं। हमारी स्टेट में बदकिस्मती से काफी बैकवर्ड एरियाज हैं। मेरा अपना जिला भिवानी भी बैकवर्ड है। आप जानते

है कि हमारे सारे देश में शिडयूल्ड कास्टस, एक्स सर्विस मैन और बैकवर्ड क्लासिज को सर्विस में रिजर्वेशन दे रखी है। यह रिजर्वेशन इसलिये दी हुई है कि ये श्रेणियां काफी समय से नीचे चली जा रही थी। यह रिजर्वेशन इसीलिये दी गयी हैं ताकि इनको उपर उठा कर दूसरी श्रेणियों के बराबर लाया जा सके। इसी सम्बन्ध में मेरी सरकार से अर्ज हैं कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उपर उठाया जाये ताकि वे आगे आने वाले 5–10 सालों में दूसरे एरियाज के बराबर आ सकें और उनके बराबर इकनोमिक लैवल पर आ सकें। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार को सुझाव है कि हम बजट के अन्दर इस काम के लिए कुछ पैसा रखें बैकवर्ड एरियाज के लिए कुछ पैसा रिजर्व रखें ताकि उस पैसे को खर्च करके उन्हें उपर उठाया जा सके। बजट के अन्दर ऐसे एरियाज के लिए हर साल सिंचाई के लिए पैसा रख दें या वहां पर इण्डस्ट्रीज की सुविधा दें दें या और कोई सुविधा दें। अगर इस तरीके से ऐसे एरियाज को उपर उठाने की बात सोची जायेगी तो बैकवर्ड एरियाज को जल्दी ऊपर उइाया जा सकता है। स्पीकर साहब, हमें स्पैशल कम्पोनैन्ट प्लान के तहत हरिजनों के लिए साढ़े बारह परसैन्ट बजट खर्च करना पड़ेगा। मेरा पुनः सुझाव है कि बैकवर्ड एरियाज को ऊपर उठाने में खास रिजर्वैशन का प्रावधान बजट के अन्दर करें। यदि ऐसा करके हम कोई काम करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम बिलास शर्मा: आन ए प्वायट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, वैसे तो आप नए लोगों को बहुत एकोमोडेट करते हैं। बजट के उपर हमारे नेता मंगल सैन जी बोले हैं, और एक दूसरे साथी सिर्फ छः मिनट ही बोले हैं।

गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन के समय भी मैंने कहा था कि हमें बोल लेने दें। उस समय आपने कहा था कि बजट के ऊपर कम्पनसेट करेंगे। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया है। स्पीकर साहब, मेरा बैकवर्ड एरिया है। हम अपने लोगौं की समस्याओं को यहां पर बताना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं रूलिंग ही दे रहा हूं। अब तक सारी अपोजीशन को 456 मिनट मिले हैं और कांग्रेस पार्टी को 314 मिनट मिले हैं। इन 456 मिनट में से लोक दल को 183 मिनट, जनता पार्टी को 149 मिनट और भारतीय जनता पार्टी को 114 मिनट दिए गए हैं। अब सुरजेवाला जी बोलेंगे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में दो–तीन बातें कहना चाहूंगा जिनका जिक्र बजट पर और बजट से पहले किया गया है। कल माननीय सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह जी ने कहा था कि जे.एल. एन. कैनाल को एस.वाई.एल. से जो मौजूदा शेयर प्राप्त हो रहा है, उसका उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा। इसी प्रकार से चौ.

सुरेन्द्र सिंह जी ने भी बोलते हुए लौहारू कैनाल और दूसरी कैनालों का जिक्र किया था। मैं जयादा समय न लेते हुए आंकड़े देकर यह बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार ने पहले सालों की निस्बत कितना कितना पानी इनको दिया है। 1980–81, 1981–82, और 1982–83 में लोहारू लिफ्ट कैनाल को जो पानी दिया गया है वह इस प्रकार है। लोहारू कैनाल को 1980–81 के अन्दर 0.22 एम.ए.एफ., 1981–82 में 0.47 एम.ए.एफ. और 1982–83 में 0.84 एम.ए.एफ. पानी दिया गया। इस प्रकार आंकड़ो से यह साबित हो जाता है कि पहले सालों की अपेक्षा पानी अधिक दिया गया है। इसी प्रकार से सिवानी लिफ्ट कैनाल को जो पानी 1980–81 में दिया गया वह 0.69 एम.ए.एफ. 1981–82 में 0.91 एम.ए.एफ. और 1982–83 में 103 एम.ए.एफ. है।

जवाहर लाल नेहरू कैनाल को 1980–81 के अन्दर 0. 51 एम.एल.फ. 1981–82 में 1.08 एम.ए.एफ. और 1982–83 में भे 1.08 एम.ए.एफ. पानी दिया गया है। साथ ही साथ 1983–84 में रबी की और खरीफ की फसल को लोहारू कैनाल और जवाहर लाल नेहरू कैनाल को जो पानी दिया गया वह भी बताना चाहूंगा जे.एल.एन. कैनाल को खरीफ की फसल के लिए 1.5.1983 से लेकर 19.5.83 तक 19 दिन के लिए, 2.7.83 से लेकर 18.7.83 तक 16 दिन के लिए कुछ मिलाकर 6250 क्यूसिक्स पानी दिया गया है। इसी प्रकार से 1983–84 के अन्दर रबी की फसल के लिए 27. 10.83 से लेकर 30.10.83 तक चार दिन तक 1.12.83 से लेकर 16.

12.83 तक 16 दिन, 1.2.84 से 23.2.84 तक 21 दिन पानी दिया। इस प्रकार कुल लिा कर 25757 क्यूसिक्स पानी दिया गया है। इन आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि जो एस.वाई.एल. का मौजूदा सोर्स के थ्रू पानी मिल रहा है, वह लिफ्ट इरीगेशन कैनाल को ज्यादा दिया गया है, जिसमें लोहारू लिफ्ट इरीगेशन तथा जे. एल.एन. लिफ्ट इरीगेशन कैनाल्ज शालि हैं। स्पीकर सहाब, 1980–81 के मुकाबले में इन नहरों को 1981–82 तथा 1982–83 में ज्यादा पानी दिया गया है।

चौ. खिल्लन सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मैं सिंचाई एंव बिजली मंत्री महोदय से आगरा कैनाल के बारे में और कहना चाहूंगा पिछले बजट सैशन में भी मैंने आगरा कैनाल का जिक्र किया था कि इस बारे में कुछ सोचिए। फरीदाबाद के किसानों की सिंचाई आगरा कैनाल के माध्यम से ही हो रही है। इस नहर का कन्ट्रोल यू.पी. गवर्नमैंट के हाथ में हैं। फरीदाबाद के किसान यू.पी. गवर्नमैंट के रहमों–कर्म पर ही जिन्दा रहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार को सुझाव है कि आगरा कैनाल का कन्ट्रोल हरियाणा सरकार को यू.पी. गवर्नमैंट से लेकर अपने हाथ में लेना चाहिए क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप तो स्पीच देने लग एग हैं। आप बैठ जाएं।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: आगरा कैनाल से पिछले सालों में कितना पानी मिला है अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। किसी भी सदस्य ने आगरा कैनाल का मुद्दा नहीं उठाया इसलिये मेरे पास यह आंकड़े नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि आगरा कैनाल को हरियाणा सरकार अपने नियन्त्रण में ले ले, सरकार इस बात पर पहले ही विचार कर रही है। जब कभी दिल्ली और यू.पी. वाले यह सवाल उठाते हैं तो हम यही कहते हैं कि जो पोर्शन आगरा कैनाल का हमारे एरिया में पड़ता है, उसका पूरा नियन्त्रण हरियाणा प्रान्त को दिया जाए और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार के इन्टरवैन्शन से इसका निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, श्री फूलचन्द जी ने यह सवाल उठाया था कि इनके इलाके में पिछले कुछ सालों से एम.आई.टी. सी. के टयूबवैल्ज नहीं लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है, जब ये स्वयं मंत्री थे तो स्वयं मानते थे कि इस एरिया में एम.आई.टी. सी. के टयूबवैल्ज इससे ज्यादा नहीं लग सकते। अध्यक्ष महेादय हमने पूरी कोशिश की और छानबीन करवाई लेकिन हर केस में यही बात साबित हुई कि इस एरिया में 90 परसैन्ट ग्रांउड वाटर पहले ही एक्सप्लायट हो चुका है अब कोई गुन्जाइश नहीं है। आपको पता है, पहले ग्राउन्ड वाटर की एक्सप्लायटेशन पर नियन्त्रण था। 80 परसेन्ट से ज्यादा हम एक्सप्लायट नहीं कर सकते यानी फुल एक्सप्लायटेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने विशेश तौर पर 80 परसैंट से 90 परसैंट तक अन्डर ग्रांउड वाटर एक्सप्लायट करवाया। इसके नियन्त्रण के

लिये जो बोर्ड बना हुआ है, वह बोर्ड इससे ज्यादा फालतू पानी एकसप्लायट नहीं करने देता और इसके अलावा हम पहले ही सैचुरेशन प्वायंट पर पहुंच चुके हैं और अधिक टयूबवैलज प्राइवेट लोग तो लगा सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा और टयूबवैल्ज लगाना मुमकिन नहीं है।

श्रीमती शारदा रानी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, एम.आई.टी.सी. द्वारा टयूबवैल्ज लगाने का मतलब यह था कि पानी उसी एरिया को जिस एरिया में टयूबवैल फाल करता है, को दिया जाए। इसका मतलब यह नहीं था कि आगुमैंटेशन कैनाल बनाकर उस पानी को किसी दूसरी जगह ले जाएं। इसके लिए न कीाी किसी ने रिक्वैस्ट की और न हीं कभी लिखा गया।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: बहन जी, शायद आगुमैंटेशन टयूबवैल्ज की बात कर रही हैं। यह जो आगुमैंटेशन टयूबवैल्ज लगाये गये थे, यह बहुत पुराने टयूबवैल्ज हैं। आयंदा के लिए सरकार नहीं लगा रही। आयंदा के लिए इस किस्म का कोई लम्बा चौड़ा प्रोग्राम सरकार नहीं चला नही। श्री सुरेन्द्र सिंह ने फरमाया था कि जमीन में से बाढ़ का पानी सरकार नहीं निकाल सकती। इसके साथ ही साथ और भी कई चीजों का जिक्र किया है। मुझे पता नहीं उनका कोन से इलाके के बाढ़ के पानी से मतलब है। सारे मैम्बर साहिबान इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बाढ़ आई तो सैंकड़ो एकड़ जमीन में बाढ़ का

पानी था लेकिन अब शायद ही कहीं थोड़ा बहुत रह गया हो। 99 परसैंट जमीन जमींदारों के काश्त की है। सारा पानी निकाल कर जमीदारों से जमीन काश्त करवाई और वहां पर इस वक्त बहुत अच्छी फसल खड़ी है। जिस इलाके में बाढ़ का पानी निकाला। माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि कैनाल से पानी लिफ्ट करने के लिए 24 घंटे बिजली दी जाए। यह सब को मालूम है कि हर लिफ्ट कैनाल के साथ एक सब–स्टेशन बना हुआ है। हम इस बात का पूरा प्रयत्न करते हैं कि चाहे लिफ्ट कैनाल है, चाहे सैप्रेट फीडर है, उसको अधिक से अधिक बिजली दी जाए। इन्होंने यह भी कहा कि बिरला कम्पनी ने बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की है। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पैडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर कार्यवाही हो सकती है। स्पीकर साहब, यह भी कहा गया कि जमींदारों से वाटर कोर्सिज का खर्चा लिया जाता है, यह नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर हाउस के दूसरे मैम्बरान ने बैंचिज भी थपथपाये। स्पीकर साहब इसी सरकार ने अढ़ाई एकड़ तक वाटर कोर्सिज का टोटल खर्चा मुआफ किया है और सीलिंग तक के जो किसान हैं उनका आधा खर्चा मुआफ किया है, हालांकि दूसरे साथियों ने जो उधर बैठे हैं, अपने टाईम में, उस वक्त की सरकार ने एक फूटी कौड़ी भी किसान के हित में मुआफ नहीं की थी। यह रिकार्ड की बात है। इन्होंने एक बात बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर (आप्रेशन) की बाबत कही कि उन्होंने इनसे ठीक से नहीं की। जब टैलिफोन पर बात हुई तो उसको पूरी बात नहीं

सुनाई दी। चीफ इंजीनियर ने मुझे टैलिफोन पर भी बताया कि उन्होंने इनसे मुआफी मांग ली है। उनका कहना है कि उनको सुनने में गलती हुई है या उसके पी.ए. ने प्रोपर मैसेज कन्वे नहीं किया। वैसे उनको व्यक्तिगत तौर पर मुआफी मांगनी चाहिए लेकिन उन्होंने मुआफी मांग ली है, और मैं समझता हूं कि इससे मेरे दोस्त के जजबात ठीक हो गये होंगे। वे कहते हैं कि वे टैलिफोन को ठीक तरह से समझ नहीं सके थे और न ही उनके पी.ए. ने ठीक मैसेज कन्वे किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको डिफैंड नहीं करता क्योंकि जो एम.एल.ए. हो या कोई भी पब्लिक का नुमायंदा हो, उसके साथ हर आफिसर ठीक ढंग से बात करे। चौ. सुरेन्द्र सिंह की इस बात का मैं समर्थन करता हूं। एक बात श्री लछमन सिंह जी ने कही थी कि इनके इलाके में बिजली की बहुत बुरी हालत है। उनकी तसल्ली के लिये मैंने उनको अपने कागजात दिखाये हैं। मैंने उनको बताया कि 13.3.84, 15.3.84 और 18.3.84 को यानी तीन दिन बिजली मिलती रही। 13.3.84 को 7.50 घंटे, 15.3.84 को 2.15 घंटे और 18.3.84 को 5.10 घंटे बिजली बन्द रही, बाकी समय में बिजली चलती रही। 13.3.84 को जितने घंटे बिजली बन्द रही उसका कारण यह था कि 13 तारीख को 11 के. वी. ट्राली ब्रस्ट कर गई। 15 तारीख को लाईन में फाल्ट आ गया था, उसी रिपेयर हो रही थी और 18 तारीख को इन्सूलेटर डैमेज हो गया था, उसको चेंज करना था। इसके आगे पीछे बिजली नार्मल चलती रही, बिजली के खराब होने की और कोइ खास वजह नहीं थी।

श्री किताब सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अब पिछले तीन दिनों से बिजली कितनी आ रही है?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: बिजली कन्टीन्यूअस जारी है। कल बिजली की पैदावार 1 करोड़ 18 लाख समथिंग यूनिट थी। इससे पहले पानीपत थर्मल प्लांट का एक यूनिट और फरीदाबाद के दो यूनिट बहुत पुराने होने के कारण बिजली की पैदावार में कमी थी, इसलिए कुछ दिक्कत रही होगी लेकिन आज शायद सारे क सारे यूनिटस ठीक चल रहे हैं। ये यूनिटस कल से ठीक चल रहे हैं, कल और आज बिजली ठीक चल रही है। मैं ज्याद समय न लेता हुंआ अपना स्थान लेता हूं। विस्तार से वित्त मंत्री साहब जवाब दे देंगे। धन्यवाद।

वित मंत्री (चौ. कटार सिंह छोकर): अध्यक्ष महोदय, तीन दिनों से सदन में बजट पर बहस चल रही है। यह बहस लीडर आफ दी अपोजीशन से शुरू हुई थी और अन्त में आई.पी.एस. साहब ने अपने डिपार्टमैंट के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। इस बहस में बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया। बहुत सी आपत्तियां भी उठाई और बहुत से सुझाव भी दिये। सारे सुझाव पर सरकार गौर करेगी सारी बातों का जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो खास खास बातें हैं उनका सारांश में जवाब दूंगा और बाकी जो रह जाएंगा उनके बारे में संबंन्धित विभाग को लिख दिया जाएगा। इन पर जैसा उचित समझा जाएगा, वैसी ही कार्यवाही की जाएगी। मुख्य तौर पर लीडर आफ दी अपोजीशन ने

कुछ नुक्ते उठाये हैं। एक नुक्ता यह उठाया है कि बजट में अधिकांश पैसा तनखाहों के लिए ही है। उनका कहना है कि 47 परसैन्ट पेसा कर्मचारियों की तनखाहों में चला जाएगा। विकास कहां से होगा? इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा कि इन्फर्मेशन और पब्लिसिटी के लिए बहुत पैसा रखा गया है लेकिन इसके मुकाबले में शिक्षा, खेल कूल, टैक्नीकल एजुकेशन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए बहुत थोड़ा पैसा रखा गया है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि नौन–प्लान खर्चे पर जो कट लगाया गया है उससे क्या लाभ होगा और 1984–85 का जो

18.00 बजे

46 करोड़ को घाटा दिखाया गया है, यह कहां से पूरा होगा? उन्होंने आगे कहा कि कर्जे सरकार ने बहुत कर लिए हैं और इनके पास ब्याज और प्रिंसिपल की किश्त की अदायगी करने के साधन नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, और सदस्यों ने भी ऐसी बातें कहीं कि बजट में कुछ भी नहीं है। इससे तो मैं यही समझता हूं कि हमारी विरोधी दल क भाइयों ने यह उम्मीद लगाई थी कि कोई टैक्स लगेगा और इन्हें रौला करने का मौका मिलेगा या इनकी जैसी रिवायत है, इन्हें बजट की कानी फाड़ने का मौका मिलेगा और इनका अखबारों में नाम आएगा चूंकि बजट में टैक्स नहीं है इसलिये इसे ये नीरस बताते हैं, कलरलैस बताते हैं। बहुत पुराने सदस्य डा. मंगल सैन और भाई वीरेन्द्र जी को भी चूंकि बजट में कोई टैक्स नहीं है, इसमें कोई कलर नजर नहीं आया।

इनका अभिप्राय यह था कि अगर इसमें टैक्स होता तो ये कुछ रंग फैलाते और तरह तरह की बातें करते। ये क्या करना चाहते थे और किसी किस्म का कलर यह चाहते थे यह मैं समझ नहीं पाया लेकिन जाहिर बात यह है कि इन्हें कुछ कहने का मौका नहीं मिला। यह जो भ्रान्ति इनको है कि इसाक ज्यादा भाग तनख्वाहों में चला जाएगा, यह ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आंकड़ों से मैं बताना चाहूंगा कि ए.जी. की फिग्र्ज के मुताबिक 1441 करोड़ रूपये का यह टोटल बजट है जिसमें से 256 करोड़ रूपये कुल मिलाकर तनख्वाहों पर खर्च होने हैं। इसमें हर प्रकार की सेवाएं भी शामिल हैं जैसे एजुकेशन है और हैल्थ हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें पलान की या डिवैल्पमैंट की ऐक्टिविटीज नहीं हैं और केवल प्रशासन चलाने की ही बात है। इसकी परसटेज में सदन की जानकारी के लिए बतानार चाहूंगा। यह कुल खर्च का 18 परसैन्ट से कम बैठती है। इसलिए ऐसी भ्रान्ति फैलाना कि 40 या 47 प्रतिशत खर्च तनख्वाहों में जाएगा, बिल्कुल निराधार है ओर गलत है। इन्होंने यह भी कहा कि इन्फर्मेशन और पब्लिसिटी पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाएगा तथा शिक्षा, टैक्निकल ऐजुकेशन और स्पोर्टस पर बहुत कम खर्च किया जाएगा। यह भी बिल्कुल निराधार बात है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा टैक्निकल शिक्षा और स्पोर्टस के लिए 118 करोड़ से ज्यादा खर्चे का अनुमान है जबकि पब्लिसिटी और इन्फर्मेशन के लिए केवल 1. 98 करोड़ रूपये का अनुमान है। इनका आपस में अनुमान 1 और 60 का बनता है। 60 गुणा ज्यादा खर्च ऐजुकेशन पर होना है।

इन्होंने पता नहीं आंकड़े कहां से ले लिए? इनकी यह बात भी निराधार है। अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने कहा कि 15 परसैन्ट कट से लाभ होने वाला नहीं है लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि 15 परसैन्ट कट वाली बात तो पिछले साल की थी। इस साल हमने यह कहा है कि नौन प्लान खर्चे में 15 परसैन्ट कट जो पिछला था वह भी हो और चालू साल में 5 परसैन्ट खर्च को और कम रखा जाए। हम कोशिश करेंगे कि इसमें सरकार को सफलता मिले। अध्यक्ष महोदय, 46 करोड़ के घाटे के बारे में इन्होंने कहा कि अपने प्रदेश की डिवैल्पमैंट के काम की तुलना अगर हम दूसरे प्रदेशों से करें तो हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ जाएगा क्योंकि इनके पास खर्च करने के लिए और विकास के कामों के लिए पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय इस बारे में मैं ब्रीफ में आंकड़े देना चाहूंगा। अगर सारे देश की आय की एवरेज ली जाए तो 1981–82 की 2581 करोड़ रूपये की एवरेज के मुकाबले में हमारे प्रदेश की आय बढ़कर 2798 करोड़ रूपये हुई है। यह उससे 175 करोड़ रूपये ज्यादा है। (विध्न) आज की कीमत से भी अगर हिसाब लगाएं तो भी बढ़ौतरी हुई है। हमारे प्रदेश में अगर विकास के लिए पैसा खर्च होता है, विकास कार्य चलते रहें तभी हमारे प्रदेश की डौमेस्टिक प्रोडक्शन और आमदनी बढ़ती है वरना बढ़ नहीं सकती। इसलिये मेरा कहना है कि हमारे प्रदेश की आय या डोमैस्टिक प्रोडक्शन जो है वह निरन्तर बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कर्जे की बात कही कि बड़ा भारी कर्जा हमने कर लिया, पता नहीं हम इन्ट्रैस्ट भी दे पांएगे या नहीं। एक सवाल के

जवाब में मैंने बताया था कि कर्जा विकास के लिए बहुत जरूरी चीज है। अध्यक्ष महोदय, साधारण सी बात है कि अगर कोई अच्छा काम करना है, कोई प्रोजैक्ट चलाना है और उसके लिए हमें 200–400 करोड़ रूपये की जरूरत है, अगर वह पैसा हमें 10 या 12 परसैन्ट के इंट्रैस्ट पर मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। देखना यह होता है कि उससे लाभ कितना होने वाला है। उसकी अदायगी भी हम कर रहे हैं। जितने रूपये इंट्रैस्ट और किश्त के बनते हैं उन्हें हम हर साल अदा करते हैं। किसी साल का पैसा बकाया नहीं है। इसलिये इसके लिए भी इन्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे एक भाई ने कहा कि कांस्टीच्यूएंसी वाइज बजट बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कम्पट्रोलर एंड औडिटर जनरल की हिदायत के मुताबिक तथा कायदे कानून के मुताबिक हर प्रदेश में बजट बनाया जाता है। कांस्टीच्यूएंसी वाइज बजट बनाने का न तो कोई प्रावधान है और न ही यह प्रैक्टिकेबल है।

अध्यक्ष महोदय, सेविग्ज की बाबत एक बहुत जिम्मेदार विधायक ने कहा कि ये सेविंग्ज तो फर्जी हैं तथा स्माल डयूरेशन की होती हैं। ये मार्च में 30 तारीख को जमा कराई जाती हैं और अप्रैल की 2–4 तारीख को निकलवा ली जाती हैं। इसलिये इसका लाभ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पुरानी बात इनको याद आ रही है। आजकल तो हिदायतें है कि छोटे अर्से के लिए सेविंग्ज जमा न कराई जाएं। (विघ्न) हमारी हिदायतें हैं और मन्शा भी यही है कि

लौंग डयूरेशन की बचत की जाए। पिछले साल 32 करोड़ रूपये से अधिक की सेविंग सरकार ने की थी और इसका करीब तीन चौथाई हिस्सा लोन के तौर पर हमें मिला था। अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल 25 लाख रूपये ऐसे थे जो छोटी डयूरेशन के थे। यह टोटल सेविंग का केलव 1 प्रतिशत बनता है। तो जैसा मैंने पहले कहा पुरानी बात इन्होंने कहीं से सुन ली है कि स्माल डयूरेशन की सेविंगज पर जोर दिया जाता है और लाखों रूपये एक महीने में जमा करवा करके अगले महीने निकलवा लिए जाते हैं यह निराधार बात है।

अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों के बारे में जो इन्होंने कही हैं कि सरकार क्या कर पाएगी क्योंकि टैक्स लगाया नहीं, बजट नीरस है क्योंकि इसमें खेती के लिए, पानी के लिए और बिजली आदि के लिए प्रावधान नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने बजट को पढ़ने की कोशिश नहीं की। मुझे दो चार उदाहरण देकर इन्हें बताना पड़ेगा कि इसमें सब कुछ है। आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं 2–3 साल पुराने आंकड़े बताऊंगा। एग्रीकल्चर और अलाइड परपजिज के लिए 1982–83 में 64 करोड़ 13 लाख रूपये का प्रावधान था लेकिन 1983–84 में यह 69 करोड़ 41 लाख रूपये का था यानि 5 करोड़ 28 लाख रूपये ज्यादा है। वर्श 1984–85 में यह प्रावधान 87 करोड़ 30 लाख रूपय का है। हर साल कांस्टैटली यह खर्च बढ़ता रहा है। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कहीं रिकार्ड डिस्टौर्ट न हो जाए इसलिए मुझे एक बात कहनी पड़ रही है। 1978–79 में ऐग्रीकल्चर, इरीगेशन और पावर के लिए टोटल बजट का 75 परसैन्ट पैसा खर्च हुआ था लेकिन अब चौ. कटार सिंह जी के समय में यह खर्च 72 परसैन्ट पर आ गया है। ये खुद ही बताएं कि यह खर्च घटा है या बढ़ा है?

चौ. कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैं लेटर आन बताऊंगा लेकिन ये जो बहुत डींग मारते हैं इनकी मैं यह बताना चाहता हूं कि उस समय टोटल प्लान 600 करोड़ रूपये का था जोकि अब 1800 करोड़ रूपये का है। लगभग तीन गुणा ज्यादा है। ये कहां तक डींग मारेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह तो इन्फलेशन की वजह से है।

चौ. कटार सिंह छोकर: आप टोटल प्लान की तुलना न कीजिए क्योंकि यह बात आपके फेवर में नहीं जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वाटर एंड पावर डिवैल्पमैंट के लिए 180 करोड़ रूपये 1982–83 में खर्च किए गए ओर 1983–84 में 211 करोड़ 64 लाख रूपये खर्च किए गए। यह खर्च लगभग 31 करोड़ रूपये ज्यादा था। चालू साल में हम 211 करोड़ 64 लाख रूपये की बजाये 253 करोड़ 67 लाख रूपया खर्च करने जा रहे हैं जो कि 42 करोड़ 3 लाख रूपये ज्यादा है और इसी तरह से सोशल एंड सर्विसिज के लिए 17 करोड़ रूपये इस साल ज्यादा खर्च करने का

अनुमान है और दूसरी सर्विसिज में भी ज्यादा खर्च करने का विचार है।

श्रीमती शारदा रानी: स्पीकर साहब, अभी यहां पर कहा गया कि बजट का 75 परसैन्ट इरीगेशन वगैरह के लिए रखा था। वह 75 परसैन्ट कहां गया। हमारे जिले को बिल्कुल सुखा दिया है।

चौ. कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, अब मैं प्लान के विशय में अर्ज करना चाहता हूं। हमने सन् 1982–83 में 329 करोड़ रूपये खर्च किये, सन् 1983–84 में 374 करोड़ 57 लाख रूपये खर्च किये ओर इस साल की प्लान 429 करोड़ 30 लाख रूपये की है। पिछले साल 44 करोड़ रूपये अधिक थे और अगले साल 54 करोड़ अधिक खर्च होंगे।

स्पीकर साहब, शिक्षा और हैल्थ के विशय में भी आकड़े देना चाहूंगा। एजुकेशन पर सन् 1982–83 में 93 करोड़ 84 लाख रूपये खर्च किये और 1983–84 में 110 करोड़ 79 लाख रूपये खर्च किये और अगले साल 118 करोड़ 11 लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान है।

चौ. बलबीर सिह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, वित्तमंत्री महोदय एजुकेशन के विशय में बात कर रहे हैं। यह सरकार तो पिछले दो साल से कैबिनेट रैंक का एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं

बना सकी है। इनका क्लेम तो इसी बात से जाहिर होता है कि एजुकेशन को यह सरकार किस प्रकार से निगलैक्ट कर रही है?

श्री अध्यक्ष: सरकार ने जो पैसा बचाया है, उसे एजुकेशन पर ही खर्च किया जा रहा है।

चौ. कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, प्लान्ड स्कीमों और इरीगेशन पर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमारी स्टेट में डिवैल्पमैंट की एक्टीविटिज चल रही हैं इसलिये हम अधिक से अधिक उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कहना कि बहुत कम खर्च किया जा रहा है, बिल्कुल निराधार बात है।

अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें मैं अपनी स्टेट की आय के बारे में भी अर्ज करना चाहूंगा। हमारी स्टेट की रैवेन्यू निरन्तर बढ़ता रहा है। पिछले दो तीन साल की तुलना इस प्रकार से है। सन् 1982–83 में 611 करोड़ स अधिक आमदनी हुई। 1983–84 में 733 करोड़ रूपये हुई जो पिछले साल से 121 करोड़ रूपये ज्यादा थी। वर्श 1984–85 में 801 करोड़ आदमनी होने का अनुमान है। जो पिछले साल के मुकाबले में 68 करोड़ रूपये ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, यह जो पंचवर्शीय योजना चल रही है, इसमें छः परसैन्ट प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगैट है। हमारे तीन साल पूरे हो चुके हैं, चौथा साल चल रहा है लेकिन हरियाणा में छः परसैन्ट की बजाये आठ परसैन्ट प्रोडक्शन्ज बढ़ाई है यानी टारगैट से ज्यादा बढ़ाई है। आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी इन्कम

की परसैन्टेज बढ़ी है। पिछले साल यानी चालू साल में 15 परसैन्ट आय बढ़ी हैं। स्पीकर साहब, कन्जयूमर रिटेल और होलसेल प्राईस इन्डैक्स की स्थिति यह है कि रिटेल के आल इंडिया के भाव 11.7 परसैन्ट इन्क्रीज हुए हैं जबकि हरियणा में केवल 5.6 परसैन्ट बढ़े हैं। इसी प्रकार से होलसेल के आल इंडिया के भाव 12.3 परसैन्ट बढ़े हैं लेकिन हरियाणा में केवल 8 परसैन्ट बढ़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती चन्द्रावती जी ने कुछ छोटे छोटै प्वायंटस उठाये। पहला प्वायंट यह उठाया कि ट्रैक्टर्ज हायर पर नहीं मिलते। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि एग्रो–इन्डस्ट्रीज और लैंड रिक्लेमेशन एंड डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन ट्रैक्टर्ज हायर पर देते हैं। उनकी पहले जैसी ही नीति है। उनकी जानकारी गलत है। इन कार्पोरेशन के माध्यम से सरकार द्वारा हर साल दस लाख रूपये किसानों को सबसिडी के तौर पर जमीन जोतने के लिये दिये जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमती चन्द्रावती जी को एक ओर आपति थी कि भूमि रीकलेम नहीं होती और जो सरकार के आंकड़े दिये हैं, वे गलत हैं यानी फर्जी हैं। किसानों को इस कार्पोरेशन से लाभ नहीं होता। मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहूंगा कि कार्पोरेशन की नीति इहस प्रकार से है। लैन्ड रीकलेमेशन डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन द्वारा स्माल मार्जिनल फारमर्ज को 75 परसैन्ट सबसिडी दी जाती है ओर पचास परसैन्ट दूसरे फारमर्ज को दी जाती है। सन् 1983–84 में 6278 हैक्टेयर जमीन सुधारी गई है। आज तक कुल 32 हजार 500 हैक्टेयर भूमि को रीकलेम किया गया है और

इस चालू साल में तीन लाख रूपये की सबसिडी दी है और अब इसी साल में सप्लीमेंटरी एस्टीमेंटस द्वारा बीस लाख रूपये की और सबसिडी दी गई है। इस साल इस प्रकार से करीब पचास लाख रूपये की सबसिडी दी गई है। स्पीकर साहब यहां हाउस में फर्टेलाइजर की भी बात की गई। इन्होंने कहा कि किसानों को खाद अच्छी प्रकार का नहीं मिलता क्योंकि कारखानों में खाद सब स्टैन्डर्ड बनता है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने सवाल के जवाब में पूरी तरह से स्पश्टीकरण दे दिया था लेकिन उस समय केवल एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जवाब था। मैं हाउस को जानकारी देना चाहूंगा कि 31.1.1984 तक खाद के 1553 सैम्पल सारे स्टेट में लिए गए जिनमें से 144 अन–फिट पाए गये। उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रही है। यह केसिज फर्टीलाईजर कन्ट्रोल आर्डर, 1957 के अधीन प्रोसीड किये जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे केसिज इसैंशीयल कमोडिटीज एक्ट के तहत भी प्रोसीड किये जाने लगे हैं। इसके अलावा पुलिस में भी आजकल इस किस्म के केसिज दर्ज कराते हैं। इसी तरह से चन्द्रावती जी ने एक बात आदमपुर में पौलिटैक्निक के बारे में यह कह दी कि वहां पर यह क्यों खोला जा रहा है? दूसरे क्षेत्रों महेन्द्रगढ़, लोहारू और दादरी को इस मामले में इग्नोर किया जा रहा है। हम आदमपुर में कोई पौलीटैक्निक नहीं खोलने जा रहे (व्यवधान व शोर) आदमपुर में हमने सिर्फ एकफार्मेसी की क्लास खोलने का प्रस्ताव रिकोमैंड किया है। इसके अलावा यहां पर स्टेट में इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की भी निन्दा की गयी है।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि बजट में हर मद में हमारी आय बढ़ी है। जहां आय बढ़ी है, उसके साथ साथ करेंसी का फैलाव भी बढ़ता है। जब करैंसी का फैलाव बढ़ता है तो पैरेलल इकौनोमी के अन्दर इवजन आफ टैक्सिज भी बढ़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे देश में महंगाई भी बढ़ती है। मंहगाई कन्ट्रोल करने के लिए, पैरेलल इकौनोमी को बैलेन्स में लाने के लिये टैक्सों की इवेजन को रोकने के लिए और करेंसी के फैलाव को रोकने के लिए मंत्री महोदय सदन में बतायेंगे कि सरकार ने क्या क्या उपाय किये हैं। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, अब तो आप खुश होंगे।

श्री मंगल सैन: अगर कोई मैम्बर काबलियत वाली बात कह देता है तो उनको हमें दाद तो देनी चाहिये। (हंसी)

चौ. कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है लेकिन महंगाई घटने की बात मैंने कहीं है, मैंने महंगाई बढ़ेन की कोई बात नहीं कही है। इन्होंने बोलते हुए एक मोटी सी बात यह कह दी कि इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में घाटा है। मैं इनको पहले एच.एफ.सी. की बाबत बताना चाहता हूं। उसकी मैं इनको स्टेटमैंट पढ़कर बताऊंगा कि इसके अन्दर किस प्रकार से मुनाफा होता रहा है। पिछले साल जो इसके मुनाफे के आंकड़े हैं, वह इस प्रकार हैं। ग्रॉस इन्कम 6

करोड़ 14 लाख 80 हजार रूपये है जिसमें से खर्चा 3 करोड़ 36 लाख 6 हजार रूपये है। इसमें हमारा नैट प्रौफिट 1982–83 में 2 करोड़ 78 लाख 74 हजार रूपये है। जहां तक इसके उदेश्यों का ताल्लुक है, इसने अपने प्रदेश में कितने काम किये हैं ओर कितना लाभ कमाया है, यह इससे स्पश्ट पता चलता है।

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरे लायक दोस्त ने बड़े काम की बात कही है। हरियाणा फाइनैंशियल कारपोरेशन जो पूंजीपतियों को कर्ज देने वाली संस्था है, की आमदनी और प्रौफिट बढ़ा है। क्या वे यह बतायेंगे कि कितने सालों से करोड़ों रूपया पूंजीपतियों की तरफ बकाया है, जो वे नहीं दे रहे हैं और आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सन। मैं यह जानना चाहता हूं कि एग्रो, कान्कास्ट, डिटरजैंट, मिल्क प्लान्टस और टैनरीज में कितना कितना घाटा या प्रौफिट हो रहा है।

चौ. कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, मैं सारी बातें बताने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। डिस्कशन के दौरान मैम्बर्ज ने जो बातें कहीं थी, मैं केवल उनका ही जवाब दूंगा उन सारी बातों का भी जवाब नहीं दूंगा, जो जरूरी बातें होंगी केवल उन्हीं का जवाब दूंगा। मैम्बर साहेबान को यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि मैं हरेक बात का जवाब दूंगा। उनको यह नहीं सोचना चाहिये कि

यह क्वैश्चन आवर है और हरेक सप्लीमैंट्री का जवाब आयेगा। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने एक बात कह दी कि इसने तो पूंजीपतियों को लोन दिया हुआ है। मैं हाउस की जानकारी के लिये यह बताना चाहूंगा कि इससे शहर वाले पूंजीपतियों को ही लाभ नहीं हुआ है बल्कि देहात में उद्योग धन्धा लगाने वालों को भी लाभ हुआ है। हमारी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने जितने छोटे लोगों को ऋण दिया है, उसकी फिग्गर्ज मैं आपको बता देता हूं। इस सदन की और डाक्टर साहब की नौलेज के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि 31.1.1984 तक 15435 यूनिट देहात में लगे हैं जिनमें 43400 आदमियों को रोजगार मिला है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: एफ.एम.साहब, आप कितना टाईम और लेंगे?

चौ. कटार सिंह छोकर: 10 मिनट और, सर।

श्री अध्यक्ष: हाउस का टाईम 10 मिनट के लिये आगे बढ़ाया जाता है।

वर्श 1984–85 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ. कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, इस साल इन्होंने 318 केसिज रिकोमैंड किये हैं और 16.46 करोड़ रूपया वितरण किया है। जो बैकवर्ड एरियाज के लिये नई स्कीमें हैं, उसके तहत 115 यूनिटस के केसिज को अस्सिटैंस के लिये रिकोमैंड किया गया है। इसमें 6.46 करोउ़ रूपया बांटा गया है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हमारी जो हरियाणा फाईनैंशियल कारपोरेशन जो एड और अस्सिटैन्स देती है, उसने सारे देश को 18 एफ.सीज. के मुकाबले में अगर उसके काम को आंका जाये तो सबसे बढ़िया काम किया है। हमारी इस कारपोरेशन की कार्यक्षमता और कार–कर्दगी देखने के लिये आज तक इस ने जो लोगों को सहायता दी है, उसका पर–कैपिटा देखा जाये तो वे सारे देश के मुकाबले में सबसे अधिक है। हमारी इस कारपोरेशन की पर–हैड जो डिस्ट्रिब्यूशन है, वह नेशनल एवरेज 43 के मुकाबले में 76 है। हमारी जो दूसरी कारपोरेशनज हैं, उनका भी काम बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा हामी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने 6 इंडस्ट्रियल एस्टेट डिवैल्प किये हैं। वे हैं मुरथल, गुडगांवा, यमुनानगर, अम्बाला, कुंडली और ठंढाखेड़ा। इसी तरह से एनसीलियेरी यूनिटस और ट्रैक्टर पार्टस के लिये तीन जगह पन्चकूला, कालका, और मुरथल में ये यूनिटस लगाने का कार्यक्रम बनाया है। बड़ी बड़ी एक्टिवीटीज, प्रोजक्टस फार्मेशन और डिजाईन एण्ड टैस्ट सैंटर यह इंडस्ट्रियल एस्टेट बनोन के लिय प्रोमोशनल एक्टिवीटीज में शामिल हैं। इसके तहत हमारे प्रदेश में काफी इन्सैंटिव दिये जा रहे हैं और लोन दिये जा रहे हैं। इसके

तहत प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में बड़े बड़े उद्योग लगने जा रहे हैं। बी.ई.एल. डी.सी.एम., वैस्टर्न सी.ई.एल. उशा कम्पयूटर एटसैट्रा जैसे बड़े बड़े उद्योगों में 60 करोड़ की पब्लिक सैक्टर में ओर 60 करोड़ की प्राइवेट सैटर में इन्वैस्टमैंट हुई है। इसके लिये हमने अपना टारगैट 70 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रूपया अगले साल के लिये रखा है ओर 1990 तक अपने प्रदेश में चार सौ करोड़ रूपए के उद्योग लगाने का टारगेट है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की हमारी संख्या 4519 यूनिटस से बढ़कर आजकल 46766 यूनिटस हो गई है। यह बढ़ौतरी स्टेअ में उद्योंगो की प्रगति को दर्शाती है। हमारी एक्सपोर्ट की क्षमता चार पांच करोड़ से बढकर एक सौ बावन करोड़ हो गई है। यह कहना कि हमारे निगम ठीक काम नहीं कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। कुछ मद्दे उठाते हुए डा. साहब ने कहा कि ट्रांसमीशन सिस्टम ठीक नहीं था। के.वी. स्टेशंज बढ़ाये नहीं गए हैं। लाइंज नहीं बढ़ाई गई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1966 में हमारे पास 33 के.वी. के 36 स्टेशन थे और 66 के.वी. के सात स्टेशंज थे ओर 132 के.वी. के चार थे। आज 33 के.वी. के 36 मुकाबले 169 स्टेशंज हैं। 66 के. वी. के सात के मुकाबले चालीस हैं और 132 के.वी. के चार के मुकाबले में 36 स्टेशंज हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने दो चार छोटे छोटे मुद्दे और उठाए थे। चौ. मनफूल सिंह की बातों का अगर जवाब न दिया जाए तो उनको निराशा होगी। उन्होंने कहा था कि बजरी और बिटयूमैन की पिलफिरेज होती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाउस में

कोई स्पैसिफिक बात कहनी चाहिए। वैसे ही कोई बात कह देना अच्छा नहीं लगता। एक बात उन्होंने कही थी कि उनके क्षेत्र में सड़कों की मुरम्मत नहीं होती और न ही कोई नई सड़कें बनती हैं। स्पीकर साहब, यह निराधार बात है। हाउस में सफाई कर्मचारियों के लिए पैन्शन की बात कही गई कि सफाई कर्मचारियों के लिए पैन्शन होनी चाहिये। यह मामला कुछ देर से सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है। एबोलिशन आफ आक्ट्राय की बात डा. साहब ने कही। उसका जवाब दे दिया गया है कि यह मामला विचाराधीन है। रोहतक में खाली जगह पड़ी है, उसमें कौमर्शियल कौम्पलैक्स की बात डा. साहब ने कही। उसका जबवा दे दिया गया है कि यह मामला विचाराधीन है। रोहतक में खाली जगह पड़ी है, उसमें कौमर्शियल कौम्पलैक्स की बात डा. साल ने कही। मैं बताना चाहता हूं कि उसके बारे में एडमिनिस्टेटर से रिपोर्ट मांगी गयी है जब वह आ जाएगी तो उसको देखकर जैसा भी मुनासिब होगा, किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की बात कही गई और यह कहा गया कि जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम्ज चालू है, वहां पर पांच गैलन पानी मिलता है। यह भी कहा गया कि महेन्द्रगढ़, नारनौल और भिवानी में वर्ल्ड बैंक की स्कीम के अन्डर वाटर सप्लाई की स्कीम्ज शुरू की गई थी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह गल्त कहा गया है। इन जगहों पर वर्ल्ड बैंक की स्कीम के अन्डर काम नहीं किया गया बल्कि वाटर सप्लाई का काम गवर्नमैंट ने किया था। किसी हद तक यह ठीक बात है कि कुछ परेशानी होती

है। स्पीकर साहब, पहले दस गैलन की कैपेसिटी थी लेकिन बनाते वक्त पैसे की कमी की वजह से 1970 से पहले ही उसमें चेंज हो गई थी और वाटर वर्क्स का स्ट्रक्चर पांच गैलन का बनाया गया। सरकार की यह कोशिश है कि सभी जगहों की क्षमता बढ़ाई जाए। पाइप लाईन भी बढ़ाई जाए। 1978 में सरकार ने निर्णय लिया था कि पांच गैलन तो जरूर दिया जाए। वाटर सप्लाई में बिजली की दिक्कत भी बताई गई। इस बारे में बार बार सदन में चर्चा हुई कि स्टैण्ड बाई अरेन्जमैंट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हर जगह तो स्टैण्ड बाई अरेन्जमैंट नहीं हो सकता। कुछ जगह तो हो सकता है लेकिन सब जगह स्टैण्ड बाई अरेन्जमैंट नहीं हो सकता। चौ. नरसिंह जी ने भारी आपत्ति की कि मेरे क्षेत्र में सड़कें बिल्कुल नहीं बनती। कांग्रेंस के एम.एल.एज., पार्टी इन पावर के एम.एल. एज. और मिनिस्टर्ज की कांस्टीच्यूएंसीज में केवल काम होता है। उन्होंने कुछ जगहों जैसे रवान हैडा, हरिजन बस्ती, मड़ाबल रोड, राजोद से खेड़ा के नाम दिए। अध्यक्ष महोदय, ये सब मिला कर आठ किलोमीटर से ज्यादा लम्बी सड़कें है जो पिछले दो तीन साल से अन्डर कंस्ट्रक्शन थीं और कम्पलीट हो चुकी हैं और बाकी अन्डर कम्पलीशन हैं। स्पीकर साहब, इनके हल्के में डायरैक्टरी के हिसाब से 143 गांव हैं और इनके क्षेत्र में कुल मिलाकर 29.2.1984 तक 173 किलोमीटर से अधिक पक्की मैटल्ड रोडज हैं। यह किसी तरह से नहीं कहा जा सकता कि पहले सड़कों का काम हुआ था और अब नहीं हो रहा है।

चौ. नर सिंह ढांडा: वित्त मंत्री जी ने जिन गांवों के नाम लिए हैं जैसे रवान हैडा वगैरह, वहां पर तो आठ–दस साल से सड़के बनी हुई है। मैंने जिन गांवों के नाम दिए थे उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा। वहां पर तो पिछले चार साल से रोड़ी तक नहीं बिछी।

चौ. कटार सिंह छोकर: चौ. लछमन सिंह ने कहा कि यमुनानगर से करनाल तक जो सड़क जाती है उसकी रिपेयर नहीं हुई है। यह सड़क बरसात मैं खराब हो गई थी। यह 62 किलोमीटर लम्बी सड़क है। इस पर मुरम्मत का काम चालू है। जल्दी ही मुरम्मत पूरी हो जाएगी। कई दफा काम में कुछ दिक्कत आ जाती है।

श्री इन्द्रजीत सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि उनके जिले में जे.एल.एन. के लिये पैसे का जो प्रोवीजन था वह औरिजनल ऐस्टीमेंट में 7.65 करोड़ का था लेकिन उसे घटाकर 2. 64 करोड़ कर दिया। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो सप्लीमैंटरी खर्चे पास हुए हैं उनको 2.64 करोड़ से बढ़ाकर 4.50 करोड़ कर दिया गया है।

बैठक का समय बढ़ाया

श्री अध्यक्ष: आप कितन टाईम और लेंगे?

चौ. कटार सिंह छोकर: पांच मिनट और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष: हाउस का टाईम पांच मिनट और बढ़ाया जाता है।

वर्श 1984–85 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ. कटार सिंह छोकर: एक बात उन्होंने यह कही कि रावी ब्यास का जो फालतू पानी है वह जे.एल.एन. और लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को नहीं मिलता। सुरजेवाला साहब ने भी जवाब दे दिया लेकिन मैं भी बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम को पानी दिया गया था जैसे भाखड़ा सिस्टम को 0.925 एम.ए.एफ. और वैस्टर्न जमुना सिस्टम को 0.353 एम.ए.एफ. और लिफ्ट का जो सिस्टम है जे.एल.एन. 0.285 एम.ए.एफ.। यह थोड़ा कम जरूर है लेकिन दिया जरूर गया है।

श्रीमती बसन्ती देवी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, इतनी मीठी बातें इन्होंने सुनाई हैं कि हमारे मुहं का टेस्ट स्क्रीन्ड हो गया है। मैं कहना चाहती हूं कि कुछ सच्ची और चटपटी बातें बताएं तो अच्छा रहेगा।

चौ. कटार सिंह छोकर: बहन जी को विश्वास करना चाहिए। जो बात कागजों में लिखी हैं, वे बातें में बता रहा हूं। इसके बाद जो एक्जीक्यूट होगा वहां सावधान रहें। स्पीकर साहब,

एक माननीय सदस्य जो कि बहुत ही रिसपौन्सीबल आदमी हैं, सब कार्यों में वे बड़ी रूचि लेते हैं, अपोजीशन के बहुत ही पुराने सदस्य हैं। दिलचस्पी से यहां पर हर बात कहते हैं, जिनकी बात का मैं जवाब देना बड़ा ही जरूरी समझता हूं वे हैं चौ. हुक्म सिंह जी। उन्होंने बोलते हुए अपने भाशण में यह कहा है कि पशुओं के हस्पतालों के लिये केवल 3.8 करोड़ रूपये की राशि रखी गयी है जोकि बहुत ही थोड़ी है, इससे कितना काम हो सकेगा? 25 डिसपैन्सरियां डिवैल्प करनी हैं। मैं यहां सबको बताना चाहता हूं कि य ह तो प्लान का खर्चा है उसके इलावा इस खर्चे को मिलाकर कुी 11.47 करोड़ रूपये से अधिक खर्चा वैटरनरी के लिए होना है और स्पैशल प्रोजैक्ट इसमें शामिल नहीं है। इसलिये चौ. हुक्म सिंह जी किसी बात की चिन्ता न करें, पैसा बहुत रखा गया है। इसके साथ साथ एक और बात उन्होंने पशुओं का इंजेक्शनज लगाने के बारे में कही कि हस्पतालों में पशुओं को इंजेक्शन लगाने के लिये कोई सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं हैं। किसी पर इस तरह का इंजैक्शन लगाने का कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है, वहां पर जो भी सहायक, कम्पांउडर होता है वह टीके लगाता है।

चौ. हुक्म सिंह फोगट: स्पीकर साहब, स्टाक असिसटैन्ट कम्पाऊडर्ज द्वारा ऐन्टी बायटिकस के इन्जैक्शज लगाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। (शोर व व्यवधान)

चौ. कटार सिंह छोकर: इसके साथ ही एक और बात फर्टीलाईजन के बारे में यहां पर कही गयी और साथ ही बीज के

बारे में कुछ कहा गया। यह कहां गया कि खाद पूरा इस्तेमाल नहीं होता और किसानों को बढ़िया बीज भी नहीं दिया जाता। मैं यह बताना चाहता हूं कि खाद जो है, वह टारगिट से ज्यादा इस्तेमाल हुई है। और जो बीज हम देते हैं, वह हर साल बचता है। ये सुविधाएं सरकार ने जुटाई हुई हैं। इसके इलावा कुछ और बातें भी यहां पर कहीं गयी, उनका जवाब मैं ग्रांटस पर डिस्कशन के वक्त दूंगा।

स्पीकर साहब, इसके साथ यहां पर मेरे भाई वीरेन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि हमारी जो प्रोडयूस है, चाहे वह अनाज के बारे में कहा चाहे गन्ने के बोर में, वह घटी है। घटी तो, स्पीकर साहब, उनके समय में होगी, हमारे समय में तो बढ़ी है। इनका यह कहना गल्त है। अध्यक्ष महोदय, चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने 1977–78 और 1978–79 की फिग्गर्ज कोट कर दीं औरफिर बैठ गये। 1977–78 टोटल सीरील की फिगर 4335 हजार टन और 1978–79 की 5249 टन, 1979–80 में 4690 टन रह गयी। 1980–81 और 1981–82 की फिग्गर्ज इन्होंने बतायी नहीं। जो 5553 हजार टन और 5692 हजार टनन हुई हैं ये अपने राज में तो सारा काम खराब कर गये थे जो अब हमें ठीक करना पड़ा है। इसलिये आप ही इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनके राज में तो प्रोडक्शन घटी थी लेकिन हमारे काल में बढ़ी है। एक बात तो इनकी सही है कि वह मैं मानता हूं कि गन्ने की पैदावार घटी है। मैं आपको फिग्गर बताता हूं कि गन्ने की पैदावार

1977–78 में 897 हजार टन थी उससे अगले साल ये गन्ना जलाते रहे ओर इनके राज में पैदावार 689 हजार टन रह गयी और उससे अगले साल 411 हजार टन रह गयी। यह तो इनकी बात सही है कि किसान हर साल गन्ना जलाते रहे ओर गन्ना 3 रूपये व 4 रूपये पर–क्विंटन के हिसाब से बिका लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस वक्त स्टेट में 576 हजार टन गन्ने की पैदावार है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

***18.46 बजे**

(तत्पश्चात सदन मंगलवार, दिनांक 27 मार्च 1984 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए *स्थगित हुआ)।